शुक्रवार,
११ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, ११ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रक्षित बैंक भवन, नई दिल्ली

*१२१७. **डा० एम० एम० दास** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नई दिल्ली में आजकल बन रहे रक्षित बैंक भवन का कुल प्राक्कलित व्यय कितना है ;

(ख) क्या बैंक के प्रधान कार्यालय को नई दिल्ली में इस भवन में लाने का विचार है ;

(ग) क्या बैंक के गवर्नर को इस नए भवन में निवास-स्थान भी दिया जायेगा ; तथा

(घ) क्या बैंक के कर्मचारियों को निवास-स्थान देने के लिये भी कुछ व्यवस्था करने का विचार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) मुख्य भवन की कुल लागत लगभग एक करोड़ रुपये होगी ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

(ग) नए भवन में कमरों का एक ऐसा समुदाय रखने का विचार है, जिसे बैंक के गवर्नर, उपगवर्नर या अन्य पदाधिकारी बैंक के काम से दिल्ली आने पर काम में ला सकें ।

(घ) बनने वाले मुख्य कार्यालय-भवन के पीछे पदाधिकारियों के लिये एक इमारत बनाने का विचार है । स्थानीय कार्यालय में काम करने वाले ४४० कर्मचारियों को बैंक क्वार्टर दे चुका है ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि उस भूमि का क्षेत्रफल और लागत कितनी है, जिस पर भवन बन रहा है ?

श्री ए० सी० गुहा : भूमि की लागत के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । प्रश्न का सम्बन्ध भवन से है ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि कितने कर्मचारियों के लिये नए क्वार्टर बनाए जायेंगे और क्या माननीय मंत्री द्वारा बताई गई राशि में इन क्वार्टरों के बनाने की लागत भी सम्मिलित है ?

श्री ए० सी० गुहा : नहीं, श्रीमान् । इस राशि में क्वार्टरों की लागत सम्मिलित नहीं है । बनाए जाने वाले क्वार्टरों की संख्या अभी निश्चित नहीं हुई है । उसके लिये प्राक्कलन-पत्र मंगाए जायेंगे और उसके बाद ही इसका निच य होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या प्रारंभिक प्राक्कलन कुछ समवायों द्वारा निश्चित किये गये थे और प्राक्कलन पत्र अन्त में ऐसे ठेकेदार को दिया गया था, जिसके प्राक्कलन दूसरे से अधिक थे ?

श्री ए० सी० गुहा : प्राक्कलन-पत्र मंगाए जाने पर चार फर्मों ने वे भेजे थे और एक फर्म ने बाद में निश्चय होने के पहले ही अपना प्राक्कलन-पत्र वापस ले लिया। फिर न्यूनतम प्राक्कलन-पत्र देने वाली दूसरी फर्म को ठेका दे दिया गया ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि क्या ठेकेदार ने निर्माण-कार्य के प्रभारी सरकारी इंजीनियर का अपमान किया था, जब उसने बताया कि रखी जाने वाली नींव में दरार है ?

श्री ए० सी० गुहा मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

कुमारी एनी मस्करीन : माननीय मंत्री ने बताया है कि उनको उस भूमि का क्षेत्रफल विदित नहीं है, जिस पर इमारत बन रही है । क्या यह संभव है कि माननीय मंत्री को भवन का क्षेत्रफल विदित न हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनके पास सूचना नहीं होगी ।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, जैसा मैं ने बताया, प्रश्न का सम्बन्ध केवल भवन की लागत से है ।

कुमारी एनी मस्करीन : संभव है, उनको विदित न हो, पर सदन जानना चाहता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन कृपया कुमारी एनी मस्करीन के द्वारा एक पृथक प्रश्न रखेगा ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भवन के अनुमानित समय में बन जाने की आशा है ?

श्री ए० सी० गुहा : हां, श्रीमान । इसके अनुमानित समय में बन जाने की आशा है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं ठेकेदार या फर्म का नाम और उस फर्म की भुगताई गई पूंजी जान सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम बहुत आगे जा रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : वह यह जानने के लिये कि क्या-क्या पूरी-पूरी संरक्षा की गई थी, क्योंकि जैसा हमने प्रायः देखा है अनुत्तरदायी व्यक्तियों को उत्तरदायी काम सौंप दिये जाते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय सदस्यगण के मन में भले ही कुछ संशय हो, पर मैं कहूंगा कि ठेका देने के पहले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से परामर्श किया गया था, और उनकी रिपोर्ट उसके पक्ष में ही थी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि स्वयं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का ही एक निवृत्ति-प्राप्त इंजीनियर इस फर्म द्वारा इस काम के लिये नियुक्त किया गया था ?

श्री ए० सी० गुहा : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस भवन के लिये मूलतः तैयार किये गये प्राक्कलन पुनरीक्षित प्राक्कलनों में बढ़ गये हैं या उतने ही हैं ? यदि बढ़ गए हैं तो कितने ?

श्री ए० सी० गुहा : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

वैज्ञानिक गवेषणा के लिये विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता

*१२१८. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने

की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने वैज्ञानिक गवेषणा के लिये किन्हीं विश्व-विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान की है ?

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं ?

(ग) प्रत्येक को दी गई आर्थिक सहायता की राशि कितनी है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां ।

(ख) तथा (ग) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३]**

प्रो० डी० सी० शर्मा: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये अनुदान देते समय सरकार ने मौलिक गवेषणा और व्यावहारिक गवेषणा का ध्यान रखा था ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि मौलिक गवेषणा और व्यावहारिक गवेषणा का अनुपात कितना

श्री के० डी० मालवीय : मुझे मौलिक और व्यावहारिक गवेषणा के पृथक अनुपात विदित नहीं हैं, पर शिक्षा मंत्रालय के अधीन किए जाने वाले अनुदानों का आधार साधारणतः यह रहा है कि विश्वविद्यालय को मौलिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार की गवेषणा में संलग्न एक पृथक विभाग या कम से कम उसका बीजभूत कुछ विभाग अवश्य रखना पड़ेगा और मात्रा तथा प्रकार सुधार आवश्यक माना जाता है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि विश्वविद्यालय आजकल किन गवेषणा परियोजनाओं में तल्लीन हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: उन परियोजनाओं या विषयों की, जिनमें वे संलग्न हैं, सूची बहुत बड़ी होनी चाहिये ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: मैं एक नमूना सर्वेक्षण चाहता . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : सभी विश्वविद्यालयों में ?

प्रो० डी० सी० शर्मा : कृपया मुझे प्रश्न पूरा कर लेने देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने सुन लिया है । आप नमूना सर्वेक्षण चाहते हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री कृपया हमें बतलाएंगे कि मौलिक और व्यावहारिक गवेषणा के लिये विश्वविद्यालयों में क्या गवेषणा परियोजनाएं चल रही हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल आर्थिक सहायता से है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : भारत सरकार का निश्चय २०० रुपये प्रति मास की १०० छात्रवृत्तियां देने का है । क्या ये छात्रवृत्तियां अभ्यर्थियों को सीधे-सीधे दी जानी हैं या इन विश्वविद्यालयों के द्वारा ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न का विश्वविद्यालयों को मिलने वाले अनुदान से कोई संबंध नहीं है । इसका संबध वैज्ञानिक गवेषणा के लिये विश्वविद्यालयों को सीधे-सीधे दिये जाने वाले अनुदानों से है ।

श्री बंसल : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को विदित है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक दानदाता के दान से विशेषतः वैज्ञानिक गवेषणा के लिये बनाया गया एक नया भवन भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक गवेषणा के लिये आर्थिक सहायता न देने के ही कारण बेकार पड़ा हुआ है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : इस बारे में कोई दरख्वास्त इलाहबाद

विश्वविद्यालय से भारत सरकार को अभी तक नहीं मिली है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने प्रश्न किसी आधार पर ही पूछा करें ।

श्री बंसल : मैं इस प्रश्न को इस आधार पर रख रहा हूं कि मैं ने स्वयं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह भवन बेकार पड़ा देखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बेकार पड़ा होगा । पर क्या केन्द्र के पास कोई आवेदन आया है ?

श्री बंसल : मैं ने आवेदन का तो उल्लेख नहीं किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्र उसके लिये उत्तरदायी नहीं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि नए विश्वविद्यालयों को, जो विभिन्न खंडों में गवेषणा-शाखाएं स्थापित नहीं कर सके हैं, आर्थिक सहायता दी जाय ?

श्री के० डी० मालवीय : विचारणीय बातों में से एक यह भी है ।

सेठ गोविन्द दास : जो नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं और जहां अभी जिस विषय का पूरा विकास नहीं हुआ है, उनको मदद देने के संबंध में मंत्री जी ने कहा कि विचार किया जायेगा । तो ऐसे कौन से नए विश्व-विद्यालय हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसका पर्याप्त उत्तर दिया जा चुका है ।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था कि ऐसे कौन से विश्वविद्यालय हैं, जिनके संबंध में इस तरह का विचार किया जायेगा ?

मौलाना आज़ाद : अभी तो मैं उनकी सूची नहीं बतला सकता, लेकिन इस योजना के अन्दर यह बात है कि जो नए विश्वविद्यालय और संस्थाएं बनेंगी, उनको वैज्ञानिक-गवेषणा के लिये मदद दी जाय ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, क्या मैं उन विश्वविद्यालयों के नाम जान सकती हूं, जिनको ये अग्रिम दान दिये जाते हैं, और क्या दक्षिण भारत का कोई विश्वविद्यालय उस सूची में सम्मिलित है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं सदन के सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि २६ विश्वविद्यालय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, यह लम्बी सूची है ।

कुमारी एनी मस्करीन : प्रश्न के उत्तरार्द्ध का उत्तर क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं पहले ही बता चुका हूं कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत पूर्व-पश्चिम के प्रादेशिक आधार वाले प्रश्नों को अनुमत नहीं ठहराया जायेगा । जहां तक विश्वविद्यालयों की सूची का सम्बन्ध है, २६ विश्वविद्यालय हैं । मैं सभी विश्वविद्यालयों के नाम पढ़ने में सदन का समय बरबाद न होने दूंगा ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या उत्कल विश्वविद्यालय को कुछ सहायता प्रदान की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री सारंगधर दास : यह प्रादेशिक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री सहायता सम्बन्धी विवरण सदन-पटल पर रख चुके हैं ।

श्री वी० पी० नायर : विश्वविद्यालयों को यह सहायता देने में क्या भारत सरकार ने कुछ निर्देश दिया है कि किन विषयों में

शोध की जाय, अथवा इस विषय में विश्व-विद्यालयों को पूरी स्वच्छंदता है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान् कई बार विश्वविद्यालयों द्वारा विशिष्ट मांग की जाती है और उस आधार पर भी अनुदान दिया जाता है ।

सार्वजनिक स्कूल

*१२१९. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** (क) क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सार्वजनिक स्कूलों की संख्या कितनी है ?

(ख) ये सार्वजनिक स्कूल कहां हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) शून्य ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार विभिन्न सार्वजनिक स्कूलों को कोई अनुदान देती है ; और यदि ऐसा है तो, मंत्रालय के साथ उसका प्रशासी संबंध किस प्रकार का है ?

श्री के० डी० मालवीय : वे सार्वजनिक स्कूल, जिनको भारत सरकार द्वारा कुछ अनुदान दिये गये हैं उनके शासन के संबंध में मंत्रालय का कोई हाथ नहीं है क्योंकि इन स्कूलों के संचालन कार्य का यह अनुभव हुआ है और यह निर्णय किया गया है कि इन स्कूलों को स्वायत्तशासी होना चाहिये। अब उनका प्रबन्ध स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा ही किया जाता है और उनको तदर्थ अनुदान दिये जाते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : साधारण स्कूलों तथा सार्वजनिक स्कूलों की फीसों में क्या अन्तर है तथा यदि साधारण स्कूलों की फ़ीसें बढ़ रही हैं तो उसकी वृद्धि की प्रतिशतता क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : बहुत काफ़ी ।

उपाध्यक्ष महोदय : सार्वजनिक स्कूलों की संख्या से हटकर अब आप फ़ीस की ओर जा रहे हैं । माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है बहुत काफ़ी । अब आप जानना चाहते हैं कि प्रतिशतता क्या है । क्या यह प्रश्न उत्पन्न होता है ?

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि लवडेल तथा सनावर के सार्वजनिक स्कूल केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, श्रीमान् । वे केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं है ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है तथा यदि ऐसा है तो इसका क्या कारण है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस वर्ष इन स्कूलों को दिये जाने वाले सारे अनुदानों की कुल धन राशि कितनी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं ।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले वर्ष कुछ रुपया बजट में रक्खा था इस साल के बजट में भी रक्खा गया है ताकि पब्लिक स्कूलों को मदद दी जाय ।

श्री बूबराघसामी : इन स्कूलों का पाठ्यक्रम क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पाठ्यक्रम–स्लेबस जानना चाहते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : इस बात के क्या उपाय किये जा रहे हैं कि यह स्कूल अनन्य रूप से विदेशी न बने रहे और यह कि इन में दी जाने वाली शिक्षा, भारतीय संस्कृति तथा देश की शिक्षा के 'सामान्य प्रकार' के अनुकूल हो ?

मौलाना आज़ाद : जहां तक इन स्कूलों का ताल्लुक है सनावर और नीलगिरी का चूंकि यह स्कूल कुछ दिनों तक गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के कंट्रोल में रहे इसलिये पूरी कोशिश की गई कि नये ढंग की तालीम वहां पर दी जावे । बाकी जहां तक दूसरे स्कूलों का ताल्लुक है चूंकि वह प्राईवेट इंस्टीट्यूशन हैं, इसलिये इस बारे में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया कुछ नहीं कह सकती है ?

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि इन स्कूलों में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मैं जानता हूं पढ़ाई जाती है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ धन राशि सार्वजनिक स्कूलों के लिये अलग कर दी जाती है और जहां से प्रार्थना पत्र आते हैं वहीं यह धन राशि भेजी जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । माननीय मंत्री ने तो केवल यह कहा था कि इन स्कूलों को तदर्थ आधार पर अनुदान दिये जाते हैं । कोई अलग धन राशि नहीं रक्खी जाती है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं देश के अन्य स्कूलों और सार्वजनिक स्कूल में क्या अन्तर है ?

मौलाना आज़ाद : जब पब्लिक स्कूल का लफ्ज़ बोला जाता है तो इस का जो मतलब है वह हर शख्स जानता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को सार्वजनिक तथा वैयक्तिक स्कूलों का अन्तर ज्ञात होना चाहिये ।

श्री के० डी० मालवीय : यह सार्वजनिक स्कूल इंगलैंड के पब्लिक स्कूलों की तरह चलाये जाते हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह शब्द इंगलैंड से लिया गया है । हमारे स्कूल सार्वजनिक नहीं हैं और चाहे जो हों ।

बम्बई राज्य को दिये जाने वाले अनुदान

*१२२०. **श्री दाभी** : क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने, १९५३ में, बम्बई में फैलने वाली दुर्लभता तथा दुर्भिक्ष का सामना करने के योग्य बनाने के लिये बम्बई सरकार को अनुदान या अनुदानों के रूप में कोई सहायता भेजी है ?

(ख) यदि ऐसा है तो ऐसे अनुदान या अनुदानों की कुल राशि कितनी है ?

(ग) बम्बई राज्य के ऐसे क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां इस राशि का उपयोग सहायता देने के लिये किया जा रहा है ?

(घ) ऐसे क्षेत्रों में यह राशि किस प्रकार व्यय की जा रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क), (ख) तथा (घ) । कोई नकदी अनुदान नहीं दिये गये परन्तु केन्द्रीय सरकार ने सहायता कार्यों में नियोजित व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को १४ रुपये मन के रियायती दाम पर देने के लिये दो लाख टन तक आयात किया हुआ गेहूं संभरण करने का वायदा किया था ।

(ग) हमें पता चला है कि राज्य सरकार ने दुर्लभता पीड़ित क्षेत्रों में जैसे, अहमदनगर, पूना, पूर्वी खानदेश, अम्रेली, शोलापुर, पश्चिमी खानदेश, उत्तर सतारा, नासिक, दक्षिण सतारा, बीजापुर, बेलगाम, धारवार, पंचमहल, सबरकंठ, कैरा, सूरत, अहमदनगर, बड़ौदा, में उचित मूल्य की दुकाने खोली हैं।

स्वीडिश एकादमी छात्रवृत्तियां

*१२२१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) स्वीडिश एकादमी छात्रवृत्तियों से विभूषित कितने भारतीय वैज्ञानिक स्टाकहोम भेजे गये हैं और कितने भेजे जा रहे हैं ?

(ख) यह छात्र किन विषयों में शिक्षा प्राप्त करेंगे ?

(ग) इन पर कितना अतिरिक्त व्यय भारत सरकार द्वारा किया जायेगा ; तथा

(घ) इस के लिये चुने जाने के लिये अपेक्षित योग्यतायें क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) तक। स्वीडिश एकादमी आफ़ इंजीनियरिंग एण्ड साइन्सेज़ द्वारा दिये गये फ़ेलोशिप से एक वैज्ञानिक, चर्मसंस्कार (टैनिंग) की शिक्षा प्राप्त करने तथा उसके सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिये स्टाकहोम भेजा गया है। भारत सरकार ने भारत से स्वीडन, वायुयान द्वारा, आनेजाने का खर्चा ४,४९१ रुपया दिया है।

(घ) फ़ेलोशिप के लिये आवेदन पत्र भेजने की सूचना तथा उस फ़ारम की प्रतिलिपि जिन पर आवेदन पत्र मांगे गये थे दोनों ही सदन पटल पर रख दिये गये हैं **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४]**

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है —— (क) के दूसरे भाग का। इस वर्ष कितने व्यक्ति भेजे जाने वाले हैं। उत्तर के साथ दिया जाने वाला विवरण पत्र प्रकट करता है कि यह शिक्षा डेढ़ वर्ष की है।

श्री के० डी० मालवीय : उत्तर दिया जा चुका है — एक वैज्ञानिक।

श्री एस० सी० सामन्त : वह व्यक्ति १९५२ में भेजा गया था। उसकी शिक्षा का समय पूरा हो रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार दूसरे आदमी को भेजने का विचार कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस छात्रवृत्ति में कोई नियमितता नहीं है।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : एक ही स्कालरशिप है।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं, श्रीमान्, कि क्या सरकार, इस छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र भेजने वाली महिला अभ्यर्थियों के भी हक़ों पर विचार करेगी . ?

श्री के० डी० मालवीय : स्वीडिश एकादमी द्वारा एक छात्रवृत्ति दी गई थी। उस के लिये एक व्यक्ति जा चुका है। अभी उसकी शिक्षा हो रही है। इसलिये यह भी बात खतम हुई। अब और कोई छात्रवृत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक छात्रवृत्ति दी गई थी और उसके लिये एक व्यक्ति का चुनाव भी हो चुका है।

सैनिक इंजीनियरिंग कार्यालय द्वारा अपहार

*१२२२. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **रक्षा** मंत्री कृपा करके रक्षा सेवा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९५१ की कंडिका ४७ की ओर निदश करेंगे तथा बतायेंगे कि :

(क) इस अपहार के लिये उत्तरवादी अधिकारियों से ७९,११० रुपये की धनराशि वसूल करना क्यों सम्भव नहीं हो सका ?

(ख) क्या सरकार उपयुक्त धनराशि के अपलेखन का संमोदन प्रदान कर चुकी है ?

(ग) क्या तत्सम्बन्धी सैनिक इंजीनियरों को महासेनापति की रुष्टता की सूचना दी गई थी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) यह १९४५-४६ का मामला है । उस रोकड़िया पर, जिस के लिये कहा जाता था कि उसने अपहार किया था, दीवानी के न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था परन्तु वह मुक्त हो गया । इस मामले से सम्बन्ध रखने वाले अन्य सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की गई थी और उनको उचित दंड दिया जा चुका है । चूंकि धन राशि वसूल करना भी एक प्रकार का दंड है और विभागीय कार्यवाहियां समाप्त हो चुकी हैं इसलिये अब धन राशि वसूल करने का कोई उपाय नहीं किया जा सकता ।

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) हां ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि महासेनापति की अप्रसन्नता के होते हुए भी सैनिक इंजीनियरों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

सरदार मजीठिया : संभवतः माननीय सदस्य को यह ज्ञात नहीं है, श्रीमान्, कि सेवा पुस्तों में अत्यधिक अप्रसन्नता का उल्लेख हो चुका है और यह भी एक प्रकार का दण्ड है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि, क्या सरकार को यह ज्ञात है कि, रोकड़िया को मुक्त करते हुए न्यायालय ने, सैनिक इंजीनियरों के विरुद्ध, अवक्षेप किये थे ?

सरदार मजीठिया: अवक्षेप किये जाने के बहुत पहले ही १९४७ में, सरकार विस्तृत आदेश निर्गम करके, ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयत्न कर चुकी थी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान् कि सैनिक इंजिनियर तथा यूनिट के मुनीम से अपहृत धन वसूल करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैं कह चुका हूं, श्रीमान्, आशा यह की जाती थी कि रोकड़िया न्यायालय द्वारा दंडित किया जायेगा । कुछ भी हो सारी विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है तथा समुचित दंड भी दिया जा चुका है । अब उस धन राशि को वसूल करना संम्भव नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या वही सैनिक इंजीनियर तथा यूनिट के मुनीम अब भी नौकर हैं ? यदि नहीं तो उन्होंने कब अपनी नौकरी छोड़ी ?

सरदार मजीठिया : वर्तमान सरकार के अधिकार में आने के बहुत पहले सैनिक इंजीनियर ने नौकरी छोड़ दी थी ?

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को पता है कि साधारण सरकारी नौकर नवयुवक, जिन्होंने सिग्रेट के टीन चुराने का अपराध किया था उनको सैनिक न्यायालय के सामने रखा गया और उनको छः मास का कठोर कारावास का दंड दिया गया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): यह मामला उन दिनों का है जब देश के उत्तरबादी नेताओं ने सरकार का भार नहीं सम्भाला था ।

श्री टी० एन० सिंह : माननीय मंत्री ने बताया है कि उपहृत सरकारी धन की वसूली भी एक प्रकार का दंड है । क्या मैं जान सकता हूं कि रक्षा या लेखा या वित्तीय प्रक्रिया के किस नियम के अनुसार सरकारी रुपये की वसूली एक प्रकार का दंड है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकारी रुपये की वसूली उसी व्यक्ति से जिसने अपहार किया हो ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं कह चुका हूं इस रोकड़िया पर दीवानी के न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और यह बरी हो गया । जहां तक सैनिक इंजिनियरों का सम्बन्ध है, संभवतः उन में से एक इंगलैंड में है । वह अब नौकरी में नहीं है दूसरे अधिकारी ने भी नौकरी छोड़ दी है और अब हमारे साथ नहीं है । उसने तो इन कार्यवाहियों के हमारे सामने आने के बहुत पहले ही नौकरी छोड़ दी थी ।

श्री टी० एन० सिंह : मेरा प्रश्न इस घटना से सम्बन्धित नहीं था । कहा यह गया था कि सरकारी रुपये का वसूल करना द्वितीयक दंड या दुहरा दंड है । मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सरकारी नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रकाश डाला जाये ।

श्री त्यागी : सरकारी धन उसी व्यक्ति से वसूल किया जा सकता है जिस के विरुद्ध अपहार का अपराध प्रमाणित हो जाय । जहां तक सैनिक इंजीनियरों का प्रश्न है उन के विरुद्ध अपहार का कोई अपराध नहीं था । उन के विरुद्ध तो केवल असावधानी का ही अपराध लगाया गया था । रोकड़िया के विरुद्ध न्यायालय में मुकद्दमा चलाया गया था । परन्तु वह छूट गया । न्यायालय से बरी हो जाने पर उसके विरुद्ध सरकारी रुपया वसूल करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी । यह स्थिति है श्रीमान् ।

दोहरे कर से बचाव

*१२२३. **डा० एम० एम० दास :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) किन विदेशों के साथ द्विपाक्षिक करार (१) किये जा चुके हैं (२) करने का विचार है जिससे इस देश में विदेशी व्यापार संस्थाओं की आयों को दोहरे कर से बचाया जा सके ;

(ख) ऐसे करारों से लाभान्वित होने वाली व्यापार संस्थाओं की (देशवार) संख्या ;

(ग) ऐसे करारों से भारतीय राज्य कोष में आय-कर के रूप में होने वाली कुल कितनी वार्षिक राशि का मिलना बन्द हो जायेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) भारत ने अभी ये द्विपाक्षिक करार किये हैं :

(१) दोहरे आय-कर से बचाने के लिये अदन तथा कीनिया के अंगरेजी उपनिवेश तंगानियका, युगांडा, जंजीवार, गोल्डकोस्ट, नाइजिरिया, सीरिया, लियोन गोम्बिया, एवं मारीशस से, तथा

(२) दोहरे कर के सहायता देने के लिये पाकिस्तान से ।

दोहरे कर को बचाने के प्रश्न पर बर्मा, लंका, इंगलैंड, तथा केनेडा की सरकारों के करार विचारधीन हैं । ऐसे करारों से विदेशों में कार्य करने वाली भारतीय व्यापारिक संस्थाओं तथा साथ ही विदेशी व्यापारिक संस्थाओं को भारत में व्यापार करने में सहायता मिलती है ।

(ख) और (ग) । वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है और उस को एकत्रित करने में काफी समय तथा परिश्रम करना होगा जो निश्चित किये गये परिणाम के बराबर नहीं भी हो सकता है ।

डा० एम० एम० दास : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि वर्ष १९४९ में संयुक्त सामराज्य से ऐसे करार के लिये पत्र व्यवहार आरम्भ किया गया था, क्या मैं जान सकता हूं कि वे टेक्नीकल कठिनाइयां क्या हैं जिनके कारण संयुक्त सामराज्य के साथ ऐसा करार सम्भव नहीं हो सका है ?

श्री एम० सी० शाह : पत्र व्यवहार चल रहा है । इस में कुछ हिचकिचाहटें हैं और जब वे दूर हो जाती हैं तो कुछ और भी हिचकिचाहटें रह जाती हैं और इसी कारण मामला अभी तक विचारधीन है ।

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय मंत्री बता सकें तो एक दो उन कठिनाइयों के वास्तविक प्रकार बता दें, मैं वही जानना चाहता हूं ।

श्री एम० सी० शाह : नवीनतम कठिनाई जहाज संबंधी आयों के विषय में है ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं श्रीमान् कि विदेशी समवायों में अंशभागियों के लाभांश द्वारा भारत में कमाई हुई आय पर आय-कर लगाना तथा वसूल करना किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि अथवा पृथा के द्वारा मान्य है ?

श्री एम० सी० शाह : यह सब इस पर निर्भर करता है कि करदाता निवासी है अथवा नहीं। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके अनुसार कर लगाये जाते हैं। यदि वह निवासी है तो उस आय पर कर लगता है ; और यदि वह निवासी नहीं है तो इस के लिये दूसरा उपाय है ।

डा० एम० एम० दास : किस देश का निवासी ?

श्री एम० सी० शाह : कर लगान वाले देश का निवासी ; भारत का निवासी यदि वही कर लगाने वाला है तो ।

श्री टी० एन० सिंह : १९५१ में वित्त अधिनियम में, पूंजी लगाने वाले विदेशियों पर दोहरे कर के प्रश्न को हल करने के लिये जिसमें कई मामले आ गये थे, संशोधन किया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि इस विशेष संशोधन से भारत में पूंजी लगाने वाले विदेशियों को और विदेशों में पूंजी लगाने वाले भारतियों को उनकी आय तथा भारत के कर सम्बन्धी दावों से कुछ मुक्ति मिली है ?

श्री एम० सी० शाह : नवीनतम संशोधन से भारत सरकार को विदेशों से दोहरे कर से बचाने अथवा दोहरे कर को बचाने वाले करारों के सम्बन्ध में वार्ता में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है । हम उस संबंध में अभी वार्ता कर रहे हैं ।

विदेशों में मंत्री का दौरा

*१२२४. **डा० एम० एम० दास :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसी केन्द्रीय मंत्री के विदेश जाने का निर्णय स्वयं मंत्री द्वारा किया गया है अथवा विदेशों में ऐसे दौरे के लिये केबिनेट की अनुमति की आवश्यकता होती है ;

(ख) ऐसे दौरों के व्ययों का सरकार द्वारा भुगतान करने के संबंध में क्या कोई स्थाई नियम हैं ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो वे तथ्य जिन पर निश्चय करते समय यह विचार किया जाता है कि ऐसे दौरों पर किये जाने वाले व्ययों का भुगतान जनता द्वारा किया जायगा ?

गृह-कार्य उप मंत्री (श्री दातार) : (क) केन्द्रीय मंत्री के प्रत्यावेदन पर विदेश जाने

के लिये केबिनेट की सहमति लेनी पड़ती है ।

(ख) तथा (ग) । मंत्रियों के विदेशी दौरों के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं हैं । किसी मंत्री अथवा केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारी को प्रत्यावेदन पर विदेश जाने के लिये केवल उसी दशा में अनुमति प्राप्त है जबकि वह लोक हित में हो । यदि प्रत्यावेदन सरकारी कार्य के संबंध में किया गया है, तो व्यय सरकार द्वारा किया जाता है ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान, कि क्या यह तथ्य है कि मंत्रालय के महत्व को देखते हुए किसी केन्द्रीय मंत्री का विदेशों में जाना अनुपाततः कम अथवा अधिक होता है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : यदि मैं ऐसा कहूं, श्रीमान्, कि यह प्रश्न दोषारोपण करता है, जो मैं समझता हूं, कि अत्यन्त अनुचित है । मेरा विचार है कि केन्द्रीय मंत्री बहुत कम विदेश गये हैं । और यदि गये भी होंगे तो लगभग सदैव ही किसी न किसी आवश्यक सम्मेलन के सम्बन्ध में ही गये होंगे । मैं भी विदेशों को कभी-कभी प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन, या यूनेस्को, या संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मेलन में भाग लेने के लिये ही गया हूं । ये सम्मेलन बड़े ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक थे, यद्यपि यह हो सकता है कि उन माननीय सदस्य ने जिन्होंने यह प्रश्न रखा है, इनकी महत्ता को भली प्रकार न समझा हो, या विश्व के मामलों में उनका क्या भाग है, यह न समझा हो तथा हमारे लिये विश्व स्वास्थ्य संघ तथा यू० एन० आई० सी० ई० एफ० जैसी संस्थाओं ने क्या भलाई की है इसे न समझ सके हों । हमारी आपत्ति तथा विभिन्न संस्थाओं के निर्माण में इनका जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ वह विचारणीय है ।

मंत्री लोग विदेशों को एक बारगी नहीं जाते । उनका जाना संबंधित सरकारों तथा संगठनों के परामर्श से निश्चित किया जाता है । वे एकाएक टिकट कटा कर नहीं चल देते हैं । उनके कार्यक्रम निश्चित किये जाते हैं, हमारे राजदूतों को सूचित किया जाता है । यह एक बडी पेचीदा चीज़ है । निश्चय ही, जब कोई मंत्री विदेश जाता है तो किसी सम्मेलन में कब तक ठहरना, कब तक वापस आना, और कहां कहां जाना होगा इन सब का निर्णय उसकी इच्छा पर निर्भर रहता है । यह मंत्री ही तय करता है । सभी चीज़ें उसके यहां से जाने के बहुत पहले ही निश्चित हो जाती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भी केवल यही कहना है कि ऐसी अचानक आलोचनाएं, सामान्यीकरण अथवा दोषारोपण नहीं किये जाने चाहिये। यदि माननीय सदस्य के मस्तिष्क में कोई विशेष बात है जिसके सम्बन्ध में वह यह समझते हैं कि कोई मंत्री किसी आवश्यक कार्य से विदेश नहीं गये थे और वह इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो वह उस मामले की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं । इस प्रकार के सामान्यीकरण बचाये जाने चाहिये ।

प्रौढ़ अंधों का प्रशिक्षण केंद्र

***१२२५. श्री राधा रमण :** (क) क्या शिक्षा मंत्री प्रौढ़ अंधों के प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून में इस समय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) वे विभिन्न उद्योग कौन कौन से हैं जिनमें इनको प्रशिक्षा दी जा रही है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :

(क) १३६

(ख) साधारण कुटीर उद्योग के तरह के हस्त उद्योग जैसे सूती तथा ऊनी कपड़ों का बुनना, कातना तथा कुर्सियों का बेंत से बुनना आदि ।

श्री राधारमण : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि भारत सरकार के पास इस देश के प्रौढ़ अंधों की संख्या के आंकड़े हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारे पास आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु उपलब्ध सूचना से इतना ज्ञात होता है कि इस देश में लगभग बीस लाख नेत्र विहीन लोग हैं ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि इस शिक्षा संस्था में किन किन राज्यों से नेत्र विहीन लोग प्रवेश किये जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : किन्हीं भी राज्यों के लिये स्थान सुरक्षित नहीं हैं ।

श्री एस० एन० दास : इस तथ्य की दृष्टि से जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि किन्हीं भी राज्यों के स्थान सुरक्षित नहीं हैं, क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान्, ये प्रौढ़ अंधे किन राज्यों से आये हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : इस अवस्था पर कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान, कि इस स्कूल में केवल प्रौढ़ ही प्रवेश पा सकते हैं अथवा लड़के भी प्रवेश किये जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : कोई भी १८ बर्ष से ४० वर्ष के बीच का व्यक्ति प्रवेश पाने का अधिकारी है ।

श्री वीर स्वामी : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान, कि सभी नेत्र विहीन बच्चों को विभिन्न व्यवसायों में शिक्षा देने की कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "क्या कोई नेत्र विहीन बच्चों के लिये ऐसा स्कूल है जहां उनको विभिन्न व्यवसायों में शिक्षा दी जाती है ? "

श्री के० डी० मालवीय : हां, नेत्र विहीनों के लिये ऐसे स्कूल हैं ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि इस शिक्षा संस्था में विद्यार्थियों के प्रवेश पाने के लिये क्या शर्तें हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस के अतिरिक्त, कि उसकी आयु १८ से ४० वर्ष के अन्दर होनी चाहिये, अन्य शर्तों का पता नहीं है ।

श्री बूवराघसामी : इन प्रशिक्षार्थियों का व्यय सरकार देती है अथवा प्रशिक्षार्थी स्वयं ?

श्री के० डी० मालवीय : व्यय सरकार ही देती है ।

मौलाना आजाद : इस केन्द्र के सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार ही देती है ।

श्री बूवराघसामी : में इस उत्तर को नहीं समझ सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उत्तर तो उचित भाषा--देश की राज्य भाषा में दिया गया है । माननीय सदस्य देश की स्वीकृत राज्य भाषा पर आक्षेप नहीं कर सकते । किन्तु मैं उनके प्रश्न की सूचना, जहां तक इस केन्द्र का सम्बन्ध है, अवश्य दूंगा, कि इसका व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जाता है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि इस स्कूल में नेत्र विहीन स्त्रियां भी प्रवेश पा सकती हैं ?

मौलाना आज़ाद : ऐसी कोई शर्त नहीं है कि केवल नेत्र विहीन पुरुष ही प्रवेश किये जायं ।

विदेशों में पढ़ने वाले विद्यार्थी

*१२२६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी छात्रवृत्ति द्वारा वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में कितने भारतीय विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये विदेश भेजा गया है ; और

(ख) कितने विद्यार्थियों को शैक्षणिक वर्ष १९५३-५४ में भारत स्थित अमरीकन शिक्षा संस्था द्वारा पारिषधता दी गई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की छात्रवृत्ति द्वारा किसी भारतीय विद्यार्थी को पढ़ने के लिये विदेश नहीं भेजा गया ।

(ख) कोई नहीं ।

सदन के माननीय सदस्यों ने छात्रवृत्ति योजनाओं के विषय में बहुत सी बातें पूछी हैं, इसलिये मैं अधिक संक्षेप में विभिन्न योजनाओं की बाबत बतलाना चाहता हूं । तीन मुख्य छात्रवृत्ति योजनायें हैं, जिनके अधीन लोगों को शैक्षणिक और व्यावहारिक विद्याप्राप्ति के निमित्त बाहर भेजा जाता है :

(१) संशोधित विदेश छात्रवृत्ति योजना ।

(२) केन्द्रीय राज्य छात्रवृत्ति-योजना ।

(३) भारत-जर्मन औद्योगिक सहयोग योजना ।

इनके अतिरिक्त टैक्निकल ऐक्सचेंज एग्रीमेंट (शिल्पिक विनिमय क़रार) भी हैं, अर्थात् फ़ुलब्राइट एग्रीमेंट । अमरीकन टैक्निकल फ़ाउण्डेशन प्रति वर्ष अनुसन्धान करने वाले छात्रों और अध्यापकों आदि को यात्रा के लिये बहुत से अनुदान देती है । इन चार योजनाओं के अधीन छात्र अध्ययन करने के लिये विदेशों में जाते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या विभिन्न छात्रवृत्तियों की राशियां बराबर हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : वे भिन्न भिन्न हैं । उनकी शर्तें एक जैसी नहीं हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : विभिन्न छात्रवृत्तियों की राशियों में क्या अन्तर है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : पुरानी स्कीम जो ओवरसीस स्कालरशिप की थी वह खत्म कर दी गई । दो वर्ष से वह स्कीम नहीं चल रही है । अब एक नयी स्कीम चलाई गयी है । इस में आम तौर पर स्टूडेंट्स नहीं लिये जाते हैं बल्कि यूनिवर्सिटियों के ऐसे टीचर जिनको यूनिवर्सिटी भेजना चाहे उन को लिया जाता है । इस सूरत में आधा खर्च यूनिवर्सिटी उठाती है, आधा खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाता है । सरविस के ऐसे जूनियर मैन जो काबलियत बढ़ाना चाहते हैं उन को भी लिया जाता है । इस लिये जवाब में कहा गया कि इस साल कोई स्टूडेंट नहीं भेजा गया क्यों कि अब इस तरह स्टूडेंट भेजने की स्कीम नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : इन छात्रवृत्तियों के अनुसार जो विद्यार्थी अब तक भेजे गये थे और जो अब लौट कर आ गये हैं क्या उनको सरकार ने कोई नौकरियां दे दी हैं और अभी उनमें से कितनों को नौकरियां नहीं मिली हैं ?

मौलाना आज़ाद : गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है । मैं इस वक्त ठीक फ़िगर्स

नहीं बतला सकता लेकिन मेरा ख्याल है तक़रीबन सब को नौकरियां मिल गयी हैं ।

श्री नानादास: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये केन्द्रीय छात्रवृत्ति मण्डल ने अनुसूचित जातियों के लोगों को विदेशों में भेजना बन्द कर दिया है, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने एसे लोगों को सामान्य योजना के अधीन विदेशों में अध्ययन करने के लिये भेजने के निमित्त क्या कार्यवाई की है ?

श्री के० डी० मालवीय: मण्डल की सिफ़ारिशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के लिये छात्रवृत्तियां बन्द कर दी गई हैं । परन्तु वे इस पर फिर विचार कर रहे हैं कि क्या अनुसूचित जातियों और पिछड़ी हुई श्रेणी के लोगों को विदेश में अध्ययन करने के लिये भेजना सम्भव हो सकता है ।

अकाल सहायता

*१२२७. **सेठ गोविन्द दास:** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५२ से लेकर जून, १९५३ तक मद्रास राज्य को पंच वर्षीय योजना के लिये कितना रुपया दिया गया तथा अकाल सहायता के लिये कितना रुपया दिया गया है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत): राज्यों को केन्द्रीय सहायता साधारणतया वर्ष के अन्तिम महीनों के बीच पूरे वित्तीय वर्ष के लिये दी जाती है, इस कारण महीनों के अनुसार आंकड़े बतलाने में भ्रामक होगा । वित्तीय वर्ष १९५१-५२ और १९५२-५३ की जानकारी का विवरण पत्र सदन पटल पर रखा गया है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५]

श्री एम० डी० रामस्वामी: क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या तामिलनाद में हाल में हुई अकाल की अवस्था को सुधारने के लिये कुछ अनुदान दिया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह पंच वर्षीय योजना है और हाल की अकाल अवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी: क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार ने अकाल सहायता के लिये निवेदन किया था, और यदि हां, तो कितनी सहायता के लिये और कितनी रक़म अनुदान के रूप में और कितनी ऋण के रूप में दी गई थी ?

श्री बी० आर० भगत: १९५२-५३ में मद्रास सरकार को अनुदान के रूप में ४७ लाख रुपये की रक़म अकाल सहायता के लिये दी गई थी, और दो करोड़ रुपये की रक़म ऋण के रूप में दी गई थी । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि कितनी रक़म की सहायता मांगी गई थी, मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं । परन्तु यह रक़म इस सिद्धान्त के अनुसार दी गई थी कि इस उद्देश्य के लिये कुल रक़म का ५० प्रतिशत राज्य सरकार अपने पास से खर्च करे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी: क्या इस का निर्देश दलिया केन्द्रों के लिये दिये गये रुपये से है ?

श्री बी० आर० भगत: यह सामान्य सहायता के लिये है ।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के बीच अब तक अकाल सहायता के लिये कितनी रक़म दी है ?

श्री बी० आर० भगत: मुझे खेद है कि मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं ।

महिला छात्राएं

*१२२८. **श्री राधा रमण:** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की छात्रवृत्ति के द्वारा कितनी महिला छात्रायें विदेशों में पढ़ रही हैं ?

(ख) उनके अध्ययन के विभिन्न विषय कौन कौन से हैं ?

(ग) वे किन विश्वविद्यालयों में पढ़ रही हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):

(क) ७।

(ख) (१) फ़िज़िओथिरेपी (शरीर-चिकित्सा)।

(२) अर्थशास्त्र।

(३) साहित्यिक समालोचना की नवीन पद्धतियां।

(४) ललित कलायें।

(५) इण्डोलोजी (भारत शास्त्र)।

(६) संगीत।

(ग) (१) लन्दन यूनिवर्सिटी लन्दन।

(२) यूनिवर्सिटी आफ़ गौटिंगन, वैस्ट जर्मनी।

(३) फ्रैडरिक विल्हैम्ज़ यूनिवर्सिटी, वैस्ट जर्मनी।

(४) आर्ट अकैडमी, म्यूनिच, वैस्ट जर्मनी।

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य चुप रहें। मैं देखता हूं कि तीन सदस्य आध घण्टे से परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। मुझे इसका खेद है कि सदस्यों के इस प्रकार गुट बन जाते हैं और वे सदन को गोष्टी क्षेत्र बना लेते हैं। इस प्रकार सदन का नियंत्रण नहीं चल सकता। मैं पांच मिनट की छुट्टी देता हूं ताकि सब लोग चुप हो जायें। कुछ सदस्यों को छोड़ कर कोई भी सदस्य अपने उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करते। मैं इस प्रकार से शोर नहीं सुन सकता। कभी शोर बढ़ जाता है, और जब मैं ऐसा न करने के लिये कहता हूं तो शोर कम हो जाता है।

श्री राधा रमण: क्या मैं यह जान सकता हूं कि इनमें से कितनी छात्रवृत्तियां सरकारी कर्मचारियों को मिली हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: सूची से मैं ऐसा पता नहीं लगा सकता कि वे सरकारी कर्मचारी हैं अथवा नहीं। मैं नाम पढ़ सकता हूं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का ऐसा विचार है कि सरकार केवल ऐसी ऊंची शिक्षा के लिये विदेश छात्रवृत्ति दे, जिस के लिये भारत में सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, साधारणतया ऐसा ही है।

श्रीमती ए० काले: क्या मैं छात्रवृत्ति पाने वाली छात्राओं के नाम जान सकती हूं ?

श्री के० डी० मालवीय: सात छात्राओं में से चार छात्रायें संशोधित विदेश छात्रवृत्ति योजना के आधीन गई हैं, और उनके नाम ये हैं:

(१) श्रीमती रमोला नन्दी, एम० ए० (अर्थशास्त्र)।

(२) श्रीमती शारदा देवी, वेदालंकार।

(३) कुमारी के० भट्टाचार्य।

(४) कुमारी जे० एम० मोनियार।

और बाक़ी छात्रायें भारत-जर्मन औद्योगिक सहयोग योजना के अधीन गई हैं और उनके नाम ये हैं:

(१) श्रीमती मीरा देवी गोस्वामी ।

(२) कुमारी कुसुम मित्तल ।

(३) कुमारी त्रीणा राय सुराशेर ।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या किसी महिला छात्रा को औषधि शास्त्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति दी गई है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): जी नहीं ।

श्री के० डी० मालवीय: कुमारी के० भट्टाचार्य को शरीर-चिकित्सा शास्त्र के लिये छात्रवृत्ति दी गई है । मुझे इसका निश्चयात्मक रूप में पता नहीं कि यह औषधि शास्त्र के अन्तर्गत है अथवा नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या वे विषय जिनके लिये इन महिलाओं को विदेश में भेजा गया है, पंच वर्षीय योजना की आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखते हैं अथवा उन महिलाओं के वापिस आने पर उनका कुछ उपयोग उठाया जायगा ?

श्री के० डी० मालवीय: हमें इसका भी ध्यान है और जब वे वापिस आयेंगी तो सामान्यतया उनको काम में लगाया जायगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या नौकरी के सम्बन्ध में कोई प्रत्याभूति दी गई है ?

मौलाना आजाद: हां । जो भेजी गई हैं वह यही समझ कर भेजी गई हैं कि वह वापिस आयें तो बेकार न रहें । उन में से तीन को सर्विस कमीशन के मशवरा से भेजा गया है ।

श्री राधा रमण: क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन छात्रवृत्तियों पर कुल कितनी रक़म खच की गई है और क्या इसमें छात्रवृत्ति पाने वाली छात्राओं के सब खर्चे आ जाते हैं ?

मौलाना आजाद: टोटल इस वक्त नहीं बताया जा सकता ।

श्री के० डी० मालवीय: भारत-जर्मन औद्योगिक सहयोग योजना के सम्बन्ध में साधारणतया ५० प्रतिशत खर्चा छात्र अथवा छात्र को पोषित करने वाले प्राधिकारी द्वारा और ५० प्रतिशत जर्मनी द्वारा झेला जाता है ।

डा० राम सुभग सिंह: प्रश्न नं० १२२६ के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि विदेश छात्रवृत्तियां पिछले दो वर्षों से बन्द कर दी गई हैं । क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन महिला छात्राओं को कब बाहर भेजा गया था ?

श्री के० डी० मालवीय: ये बन्द नहीं हुई हैं, परन्तु ये सीधे छात्राओं को नहीं दी जातीं । यही बात माननीय मंत्री जी ने कही है । यह भारत सरकार की तीन योजनाओं में बांट दी गई हैं । और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा मंत्रालय इसे विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और उच्च शिक्षा वाली संस्थाओं में अनुसन्धान का काम करने वाले छात्राओं की योग्यता प्राप्ति के निमित्त सीमित रखता है । और यह साधारणतया छात्राओं को सीधे नहीं दी जाती ।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या मैं यह जान सकता हुं कि कितनी छात्रायें संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिये गई हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: इसके दोबारा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्यों को सतर्क और सावधान रहना चाहिये । यह बतलाया गया था कि संगीत की शिक्षा के लिये केवल एक ही छात्रा गई है । इस शिक्षा के लिये कोई पचास छात्रायें थोड़ा ही गई हैं, परन्तु प्रश्न फिर पूछा गया है ।

श्री गिडवानी: श्रीमान्, मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या १२२९ तथा १२३० को एक साथ लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: ये दोनों साथ रखे जा रहे हैं ?

श्री ए० सी० गुहा: श्रीमान्, क्या मैं प्रश्न संख्या १२२९ तथा १२३० दोनों का एक साथ उत्तर दूं ?

उपाध्यक्ष महोदय: यही तो वे कह रहे हैं ।

शराब का तस्कर व्यापार

*१२२९. **श्री गिडवानी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष १९५२ में बम्बई सीमा शुल्क विभाग के कुछ अधिकारी शराब के तस्कर व्यापार के मामलों में शामिल थे ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या उन पर किसी सक्षम न्यायालय में मक़दमा चलाया गया था ;

(ग) क्या वे अपराधी ठहराये गये थे ;

(घ) उनको क्या दण्ड दिया गया था ; तथा

(ङ) क्या उन्हें सरकारी नौकरी में रहने दिया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) शराब के तस्कर व्यापार में कोई भी अधिकारी शामिल नहीं था । किन्तु बम्बई मद्यनिषेध अधिनियम के अन्तर्गत तीन अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था ।

(ख) से (ङ) तक । उनमें से दो को प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया और तीसरे के मामले में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है । पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण दो अधिकारियों को कोई विभागीय दण्ड नहीं दिया गया था । तीसरे के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के प्रश्न पर तब विचार किया जायगा जब उसके विरुद्ध फ़ौजदारी मुक़दमा खत्म हो जायगा ।

शराब का तस्कर व्यापार

*१२३०. **श्री गिडवानी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष १९५२ में बम्बई सीमा शुल्क विभाग के कुछ अधिकारी शराब के तस्कर व्यापार के मामलों में शामिल थे ;

(ख) क्या अगस्त, १९५२ में उसकी जांच की गई थी और इन मामलों पर सीमा-शुल्क विभाग के कलक्टर ने फ़ैसला किया था ;

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या वे अपराधी ठहराये गये थे ;

(घ) उनको क्या दण्ड दिया गया था ; तथा

(ङ) क्या उन्हें सरकारी नौकरी में रहने दिया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) शराब के तस्कर व्यापार में कोई भी अधिकारी शामिल नहीं था । किन्तु चार अधिकारियों पर अनधिकृत रूप से शराब रखने का आरोप लगाया गया था ।

(ख) से (ङ) तक । उनमें से तीन को प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया और चौथे को एक दिन की सादी क़ैद की सज़ा दी तथा ५०० रुपये जुर्माना किया अथवा उसके न देने पर ६ सप्ताह की कड़ी सज़ा दी । चार मामलों में से दो में विभागीय जांच की गई थी । एक मामले में एक अधिकारी अपराधी सिद्ध हुआ था और उसे नौकरी से हटा दिया गया था । दूसरे मामले में, एक अधिकारी की वेतन वृद्धि एक वर्ष के

लिये बन्द कर दी गई थी । अन्य दो मामलों में साक्ष्य न होने के कारण कोई विभागीय जांच नहीं की गई थी ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि जब श्री डिक ड्यूटी पर थे तब उन्हें डोकस में से शराब का तस्कर व्यापार करते समय मौक़े पर पकड़ा गया था और बलार्ड पियर के फ़ौजदारी न्यायालय में उन पर मुक़दमा चला और सज़ा दी गई और उच्च न्यायालय ने उनकी अपील रद्द कर दी थी ; तथा मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें सरकारी नौकरी में फिर से रख लिया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं ने बताया तो कि एक आदमी का अपराध सिद्ध हुआ था और उसे एक दिन की सादी क़ैद की सज़ा दी गई थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि वह अब भी नौकरी में है या नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : जी हां । वह नौकरी में लगा हुआ है । क्योंकि हमने मंत्रालय से परामर्श लिया और उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं था और इसे नैतिक दुराचार नहीं समझा गया था ।

श्री गिडवानी : उच्च न्यायालय ने उस की अपील रद्द कर दी है और माननीय मंत्री ने यह बताया कि उसे फिर से नौकरी में रख लिया गया है । क्या यह नैतिक दुराचार का मामला नहीं है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि हमने विधि मंत्रालय से परामर्श लिया था और हमें यह बताया गया था कि ऐसे मामलों में तस्कर व्यापार का आरोप नहीं लगाया जा सकता । गृह-मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार इसे नैतिक दुराचार का कार्य नहीं समझा गया था और मैं गृह-मंत्रालय के परिपत्र का प्रासंगिक भाग पढ़ सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अपराध सिद्ध हो जाने पर भी ऐसा होता है ?

श्री ए० सी० गुहा : बात यह है कि मद्य निषेध का उल्लंघन करने के अपराध सिद्ध होने के मामले में नौकरी से हटाना ज़रूरी नहीं है । ऐसा गृह मंत्रालय का परिपत्र है और हमने उसी के अनुसार कार्य किया है ?

कई माननीय सदस्य : क्यों नहीं ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : चूंकि माननीय गृह-मंत्री यहां हैं, क्या वह इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरा सुझाव यह है कि इस मामले की फिर से छानबीन की जाय और इसे फिर से उठाया जा सकता है ।

श्री ए० सी गुहा : हम इस मामले की पहिले से ही जांच कर र हैं ।

श्री जवहरलाल नेहरू : अब यह प्रधान मंत्री को निर्दिष्ट कर दिया जायगा ।

टैक्निकल कर्मचारियों का प्रशिक्षण

*१२३१. **श्री सी० भट्ट** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैम्पेन जनरेल दि टेलीग्राफ़ सांफि आर्गेनाइजेशन की फ़ैक्टरियों में निर्माण, परीक्षण, विकास तथा अन्य विभागों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चुने गये टैक्निकल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, उनके नाम तथा योग्यतायें क्या हैं ;

(ख) यह कम्पनी कहां है; तथा

(ग) प्रशिक्षण की अवधि कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १२ प्रशिक्षणार्थी चुने गये हैं ; उनकी

योग्यतायें तथा उनके नाम सदन पटल पर रखे गये विवरण में दिये हुये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६**]

(ख) चोले (फ्रांस)।

(ग) लगभग एक वर्ष।

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्यों को शान्त रहना चाहिये।

श्री सी० भट्ट: इन कर्मचारियों पर कितना व्यय होगा और उनके प्रशिक्षण समाप्त होने तक उस खर्चे को कौन उठायेगा?

श्री सतीश चन्द्र: प्रशिक्षण पर लगभग १,३०,२०० रुपया खर्च होगा और यह भारत इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्रीज़ के लेखे में लिखा जायगा।

श्री सी० भट्ट: टैक्निकल कर्मचारियों का अगला चुनाव कब किया जायगा और क्या चुने जाने वाले कर्मचारियों की योग्यताओं में कोई परिवर्त्तन किया जायगा?

श्री सतीश चन्द्र: अब तक सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं आया। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री एन० एम० लिंगम: मैं जान सकता हूं कि किन कारणों से प्रशिक्षण के लिये यह विशेष स्थान चुना गया था?

श्री सतीश चन्द्र: सी० एस० एफ़० के०, जिसके साथ सरकार ने भारत में टैलीकम्युनिकेशंस फ़ैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध में टैक्निकल सहायता प्राप्त करने के बारे में समझौता किया है, कारखाने इसी विशेष स्थान पर हैं।

सामान्य भविष्य निधि

*१२३२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधायें देने का है;

(ख) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को ये सुविधायें पहिले से ही दे दी गई हैं; तथा

(ग) डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को यह सुविधायें देने तथा उसी श्रेणी के अन्य सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधायें न देने का कारण क्या है?

वित्त उपमंत्री (श्री एम०सी०शाह): (क) से (ग) तक। डाक तथा तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने लगातार इस बात की मांग की कि उन्हें सामान्य भविष्य निधि में रुपया जमा करने की अनुमति दी जाय। उन कर्मचारियों को उस निधि में स्वेच्छा से रुपया जमा करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में आदेश इस वर्ष के आरम्भ में जारी किये गये थे। इस समय किसी अन्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा या उनकी ओर से उसी प्रकार की मांग नहीं की गई है। जब इस प्रकार की मांग की जायगी, तो डाक तथा तार विभाग में की गई प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त अनुभव के आधार पर अन्य कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की सुविधायें देने के प्रश्न पर उचित रूप से विचार किया जायगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या इसका अर्थ हम यह समझें कि किसी अन्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने इस प्रकार की मांग नहीं की है?

श्री एम० सी० शाह: जी नहीं:

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं जान सकती हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह धन राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाया जा सकता है, किन कारणों से सरकार इन नियमों को प्रत्येक विभाग पर नहीं लगाती?

श्री एम० सी० शाह: डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को भी यह रियायत देने में लेखा सम्बन्धी बहुत सी कठिनाइयां थीं। इसके लिये बहुत से लेखे खोलने पड़ेंगे और इस मामले में जितना परिश्रम किया जायगा वह दी जाने वाली सुविधाओं को देखते हुये बहुत अधिक होगा। इसीलिये, पहिले हम इस बात से सहमत नहीं हुये थे। किन्तु इस मामले की और अधिक जांच की गई और यह रियायत दी गई। यदि अन्य कर्मचारी भी इस प्रकार की मांग करेंगे तो उस पर उचित रूप से विचार किया जायगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: बात को ध्यान में रखते हुये कि पंच वर्षीय योजना के लिये थोड़ी बचत वाली योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है, मैं जान सकती हूं कि क्या ये योजनायें इस मामले में भी चलाई जा सकती हैं ?

श्री एम० सी० शाह: यदि यह मांग की गई तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री मुनिस्वामी: क्या माननीय मंत्री हमें यह बता सकते हैं कि डाक तथा तार घर के बहिर्विभागीय कर्मचारियों को भी य सुविधायें दी जायेंगी ?

श्री एम० सी० शाह: इस प्रश्न का सम्बन्ध चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से है। चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की सुविधायें दी गई हैं। इसमें बहिर्विभागीय कर्मचारियों का प्रश्न नहीं है।

श्री मुनिस्वामी: बहिर्विभागीय कर्मचारी संघ ने ऐसी सुविधायें दिये जाने की मांग की थी।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं ? अगला प्रश्न।

जमैयतुल इस्लाम

(भारतीय तथा पाकिस्तानी)

*१२३३. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का ध्यान "इंडियन नेशन" पटना के २४ दिसम्बर, १९५२ तथा ४ तथा १८ जनवरी, १९५३ के संस्करणों में प्रकाशित जमैयतुल इस्लाम की गतिविधियों की ओर दिलाया गया है; तथा

(ख) यदि दिलाया गया है, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी हां।

(ख) सरकार जमायते-इस्लामी की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करती रहती है। जब कभी आवश्यक होगा, इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या सरकार को मालूम है कि बिहार सरकार ने सरकारी नौकरों को जमैयतुल इस्लामी में भाग लेने से मना किया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): बिहार गवर्नमेंट से इसके मुताल्लिक दरियाफ्त करूंगा।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या सरकार को मालूम है कि जमैयतुल इस्लामी की जो हिन्दुस्तानी शाखा है, उसका अमीर पाकिस्तानी नागरिक है ?

डा० काटजू: वह लाहौर में रहता है, इतना मालूम है।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या सरकार को मालूम है कि जमैयतुल इस्लामी के फ़ाउंडर और सदर मदूदी साहब को पाकिस्तान में

१४ साल की सज़ा इस वास्ते दी गयी है कि हम सेकुलर सरकार में विश्वास नहीं करते ?

डा० काटजू : यह ख़बर मैं ने पढ़ी है कि उनको सज़ा हुई है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को यह मालूम है कि जमैयतुल इस्लाम के लोग जब नेशनल ऐन्थम गाया जाता है तो स्टैंड नहीं होते ।

डा० काटजू : मुझे मालूम नहीं है ; इसके बारे में आपको मालूम होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि इसके सभापति लाहौर में रहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि यहां की शाखा के सभापति होने की उनको कैसे इजाज़त दी गई ?

डा० काटजू : इजाज़त किसी ने मांगी नहीं, इजाज़त का सवाल ही नहीं है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : यह संस्था यहां हिन्दुस्तान में कितने दिनों से काम कर रही है ?

डा० काटजू : जहां तक मुझे मालूम है, कई वर्षों से ; गालिबन आठ, दस साल से ।

श्री टी० एन० सिंह : हम यह जानना चाहते थे कि इस संस्था का संचालन प्रैसीडैंट महोदय यहां से बाहर रहते हुये कैसे करते हैं, या क्या उनको कभी कभी उसका संचालन करने के लिये यहां नहीं आना पड़ता है ?

डा० काटजू : उनकी आमदरफ्त का हाल मुझे मालूम नहीं, बाक़ी डाक खुली हुई है, ख़त वगैरह भेजते होंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि जमैयतुल इस्लाम के साहित्य में हमारे प्रधान मंत्री को सुपरफलुअस थिकर के नाम से सम्बोधित किया गया है?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : किस नाम से ?

श्री रघुनाथ सिंह : सुपरफलुअस थिंकर । किताब का नाम है, "प्राब्लम आफ़ नेशनलिज़्म" पेज २२६ और २२७ पर हमारे प्रधान मंत्री साहब के बारे में कहा गया है कि वह सुपरफलुअस थिंकर हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई गाली नहीं है ।

डा० काटजू : लफ़्ज सुपरफलुअस किस कंटैक्सट में आता है, किस चीज़ के लिए आता है, यह देखना चाहिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सुपरफलुअस थिंकर, सुपरफलुअस टाकर से बेहतर होता है, कम अज़ कम दूसरे का नुकसान नहीं करता है । यह जो यहाँ पर जमैयतुल इस्लाम की चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में तो मैं अर्ज़ करूंगा कि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वह कौन है और कहां है, वह छिपी हुई नहीं है, वह एक मज़हबी जमात अपने को कहते हैं और हो सकता है कि वह किन्हीं सियासी बातों में दखल दें और अपनी राय दें पिछले इतने वर्षों से तो वह अलग अलग काम करते आ रहे हैं, मौलाना मदूदी साहब पहले से उस जमात के सदर हैं, सदर एक मानी में ज़रूर हैं, लेकिन हिन्दुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय उनके खत वगैरह यहां पर आ जाते हैं और जहां तक मुझे इल्म है, वह कभी यहां पर आये भी नहीं । लाहौर में जब यह कादियानी झगड़े हुए, उसके बाद उन्हें मौत की सजा हुई थी उसके बाद गवर्नमैंट ने उस मौत की सज़ा को १४ वर्ष की सज़ा में तबदील कर दिया है और वहाँ इस वक्त कैद में हैं और ज़ाहिर है कि

वहां से अब वह आसानी से सदारत का काम नहीं करते।

विदेशी सार्थ

*१२३४. डा० लंका सुन्दरम् : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशी सार्थों द्वारा अपने उपक्रम भारतीय राष्ट्रजनों को बेचे जाने के लिये क्या कार्यविधि है ?

(ख) भारत सरकार को विदेशी सार्थों से ऐसे कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें उन्होंने सरकार से अपने उपक्रम भारतीयों को बेचने की अनुमति मांगी हो तथा ऐसे आवेदकों के नाम क्या हैं; तथा

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने की स्थिति में है कि इन उपक्रमों के प्रस्तावित विक्रय मूल्य का विक्रय के परिदत्त तथा अलग अलग मूल्य से कोई सम्बन्ध है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) विदेशी उपक्रमों के भारतीय राष्ट्रजनों को बेचे जाने के सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यविधि निर्धारित नहीं है ।

(ख) विक्रय के लिये भारत सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है । हां, उपक्रमों के बेचे जाने से प्राप्त धन विनिमय नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत बाहर भेजा जाता है । जुलाई, १९४७ तथा मार्च, १९५३ के बीच की कालावधि में ७० मामलों में उक्त धन बाहर भेजने की सुविधायें दी गई तथा १४.९१ करोड़ रुपया बाहर भेजा गया । सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बतलाया गया है कि ये सार्थ किस प्रकार के थे । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७**]

(ग) सरकार को सम्बन्धित पक्षों के बीच ऐसे सौदों का विनियमन करने का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है । पौंड पावना सम्बन्धी वर्तमान समझौते के अन्तर्गत ऐसे विक्रय से प्राप्त धन स्टर्लिंग क्षेत्रों को बेरोक टोक भेजने दिया जाता है । कुछ मामलों में भारतीय समवाय अधिनियम की धारा ८७ ख ख के अन्तर्गत ऐसे सौदों की मंजूरी देने से इन्कार किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का घण्टा समाप्त हुआ ।

डा० लंका सुन्दरम् : सिर्फ एक प्रश्न और, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुमति नहीं दे सकता । प्रश्न का घंटा समाप्त हुआ ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

हिन्दी में चैक

श्री रघुनाथ सिंह : (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के महालेखापाल ने, एक अधिसूचना द्वारा, स्थानीय निकायों को, जो कि अब तक चैक हिन्दी में निर्गमित करते आये हैं, यह निदेश दिया है कि अब वे चैक हिन्दी में न लिखें और यह आदेश दिया है कि हिन्दी में लिखे चैक बैंकों द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जानती है कि हिन्दी उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है, वहां सब कार्य हिन्दी में ही होता है और उन आदेशों से स्थानीय प्रशासन में बाधा पहुंची है ?

(ग) क्या उपरोक्त आदेश भारत सरकार की किसी नीति के अनुसार निर्गमित किये गये हैं ?

(घ) क्या ये आदेश उन लोगों पर भी बन्धनकारी होंगे जो केवल हिन्दी जानते हैं और चैक हिन्दी में ही लिखते हैं ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) जी नहीं । ये आदेश राज्य सरकार द्वारा निर्गमित किये गये थे ।

(ख) सरकार जानती है कि हिन्दी उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है, परन्तु, संविधान के अन्तर्गत, लेखापरीक्षण एक संघ विषय है और संघ कार्य संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की कालावधि में अंग्रेज़ी में किया जाना है । सरकार को इस बात का कोई पता नहीं है कि माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट आदेशों के निर्गमन से स्थानीय प्रशासन में बाधा पहुंची है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो लोग अंग्रजी नहीं जानते, और जो लोग अब तक हिन्दी में चैक पर हस्ताक्षर करते थे या लिखत थे, उन के ऊपर भी यह नियम लागू होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख: उन के ऊपर भी यह नियम जरूर लागू होगा ।

सेठ गोविन्द दास: माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, वहां तक यह निर्णय हुआ था कि १५ वर्षों तक यहां पर कुल काम अंग्रेजी में चलाया जायगा, पर क्या इस के साथ यह निर्णय भी नहीं हुआ था कि इन १५ वर्षों के अन्दर भी जहां जहां पर हिन्दी में काम चलाया जा सकता है वहां पर वह अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी चलाया जाय ।

श्री सी० डी० देशमुख: अगर हिन्दी का उपयोग इस बात में किया जाय तो नियंत्रक, महालेखापरीक्षक और महालेखपाल के कार्य निर्वाह में बड़ी बाधा आने की संभावना है ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या १५ वर्ष के बाद एकाएक ओवरनाइट जितने महालेखापरीक्षक, महालेखापाल जो अंग्रेजी में काम करते रहेंगे, या जो कार्यवाहक हैं वह हिन्दी में काम शुरू कर देंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख: नहीं, इस में जो मूल नियम हैं, जो अधिनियम हैं, गौण नियम हैं, या द्विनियम हैं, उन का भाषान्तर कराने का प्रयत्न अभी से किया जा रहा है ।

श्री टी० एन० सिंह : कौन सी विशेष कठिनाई अनुभव हुई जिस के कारण पुराने तरीके को जिसमें चैक अभी हिन्दी में लिखे जा सकते हैं उस को एकदम बन्द कर दिया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न हिन्दी में लिखे चैकों के बारे में है, हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि जो चैक अभी तक हिन्दी में लिखे जाते हैं उन को एकदम से बन्द करने और अंग्रेजी में लिखवाने का क्या कारण है ?

श्री सी० डी० देशमुख: मैं ने कह दिया है कि महालेखापाल के काम में, जो कि बड़े महत्व का है, किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं आ जाना चाहिये ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि अभी भी...

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री ने यह कहा कि आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया गया था, महालेखा-पाल द्वारा नहीं ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां । स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश की सरकार से ही जानकारी क्यों नहीं प्राप्त करते ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि ये आदेश बिल्कुल युक्ति-यक्त हैं क्योंकि .....

श्री सिंहासन सिंह : युक्तियुक्त नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम यहां उत्तर प्रदेश द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों की चर्चा करेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमें तो यहां यह देखना है कि लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का कार्य सुचारु रूप से चले । कर्मचारियों में से अधिकांश अभी हिन्दी की पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं कर पाये हैं । इसके अलावा बहुत से शब्द अत्यधिक पारिभाषिक स्वरूप के हैं और, जैसा कि मैं ने पहले बतलाया, मूल नियमों, सहायक नियमों, विभिन्न अन्य नियमों तथा संहिताओं का अभी अनुवाद किया जाना है । अनुवाद हो जाने के बाद और उचित पारिभाषिक शब्दावली तैयार हो जाने के बाद कुछ समय इन महत्वपूर्ण विभागों के अधीनस्थ कर्मचारियों को हिन्दी से भली भांति परिचित होने के लिये भी दिया जाना होगा । इसके बाद हम शनैः शनैः अंग्रेज़ी के स्थान में हिन्दी का प्रयोग करने लगेंगे जो कि हम सब का एक स्वीकृत समान उद्देश्य है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय भू-परिमाप (कर्मचारी)

*१२३५. **श्री नम्बियार :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार में भारत भूपरिमाप विभाग के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन क्रम के सम्बन्ध में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; तथा

(ग) क्या शिल्पिक श्रमिकों को केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन क्रम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद):

(क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

गैरईसाई अनुसूचित आदिमजातियां

*१२३६. **श्री एस० एन० दास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त को कुछ गैर-ईसाई अनुसूचित आदिमजाति के लोगों द्वारा भेजी गई इस शिकायत की जांच की गई है कि जिन गांवों में ईसाई अनुसूचित आदिमजातियां बहुसंख्या में हैं वहां गैर-ईसाई अनुसूचित आदिमजाति के लोगों को, जो कि अल्पसंख्या में हैं, बहुत सी कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं, जैसा कि वर्ष १९५२ की रिपोर्ट में पृष्ट ६, कंडिका (१) में 'बिहार' के अन्तर्गत बतलाया गया है ;

(ख) यदि कोई जांच की गई है; तो ऐसी कौन सी कठिनाइयों का पता लगा है जो उन लोगों को सहनी पड़ रही हैं; तथा

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या पग उठाये गय हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) तक शिकायत बिहार सरकार की सूचना में लाई गई थी, परन्तु बिहार सरकार कोई नियमित जांच नहीं कर सकी है क्योंकि उसमें शिकायत करने वालों के नामों तथा पतों के बारे में कोई विशिष्ठ उल्लेख नहीं था और न ही यह बतलाया गया था कि उक्त कठिनाइयां क्या हैं।

विन्ध्य प्रदेश में कोयले की खानें

*१२३७. **श्री बा० डा० शास्त्री :** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विन्ध्य प्रदेश की कितनी कोयला खानों में कोयला निकालने का काम जारी है ;

(ख) कितनी खानों में यह काम अभी आरम्भ नहीं किया गया है ; तथा

(ग) वहां कोयला निकालने का काम शुरू करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) आठ ।

(ख) तथा (ग) । जानकारी राज्य सरकारों से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ?

क्रोमाइट

*१२३८. **श्री सी० आर० नरसिंहन् :** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सलेम जिला देश के उन हिस्सों में से एक है जहां क्रोमाइट सब से अधिक मात्रा में पाया जाता है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत अनुसन्धान कब किया जायेगा और उक्त क्षेत्र का नक्शा तैयार करने का कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) जी हां ।

(ख) उक्त क्षेत्र का नक्शा भारत भूतत्वीय परिमाप द्वारा १९४३-४४ में तैयार किया गया था ।

नीमच में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस

*१२३९. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या राज्य मंत्री नीमच में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के ऐसे पदाधिकारियों तथा अन्य लोगों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

गोदावरी में बाढ़

*१२४०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** (क) क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को हैदराबाद राज्य में हाल में गोदावरी में आये बाढ़ के कारण हुई क्षति के सम्बन्ध में कोई सूचना मिली है ?

(ख) यदि हां, तो वहां कितने गांवों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा ?

(ग) जीवन तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) ५८ ।

(ग) अनुमान लगाया जाता है कि कोई २५-३० व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

कोई ५०० मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गये और लगभग ४,५०० आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त हुए। कुछ झौंपड़ियां भी बह गईं।

मनीपुर में चौकीदार

*६३९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के मैदानी क्षेत्र में स्थित गांवों में प्रशासन तथा शान्ति और व्यवस्था की स्थापना में सरकारी प्राधिकारियों की सहायता के लिये चौकीदार लगे हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो मनीपुर में यह व्यवस्था कब से प्रारम्भ हुई है ;

(ग) उन के कृत्यों तथा उत्तरदायित्वों का वास्तविक स्वरूप तथा क्षेत्र क्या है ;

(घ) मनीपुर के मैदानी क्षेत्रों में इस समय ऐसे कितने चौकीदार लगे हुए हैं ;

(ङ) क्या वे गांव वालों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं या स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं ; तथा

(च) क्या उन्हें मासिक पारिश्रमिक पाने का हक है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (च) तक। अपेक्षित जानकरी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

जैसलमेर में संगमरमर की खानें

५४०. **श्री चाडक** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान के जैसलमेर डीवीजन में विभिन्न प्रकार के संगमरमर की खानें हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि केवल इसी क्षेत्र में उत्तम प्रकार का संगमरमर मिलता है ;

(ग) इस क्षेत्र में कितने प्रकार का तथा किस किस रंग का संगमरमर मिलता है तथा इसे किस काम में लाया जाता है; तथा

(घ) क्या इस क्षेत्र का संगमरमर विदेशों को भी भेजा जाता है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) दो प्रकार का। एक, जो जैसलमेर संगमरमर कहलाता है, पीले रंग का होता है और बहुत चिकना तथा एकसा होता है। इस पर नक्काशी अच्छी होती है और मौसम का असर भी कम पड़ता है। दूसरा अबूर पत्थर कहलाता है जो लाल या कत्थई रंग का 'शैल मार्बल' होता है। यह उत्तर भारत में मन्दिरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है।

(च) जानकारी मांगी गई है तथा प्राप्त हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकद्दमे

६४१. **श्री बादशाह गुप्त** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४७ तथा जुलाई १९५३ के बीच केन्द्रीय सरकार के किन किन अधिकारियों के विरुद्ध अदालतों में मुकदमे दायर किये गये हैं ?

(ख) कितने मामलों में फैसले दिये जा चुके हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख)। जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

शुक्रवार,
११ सितम्बर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, ११ सितम्बर १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-२० म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

खान तथा खनिजपदार्थ (विनियम तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं खान तथा खनिजपदार्थ (विनियम तथा विकास) अधिनियम १९४८, की धारा १० के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रत्येक अधिसूचना की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं :—

(१) निर्माण, खान तथा विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५५(२४)-२ दिनांक ३ नवम्बर, १९४९ (शुद्धि पत्र)

(२) निर्माण, खान तथा विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५५(२४) दिनांक ८ नवम्बर, १९४९ (शुद्धि पत्र)

(३) निर्माण, खान तथा विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५५(५६) दिनांक ९ दिसंबर, १९४९

(४) निर्माण, खान तथा विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५५(८९) दिनांक ३० मार्च, १९५०

(५) निर्माण, खान तथा विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५५(९२) दिनांक ३ मई, १९५०

(६) निर्माण, खान तथा विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५५(९२)-१ दिनांक १ जून, १९५०

[श्री के० डी० मालवीय]

(७) निर्माण, खान तथा विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५५(९२)-२ दिनांक १ जून, १९५०

(८) निर्माण, खान तथा विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५९(२) दिनांक २ नवम्बर, १९५०

(९) निर्माण, खान तथा विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५२(६५) दिनांक २ दिसम्बर, १९५०

(१०) प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५९(८) दिनांक २१ मार्च, १९५१

(११) प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५९(५) दिनांक २१ अप्रैल, १९५१

(१२) प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५९(४) दिनांक १९ मई, १९५१

(१३) प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५५(१०८) दिनांक २९ मई, १९५१

(१४) प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५९(६) दिनांक ३१ जुलाई, १९५१

(१५) प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५९(६) दिनांक १४/१५ सितम्बर, १९५१ (शुद्धि पत्र)

(१६) प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५९(११) दिनांक २६ अक्तूबर, १९५१

(१७) प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम२-१५५(९२) दिनांक २९ अक्तूबर, १९५१

(१८)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५९(१०)	दिनांक ७ नवम्बर, १९५१
(१९)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५९(७)	दिनांक १५ दिसंबर, १९५१
(२०)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५९(१२)	दिनांक १ फरवरी, १९५२
(२१)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१६७(१)	दिनांक २ फरवरी, १९५२
(२२)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५९(१४)	दिनांक १२ फरवरी, १९५२
(२३)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५२(७३)	दिनांक २९ फरवरी, १९५२
(२४)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५९(१५)	दिनांक ३१ मार्च, १९५२
(२५)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५९(१७)	दिनांक १२ जून, १९५२
(२६)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५९(१६)	दिनांक १० जुलाई, १९५२
(२७)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५९(१८)	दिनांक २५ अक्तूबर, १९५२
(२८)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५९(५)	दिनांक २३ फरवरी, १९५३

[श्री के० डी० मालवीय]

(२९)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५९(२०)	दिनांक २७ फरवरी, १९५३
(३०)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५२(१५१)	दिनांक ११ अप्रैल, १९५३
(३१)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५२(१०५)	दिनांक २२ जून, १९५३
(३२)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५२(१५२)	दिनांक १० जुलाई, १९५३
(३३)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५९(१७)	दिनांक २१ जुलाई, १९५३ (शुद्धि पत्र)
(३४)	प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय की अधिसूचना	संख्या एम२-१५२ (१०३)	दिनांक २९ जुलाई, १९५३

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-१२६/५३]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह : में सदन पटल पर .....

उपाध्यक्ष महोदय : भविष्य में माननीय मंत्री इस प्रकार कहेंगे : "मैं अमुक अमुक की ओर से सदन पटल पर रखता हूं", क्योंकि क्रम-पत्र के तिवेदन में कोई विशेष नाम दिया होता है । एक माननीय मंत्री के दूसरे को कार्य सौंपने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है

वित्त मंत्री (श्री मो० डी० देशमुख : मैं एक विवरण प्रस्तुत करता हूं जिस में १९५३-५४ के लिए केन्द्रीय सरकार के (रेलों को छोड़ कर) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों का वर्णन

सम्पदा शुल्क विधेयक—क्रमशः

खण्ड ६१—(निश्चय आदि के विरुद्ध अपील)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन सम्पदा शुल्क विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा ।

खण्ड ६१ विचाराधीन है । इस में नियंत्रक के निश्चय के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था की गई है । इस विशेष खण्ड तथा संशोधनों के संबंध में इस अपील का क्षेत्र क्या होना चाहिये, इस विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं । खण्ड ४ के साथ हम न अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रश्न पर चर्चा की थी । इस पर मत लिया गया था और यह अस्वीकार कर दिया गया था । अतः अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रश्न अब चर्चा का विषय नहीं बन सकता ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : अब परिस्थितियां बदल रही हैं । इस विधि के

अन्तगत पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने अथवा आयकर अधिनियम में की गई व्यवस्था के नमूने का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है । भारत शासन अधिनियम, १९३५ की धारा २२६ में एक उपबन्ध है । इस उपबन्ध में कहा गया है कि जब तक किसी उपयुक्त विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा व्यवस्था न की गई हो तब तक राजस्व संबंधी कोई भी मामला किसी भी उच्च न्यायालय के आरम्भिक क्षेत्राधिकार में न होगा । धारा २२६ का यह उपबन्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद २२५ द्वारा निराधार बना दिया गया है ।

जबकि हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है, म यह पूछता हूं कि हम उस से लाभ क्यों नहीं उठाते । जबकि विधि में सरलता से ऐसी अपील आदि की व्यवस्था की जा सकती है तो राजस्व का एक अलग बोर्ड बनाने की आवश्यकता कहां है । इस के अतिरिक्त अनुच्छेद, २२६ में की गई व्यवस्थायें उच्चतम न्यायालय संबंधी अनुच्छेद, ३२ में की गई व्यवस्थाओं से अधिक व्यापक हैं । अनुच्छेद २२६ में कहा गया है कि अनुच्छेद ३२ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन क्षेत्रों में सर्वत्र जिन के सम्बन्ध में वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, ऐसे निदेश या आदेश या लेख, जिन के अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, निकालने की शक्ति होगी । परन्तु होता यह है कि जब कभी किसी विशेष विधि में किसी मुख्य उपचार की व्यवस्था की जाती है, कोई भी उच्च न्यायालय आप की उस समय तक सुनाई नहीं करता जब तक वह उपचार समाप्त न हो जाये । इसी कारण मैं यह कहता हूं कि इस उपचार के हटान पर ही आप २२६ में दिये गये उपचार का अनुसरण कर सकते हैं । अतः मेरा यह सुझाव है कि राजस्व का यह केन्द्रीय बोर्ड बनाने की बजाय हम इस उपबन्ध का उपयोग कर सकते हैं ।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : वर्तमान विधेयक से पहिले दो विधेयक थे और अन्तिम विधेयक पर प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन ३१ मार्च १९४९ को प्रस्तुत किया था । इस के एक खण्ड—खण्ड ५५— द्वारा उच्च न्यायालय को मूल्यांकन आदि के इन सब मामलों के सम्बन्ध में अधिकार दिये गये थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि १९४९–५३ के बीच क्या घटित हुआ जिस के कारण यह कहना पड़ा कि हमें उच्च न्यायालयों से सर्वथा अलग होना चाहिये और इस का माननीय वित्त मंत्री ने यह कारण बताया था कि ऐसा न करने पर मामलों के निर्णयों में अत्यधिक देरी होगी । परन्तु मेरा ऐसा विचार नहीं है ।

संविधान के लागू होने के पश्चात्, इस से उत्पन्न होने वाली बातें उच्च न्यायालयों तक गईं और उन के तुरन्त निर्णय हुए । अतः इस प्रकार के कर लगाने के मामले में आरम्भिक खण्ड ५५ को रखना और इन मामलों पर उच्च न्यायालयों का निर्णय अन्तिम मानना अधिक उत्तम होगा । अतः मैं १९४९—५३ के बीच की उस घटना को जानना चाहता हूं कि जो यह परिवर्तन चाहती है ।

श्री गाडगील(पूना–मध्य): राजनीतिक परिवर्तन ।

श्री पाटस्कर : मेरे माननीय मित्र गाडगिल कहते हैं : 'राजनीतिक परिवर्तन' मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उच्च न्यायालयों पर अविश्वास है । जहां तक देर का संबंध है मैं जानना चाहता हूं कि क्या अपीलीय न्यायाधिकरण तथा राजस्व के

[श्री पाटस्कर]

केन्द्रीय बोर्ड में मामले बहुत अधिक समय से अपील में नहीं पड़े हैं ? अतः क्या यह सुझाया जाता है कि केवल इस कारण उच्च न्यायालयों पर अविश्वास किया जाता है या यह किसी और बात के कारण है ?

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : इस चर्चा को संक्षिप्त करने के लिये, मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं । मेरा सुझाव यह है कि पृष्ठ २८ पर पंक्ति ४८ में "Section 54' ["धारा ५४"] के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्ट कर दिया जाये :

"or any final order or adjudication under provisions of this Act by the Controller which will have the effect of imposing liability or obligation for payment of estate duty or any order by the Controller refusing to grant a discharge or exemption certificate".

["या इस अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक का कोई अन्तिम आदेश या न्यायानिर्णयन जो सम्पदा शुल्क के भुगतान की दायिता निर्धारित करेगा या नियंत्रक का निरमुक्ति या विमुक्ति का प्रमाणपत्र देना अस्वीकृत करने वाला कोई आदेश ।"]

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, जो दायिता निर्धारित करेगा, अपील न्यायनिर्णयन के किसी भी अन्तिम आदेश के विरुद्ध होगी । श्रीमान, यह स्वीकृत होना चाहिए ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन के इस संशोधन को, जो श्री चटर्जी ने रखा है, मैं स्वीकार करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर मैं इसे सदन में रखूंगा और देखूंगा कि अन्य संशोधन अवरुद्ध होते हैं या नहीं ।

श्री यू० एस० दुब (ज़िला बस्ती--उत्तर) : साधारणतः मेरा यह विचार है कि शुल्क लगाना तथा वसूल करना राज्य का कार्य है । यह मामला विधि-न्यायालय में नहीं जाना चाहिए अन्यथा सैकड़ों मामले न्यायालयों में स्थगित पड़े रहेंगे । इस से अनेकों अन्य प्रश्न उत्पन्न होंगे परन्तु इस विशेष मामले में मेरा विचार है कि जिला न्यायाधीश या अन्य किसी न्याय संबंधी पदाधिकारी से अपील करने की अनुमति दी जाये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : संशोधन के विषय में मुझे यह बताया गया है कि पंक्ति ४८ में कुछ आनुषंगिक संशोधन अनावश्यक हैं । "सन्तप्त व्यक्ति मांग की सूचना प्राप्त होने के नव्वे दिन के भीतर ।" अब आप देखिये कि खण्ड ५६ के अन्तर्गत यह मांग की सूचना प्राप्त होने की तिथि से ९० दिन के भीतर है अथवा न्यायनिर्णयन के आदेश की तिथि से है ।

श्री सी० डी० देशमुख : आदेश अथवा न्यायनिर्णयन जिस के विरुद्ध अपील की गई है क्योंकि दो प्रकार के आदेश हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : खण्ड ५६ के पश्चात उक्त शब्द प्रविष्ट कीजिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : "नियंत्रक के न्यायनिर्णयन के विरुद्ध की गई अपील" तब इस प्रकार शब्द लिखे जा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तिम आदेश अथवा नियंत्रण द्वारा न्यायनिर्णयन एक ही अन्तिम आदेश है । मैं उसे आदेश कह कर पुकारूंगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : क्या मैं एक सुझाव रख सकता हूं । मान लीजिए एक आदेश दिया जाता है और उस आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है और बाद में अन्तिम आदेश के निकलने पर वह व्यक्ति अपील करता है और पूर्व में अपील न किये गये आदेश के सम्बन्ध में आपत्ति करता है । अब प्रस्तुत खण्ड के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय राजस्व बोर्ड कुछ भी आदेश निकालन के अधिकारी हैं । मेरी आशंका यह है कि जिस आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की गई है कहीं वह निर्णायक न बन जाये तथा अन्तिम अपील में उस आदेश पर आपत्ति करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । मैं इस दिशा में संरक्षण चाहता हूं । सभी मध्यकालिक निर्णयों के सम्बन्ध में अन्तिम अपील के समय आपत्ति की जा सकती है ।

प्रस्तुत विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के समक्ष अपीलों में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के सिद्धान्त को लागू करने के लिये कोई धारा नहीं है । चूंकि अपील योग्य आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जाती है वह आदेश अन्तिम हो जाता है । मैं इस के विरुद्ध संरक्षण चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक अपील-योग्य आदेश अन्तर्कालीन आदेश के विरुद्ध अपील है उस सीमा तक वह अन्तिम नहीं होता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अपील का अधिकार विवेकाधीन है । आज मैं उस में आपत्ति न करूं किन्तु अन्तिम आदेश के अवसर पर मैं उक्त निर्णय पर आपत्ति उठा सकता हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मान लीजिये कि मेरा एक प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिया गया है । निश्चित है कि मैं न्यायालय से यह आग्रह कर सकता हूं कि प्रार्थनापत्र गलती से अस्वीकृत कर दिया गया है और मेरा मूल्यांकन कम किया जाना चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : किसी भी लाभ की व्यवस्था कर देन के पश्चात् यह अपीलार्थी अथवा सन्तप्त व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह प्रत्येक श्रेणी पर उस का लाभ उठाये । वह इस तरह नहीं कह सकता कि "मेरी समस्त कठिनाइयों को संचित हो जाने दो और अन्तिम अपील द्वारा उन सब का अन्त हो जायेगा" ।

यदि आप अधिकार प्रदान करते हैं तो उसी के साथ कर्त्तव्य भी होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त पर जब अपील की व्यवस्था की गई है किन्तु पूर्व निर्णय का लाभ नहीं उठाया गया है तो अन्तिम निर्णय के समय में बिस्तार में जाने का कोई अर्थ नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वर्तमान स्थिति स्पष्ट है । व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता में अधिकार का उल्लेख है, यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह अपील करे अथवा न करे । अन्तिम सुनबाई के समय आज्ञप्ति के विरुद्ध सब कुछ कहा जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं कहा जा सकता है । जो अन्तिम है वही अन्तिम है । श्री चटर्जी का संशोधन स्पष्ट है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हम चाहते हैं कि अन्तिम अपील के समय यदि कोई व्यक्ति मध्यकालिक निर्णय की अपील नहीं करता है तो उस के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी के संशोधन से यह बात पैदा नहीं होती है । यह उन के संशोधन से पृथक है ।

श्री सी० डी० देशमुख : आप ने मुझ से पहले ही कह दिया है । इस संशोधन का मूल यह है कि यह सर्वथा असंदिग्ध नहीं है कि वह

[श्री सी० डी० देशमुख]

प्रत्येक विषय जिसे हम अपील योग्य बनाना चाहते थे उस की इस में व्यवस्था कर दी गई है। अतः प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिये हम अन्य धाराओं का सहारा लेते हैं। यह युक्ति दी जा सकती है कि यह मूल्यनिरूपण अथवा गणन या शुल्क निर्धारण का प्रश्न नहीं है किन्तु कुछ और है। यदि प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है तो कोई मांग की सूचना नहीं होगी क्योंकि दावा करने की समयसीमा मांग की सूचना की प्राप्ति से ही मानी जाती है। अतः हम ने इस मामले में प्रमाणपत्र न देकर, निर्णय देने के बाद से नव्वे दिन की अवधि की व्यवस्था कर दी। वह प्रत्येक व्यक्ति जो अपील करना चाहता है पहले यह निश्चय करेगा कि कौन सी समयसीमा लागू होती है, मांग सूचना प्राप्त होने की तिथि से नव्वे दिन अथवा यह अन्तिम निर्णय या अभिनिर्णय या निर्णय अनुदान या प्रमाणपत्र की अस्वीकृति है तथा इस अवस्था में सीमन की अन्य अवधि लागू होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अन्तरिम निर्णयों के भिन्न वर्ग के विषय में विचार कर रहे हैं जिन के संबंध में अपील की व्यवस्था नहीं है।

श्री सी० डी० देशमुख: हम ने अन्तरिम आदेशों के विरुद्ध अपीलों की व्यवस्था नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय : तब कोई कठिनाई नहीं है। मैं इस संशोधन पर सदन का मत लूंगा। मैं उस की सही भाषा जानना चाहता हूं।

श्री सी० डी० देशमुख : पृष्ठ २८, पंक्ति ४८,

धारा ५४ के पश्चात् प्रविष्ट करिये :

"नियंत्रक द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत न्यायनिर्णयन अथवा कोई अन्तिम निर्णय ....." आदि।

श्री एस० एस० मोरे : इन शब्दों को श्रेणीबद्ध होना चाहिये क्योंकि मांग की सूचना अन्तिम कार्यवाही होगी और ये सब मांग की अन्तिम सूचना के पहले रहेंगे।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा विचार है यदि प्रारूप पर कुछ समय दिया जाय तो अच्छा हो। प्रारूप इस प्रकार हो सकता है :

"वह व्यक्ति जो सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय शुल्क के गणन के दायित्व को अस्वीकार करता हो अथवा (१) नियंत्रक द्वारा निर्धारित शुल्क के मूल्य निरूपण में आपत्ति करता हो (२) किसी दंड में आपत्ति हो (३) अन्तिम निर्णय में आपत्ति हो इन स्थितियों में वह मांग के नव्वे दिन के भीतर अपील कर सकता है; अन्य स्थितियों में निर्णय से नव्वे दिन के भीतर।"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य साथ बैठ कर उपयुक्त संशोधन तैयार कर लेंगे।

श्री सी० डी० देशमुख : विस्तृत वक्तृता देने का मेरा विचार नहीं है क्योंकि उपखण्ड (४) के सम्बन्ध में मैं एक लम्बा भाषण दे चुका हूं। मुझे केवल इसी विषय का उत्तर देना है कि सन् १९४६ के पश्चात् हम ने अपनी विचारधारा में परिवर्तन क्यों कर लिया। १९४६ की व्यवस्था के अनुसार कर निर्धारण का अधिकर्ता बोर्ड था; बोर्ड जांच के लिये उच्च न्यायालय जा सकता था और जांच अधिकारियों के प्रतिवेदन के पश्चात् न्यायालय अपना निर्णय देता था। हमारी व्यवस्था यह है कि बोर्ड एक मध्यस्थ अपीलीय अधिकारी है इस के कारण मैं ने ऊपर बता दिये हैं। मामले अभी भी उच्च न्यायालय में जायंग किन्तु वे विधि के प्रश्नों तक ही सीमित रहेंगे और इस में विधि प्रश्न बहुतेरे पैदा होंगे।

जो नई वस्तु हम ने पैदा की है वह है मूल्यकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन करना । हम ने इस पर काफी सोच विचार किया है । हम ने कतिपय संशोधन भी स्वीकार किये हैं कि तीन मूल्यांकनकर्ता होने चाहियें, उन का निणय अन्तिम होगा आदि । यदि यह मालूम हुआ कि वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक नहीं है तो मैं कुछ अभी कहे जा रहा हूं उस की सूचना रखूंगा और एक नवीन संशोधन के साथ फिर आप के सम्मुख आऊंगा।

अतः सदन से मेरा यही कथन है कि वह मेरे आश्वासन को स्वीकृत कर ले । यदि यह मालूम हुआ कि यह पद्धति कार्य नहीं कर रही है सर्वप्रथम मैं ही इस विचारधारा से युक्त संशोधन को स्वीकृत करूंगा कि तथ्यों पर विचार करने के लिये किसी प्रकार के अपीलीय अधिकारी की स्थापना कर दी जाये । अन्त में मैं इस ओर संकेत कर दूं कि मूल्यांकन ही इस व्यवस्था का मूल आधार है । मुझे यही कहना है । इस अवसर पर मैं किसी संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्रीमती सुषुमा सेन (भागलपुर दक्षिण): वित्त मंत्री का भाषण सुन कर मैं संशोधन संख्या २९६ और २९७ वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनियमित करार दे रहा हूं ।

संशोधन सख्या २९५ तथा ३२९ अवरुद्ध हुए ।

श्री मूलचन्द दुबे का संशोधन प्रस्ताव संख्या ५६५ सदन की अनुमति से वापिस ले लिया गया ।

संशोधन प्रस्ताव संख्या ३९६ अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संशोधन संख्या ३३२ को जो कि श्री एन० सी० चटर्जी ने प्रस्तुत किया है लेंगे.....

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरा सुझाव यह है कि 'मूल्यांकन कर्ताओं के मंडल' में से "का मंडल" अलग कर दिया जाय; मंडल का प्रत्येक हवाला अलग कर दिया जाय और मैं समझता हूं कि यह माननीय वित्त मंत्री को भी माननीय होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख: तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु इसे उचित रीति से प्रारूप कर के सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ३३२ को फिर से लिखने के लिए छोड़ दिया गया है । यदि आवश्यकता हुई तो समस्त खंड ६१ को फिर से लिखना होगा और तदोपरान्त सदन में मतदान के लिये रखी जायगी ।

(खंड ६२)

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम): मैं विनम्र प्रस्तुत करता हूं कि :

(१) पृष्ठ २९ पंक्ति २६ तथा २७ में "धारा ६१ की उपधारा (३)" के पश्चात् "धारा ६१ की अथवा उपधारा (५)" प्रविष्ट कर दिया जाय ।

(२) पृष्ठ २९ पंक्ति २७ में "उत्तरदायी व्यक्ति" के पश्चात् "अथवा नियंत्रक" प्रविष्ट किया जाय ।

(३) पृष्ठ २९ पक्ति २८ और २९ "पांच सौ रुपये" के लिए "एक सौ रुपये" आदिष्ट किया जाय ।

(४) पृष्ठ २९ पंक्ति ४० में "तीन महीने" के लिए "६ महीने" आदिष्ट किये जायें ।

[श्री तुलसीदास]

(५) पृष्ठ ३० में

पंक्ति २८ के पश्चात निम्न प्रविष्ट किया जाय :

"यदि इस धारा की उपधारा (४) के अन्तर्गत मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा गया है तो पक्ष को, यदि आवश्यकता हुई तो वह मूल्य जिस का हवाला उच्च न्यायालय को, न कि उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, देना होगा ।"

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं विनम्र प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ ३० में

पंक्ति २८ के पश्चात्

"यदि इस धारा की उपधारा (४) के अन्तर्गत मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा गया है तो पक्ष को, यदि आवश्यकता हुई तो वह मूल्य जिस का हवाला उच्च न्यायालय की, न कि उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, देना होगा ।"

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ६२ सम्बन्धी सभी संशोधन सदन के समक्ष हैं ।

श्री तुलसीदास : मंडल के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में मामला ले जाने का उपबन्ध इस धारा में किया गया है । और कुछ विशेष परिस्थितियों में सीधे उच्चतम न्यायालय तक भी जा सकते हैं । मेरे विचार से यह आवश्यक है कि मूल्यांकनकर्ताओं के निर्णय के विरुद्ध खंड ६१ के उपखंड (४) के अन्तर्गत अपील उच्च न्यायालय में जाये । यह एक संशोधन है । एक सम्पदा का मूल्यांकन करने में कुछ वैधानिक प्रश्न भी उठ सकते हैं । नियंत्रित कम्पनियों के भागों के मूल्यांकन के विषय में काफ़ी कठिनाइयां हो सकती हैं । अतएव जहां कि वैधानिक प्रश्नों की बात आ जाती है वहां यह आवश्यक है कि अपील उच्च न्यायालय में की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या १९० में उपधारा (५) के लिए उपधारा (४) पढ़िए ।

श्री तुलसीदास : खंड ६२ के अनुसार एक अपील के लिए हमें ५००) जमा करना होता है । यदि मडल को कोई प्रार्थनापत्र विहित रूप से दिया गया है तो मेरा सुझाव है कि ५००) की अपेक्षा १०० रुपया फीस होनी चाहिए ।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि "तीन महीने" के स्थान पर "छः महीने" आदिष्ट किये जायें । मैं ने छः महीने इसलिए रखे हैं कि खंडों की संख्या इतनी अधिक है और उन में से कुछ को समझना भी बड़ा कठिन है । उन की दुरूहता को समझने में कुछ समय लगेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : खंड ६२ के अन्तर्गत फीस १००) होनी चाहिए । आयकर अधिनियम की धारा ६६ के खंड (१) के अन्तर्गत भी फीस इतनी है । अतएव इस के अनुसार भी अधिक फीस नहीं होनी चाहिये ।

उपखंड (ख) में भी समय ६ महीना होना चाहिये । मैं समझता हूं कि आयकर अधिनियम की धारा ६६(२) में समय ६ महीना है ।

मेरे अपने संशोधन ३४० के बारे में मेरा सुझाव है कि मामले के हवाला सम्बन्धी मूल्य पक्ष को देना चाहिये । यदि आप पृष्ठ ३० पर उपखंड (८) को देखें तो स्पष्ट है कि उच्च, तथा उच्चतम न्यायालय को किये गये मामले के मूल्य को दिलाने की बात अदालत की स्वेच्छा पर होगी । हमारा कहना यह है कि यदि मामला उच्चन्यायालय को भेजा जाता है तो उस का खर्चा उस पक्ष को देना चाहिये । मैं समझता हूं कि यह उचित सुझाव है कि मामले के वैधानिक प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए अथवा

विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में मतभेद होने पर मंडल इस मामले को सीधा उच्चतम न्यायालय में भेजता है तो उस का खर्चा उच्च न्यायालय के आधार पर होना चाहिए क्योंकि इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय का स्थान उच्चन्यायालय सरीखा है। अतएव उच्चतम न्यायालय के स्तर का खर्चा नहीं लगाना चाहिये। मेरा विचार है कि यह सुझाव मान लेना चाहिए।

पंडित ठाकुरदास भार्गव: फीस के बारे में तो मैं समझता हूं कि सौ रुपया काफी ठीक है। यदि इसे ५०० रुपया कर दिया जाता है तो केवल धनी व्यक्ति ही अपील कर सकेंगे और निर्धन लोग इस से कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे।

६ महीने के समय के बारे में भी जब वसूली का समय अनिश्चित, तथा शुल्क आरोपण का समय १२ वर्ष रखा गया है तो यदि छै महीना का समय रख लिया जाता है तो कोई हानि की बात नहीं है। यह नया अधिनियम है इसे समझने में समय लगेगा।

एक बात यह भी है कि उपखंड (७) में यह उपबन्ध है कि उच्चतम न्यायालय, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा मामला तै हो जाने पर मंडल ऐसे आदेश जारी करेगा जो इन निर्णय के अनुसार मामलों को निपटाने के लिए जरूरी हों। मेरा निवेदन यह है कि निर्णय करने वाली अदालत ही अन्तिम आदेश जारी करे चाहे वह उच्चतम न्यायालय हो अथवा उच्च न्यायालय। क्योंकि आदेश के अन्तिम रूप में तथा उस के प्रचलन में मतभेद हो सकता है। ऐसा उपबन्ध नहीं किया गया है जो कि होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि खंड ७ के अनुसार न्यायालय के अन्तिम निर्णय को पूरित करने एवं उसे कार्यान्वित करने के लिए मंडल आदेश जारी करता है। जब मंडल वह आदेश जारी करता है तो संभव है कि व्यक्ति तथा मंडल में उस निर्णय के निर्वचन के मामले में मतभेद हो जाय। अतएव इस चीज़ को दूर करने तथा इस बात को देखने के लिए मंडल उसी रूप में उस निर्णय को पूरित कराने के लिए सही तौर पर आदेश जारी करता है अर्थात मंडल के आदेश में न्यायालय के निर्णय का पूरा अर्थ व्यक्त हो जाता है अथवा नहीं, इस को देखने के लिय अन्तिम निर्णय उस न्यायालय की स्वेच्छा पर होना चाहिए। जिस अदालत ने अन्तिम निर्णय दिया है वह भली प्रकार जान सकती है कि न्यायाधीश का मत क्या रहा है। मंडल के अंतिम निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता को शिकायतें हो सकती हैं। मेरा सुझाव यह है कि कुछ ऐसे उपबन्ध कर देने चाहियें कि मंडल के आदेश निर्णय के अनसार हों।

ऐसा हो सकता है कि वह निर्णय कार्यान्वित न किया जाय; और उपखंड ७ के अनुसार उस निर्णय के आधार पर कोई दूसरा ही आदेश दे दिया जाय। यदि मंडल अपने पूरे प्रयत्नों के आधार पर भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय का निर्वचन उस अपीलकर्ता के दृष्टिकोण से उस के अनुसार नहीं करता है तो कुछ न कुछ उपाय होना चाहिए

श्री एस० एस० मोरे: यदि मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का निर्वचन करने में कार्यपालिका अधिकारी अधीक्षण के अधिकारों के आधार पर कुछ भूल करते हैं तो वह पक्ष फिर से उच्चतम न्यायालय को जा सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: अधीक्षण के अधिकार तो कोई हैं ही नहीं। म तो यही अधिकार वित्त मंत्री से देने के लिए कह रहा हूं।

श्री एस० एस० मोरे : धारा २२७ के अन्तर्गत इस कार्य के लिए मंडल को न्यायाधिकरण समझना होगा । और उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार होगा, और कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को भी ये अधिकार होंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : यही तो कठिनाई है जो बहुत सी अपीलों को सुविधा दे कर पूरी नहीं की जा सकती । प्रश्न तो यह है कि अदालत के निर्णय के अनुसार मंडल किस प्रकार आदेश दे सकता है । मंडल के निर्वचन को न मानने पर व्यक्ति अपील कर सकता है तो उच्चन्यायालय अपनी भाषा बदल कर कह सकता है कि हम यही चाहते थे । किन्तु उच्च न्यायालय अन्तिम आदेश पारित नहीं कर सकता । उच्च न्यायालय तो केवल निर्णय देता है । हर बार वह मंडल में आयेगी ।

हम उच्चतम न्यायालय से यह नहीं कह सकते कि वह इस प्रकार निर्णय दे । वह निर्णय नहीं है, वह तो उस मामले के बारे म निष्पत्ति है । उच्चतम न्यायालय में कुछ अन्तर्निहित शक्ति होनी चाहिए । जो कोई भी व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि उन के साथ अन्याय हुआ है उन के लिए धारा २२६ है । जब कि अन्तिम निर्णय के जारी करने तथा अदालत की निष्पत्ति में कोई न्यूनता हो तो मैं समझता हूं कि यह अब भी स्पष्ट है कि वह पक्ष अदालत में जा सकता है और इसे दूर करा सकता है ।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : यदि न्यायालय अपना कार्य प्रारम्भ करने के लिए ५००) मांगता है तो बहुत से मामलों में इस का अर्थ यह है कि न्याय देने से वंचित किया जाता है अथवा कुछ मामलों में न्याय को बेचा जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री इसे ५००) से घटा कर १००) करने के लिए तत्पर हैं ।

श्री टेकचन्द : मेरा विनम्र निवेदन यह है कि खंड ६२ के अनुसार उच्च न्यायालय के अधिकारों को जैसा कि वे आजकल हैं, उन्हें कुछ विस्तृत किया जाय । मैं उस संशोधन का समर्थन कर रहा हूं जिस के अनुसार अनुच्छेद ६१(५) के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के मूल्यांकन में उच्च न्यायालय को अधिकार दिये जायें । उच्च न्यायालय के अधिकारों को बढ़ाया जाय न कि उन्हें जैसा कि अनुच्छेद ६१ के अन्तर्गत कम कर दिया गया है और भी कम किया जाय ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान मैं संशोधन सख्या १९० को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मूल्यांकन तथ्य का प्रश्न है और मैं नहीं जान सकता कि उस म विधि का क्या प्रश्न उत्पन्न हो सकता है । यह मध्यस्थता के समान है और वस्तुतः खण्ड ६१(४) में यह शब्द प्रयोग किया गया है, इस लिए किसी प्रकार की अपील नहीं हो सकती सिवाए दुर्भावना के जिस का आग्रह सदा विधि न्यायालय में किया जा सकता है ।

मैं संशोधन संख्या १९४ को स्वीकार करता हूं जिस द्वारा फीस को घटा कर ५०० से १०० कर दिया गया है । इस तथ्य के होते हुए भी कि आयकर अधिनियम में कालावधि विहित की गई है । मैं संशोधन १९६ तथा ३३७ में प्रस्तावित कालावधि की वृद्धि को स्वीकार नहीं कर सकता । यदि कोई शिकायत हो तो हमारा आदर्श अधिक लम्बे काल के आदर्श से भिन्न है । मैं संशोधन संख्या १९९ और ३४० को स्वीकार करता हूं जो मुझे उपयुक्त दिखाई दी हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं आप की अनुमति द्वारा वित्त मंत्री से एक

प्रश्न पूछ सकता हूं ? उन्होंने अभी कहा कि खण्ड ६१(४) के अधीन मध्यस्थ का आदेश अन्तिम नहीं होगा क्योंकि कोई दल दुर्भावना का निर्णय करवाने के लिये विधि न्यायालय के पास पहुंच सकता है । यूं तो धोखाबाज़ी के आधार पर पंचाटों पर भी आपत्ति की जा सकती है । परन्तु इस प्रकार के मामले में मध्यस्थ के अन्तिम आदेश के विरुद्ध न्यायालय के पास पहुचने के लिए कौन सा उपबन्ध है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस संबंध में कोई वचन नहीं दे सकता । मैं समझता हूं कि मूल्यांकन के सामान्य कार्य में कोई अपील नहीं होनी चाहिये । मैं ने केवल यह कहा है कि दुर्भावना के मामले में कुछ उपचार होगा; परन्तु मैं एसा विधिवेत्ता नहीं हूं जो यह बता सकूं कि वह उपचार क्या है ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैं चाहता हूं कि वह इस मामले के तथ्यों पर ध्यान दें और जैसा पंचाठों के विषय में दुर्भावना तथा पक्षपात के प्रश्न पर न्यायालय के पास अपील का उपबन्ध है वैसा ही इस मामले में पीड़ित व्यक्ति को अवसर दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पष्ठ २९, पंक्ति २८ तथा २९ में "five hundred rupees" ["पांच सौ रुपये"] इन शब्दों के स्थान पर "one hundred rupees" ["एक सौ रुपये"] ये शब्द रखे जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ ३० में पंक्ति २८ के पश्चात निम्न शब्द निविष्ट किये जाएं :

"Provided that in case the case is referred to the Supreme Court under sub-section (4) of this section the party shall pay, if required to do so the cost only as if reference has been made to the High Court and not the Supreme Court."

["परन्तु यदि इस धारा की उप-धारा (४) के अधीन मामला उच्चतम न्यायालय को सौंपा जाये तो वह पक्ष, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए, केवल वह लागत देगा जैसे कि मामला उच्च न्यायालय को सौंपा गया हो और उच्चतम न्यायालय को नहीं ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एन० सी० चटर्जी का संशोधन अवरुद्ध हुआ और अन्य संशोधन अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "संशोधित रूप में खण्ड ६२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधित रूप में खण्ड ६२ विधेयक में जोड़ा गया ।

दहेज प्रतिरोध विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन ग़ैर सरकारी विधान कार्य आरम्भ करेगा । इस के लिए समय पांच मिनट बढ़ा दिया जायगा । श्रीमती उमा नेहरू द्वारा २८ अगस्त को प्रस्तुत किए गए निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार होगा :

"कि विवाहों में दहेज़ देने और लेने की प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी–पश्चिम) : पेश्तर इसके कि मैं दहेज का जिक्र करूं मैं चाहती हूं कि मैं हाउस के आनरेबिल मेम्बर्स को बता दूं कि मैं स्त्रीधन व मेहर के खिलाफ नहीं हूं । आप जितना चाहें अपनी बेटियों को दे सकते हैं । मैं तो केवल उस तकलीफ देह प्रथा के विरुद्ध हूं जो शादी के पहले लड़के वाले अपने बेटों का मोल तोल मारकेट रेट में करते हैं । जितने अमीर और ऊंचे दरजे की मुलाजिमत पर उन के बेटे होते हैं उतनी ही उनकी कीमत समाज में बढ़ जाती है । ऐसे कंट्रेक्ट्स शादी के पहले होते हैं और यह भी देखा है कि शादी पर इतना धन दो और बाद में इतना दो इसके तक़ाजे भी रात दिन होते रहते हैं । ये हज़ारों रूपये जो लड़के वाले लेते हैं वह लड़की को नहीं मिलते हैं । गर्ज कि हम खुल्लम-खुल्ला लड़की के वर को खरीदते हैं । और खरीदने के बाद भी हमें सुख नहीं मिलता । मैं चाहती हूं कि हमारी सरकार इस दुःखदायी प्रथा को दूर करे और जो इस तरह से रूपया ले वह गुनहगार समझा जावे और सख्त सजा का मुजरिम होवे । मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार समाज की इस कुरीति को समझती है और इस बिल को बखुशी मंजूर करेगी ।

हमसे कहा जाता है कि भारतीय समाज में स्त्री की बहुत इज्जत होती है और हमें समाज पूजनीय, माता, देवियों व गृह लक्ष्मी के नाम से पुकारता भी है । तो क्या वजह है कि जब हम पूजनीय हैं हमारी यह दुःखभरी दशा हो ? कहीं मातायें या देवियां या गृह लक्ष्मियां भी बेची जाती हैं। जब तक समाज में परिवर्तन न होगा और स्त्री और पुरुष दोनों एक समान इन्सान न समझे जावेंगे समाज ज़िन्दा नहीं रह सकता है । समाज की यह दशा देख कर के हमने बहुत परिश्रम के बाद हिन्दू कोड बिल को इस संसद के सामने रखा था । ताकि स्त्री के दुःख भरे बन्धनों को तोड़ दें और स्त्री को समाज में फिर से आजाद व पूजनीय बनावें । हमारे लिये समाज में जहेज़ के नाम की प्रथा बहुत दुःखदायी है । इस प्रथा के कारण न मालूम कितनी हमारी प्यारी बेटियों ने खुदकुशी की है खास तौर से हमारी बंगाल की बेटियों ने ।

[**पंडित ठाकुर दासभार्गव** : अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

अफसोस तो यह है कि जब से हम जन्म लेती हैं हम अपने माता पिता के लिये वबाले जान हो जाती हैं । हमारी शादी क्या होती है हमारे माता पिता की बरबादी होती है ।

अगर हम किसी अच्छे धनी घर में ब्याही जावें तो हमारे माता पिता को क़र्ज़ ले कर लड़के के माता पिता को धन से भरना पड़ता है । जितना ज़्यादा लड़का पढ़ा लिखा हो, या आई० सी० एस० या आई० पी० की नौकरी में हो तो उस की कीमत हज़ारों की हो जाती है । बेचारे गरीब या साधारण हैसियत वाले, चाहे उन की लड़की कितनी भी क़ाबिल व सुन्दर हो उस रईस के घर की तरफ़ या उस आई० सी० एस० या आई० पी० की सरविस वालों की तरफ़ ख्याल भी नहीं करते, क्योंकि वह इतने दौलतमन्दों को कहां से खरीद सकते हैं । वह बेचारे कहां मे धन लावें । आई० सी० एस० लड़कों को तो समझो कि सुरखाब के पर लगे हुए होते हैं, जिन की कीमत हज़ारों की हो जाती है। धन के साथ साथ मोटर भी मांगी जाती है । कहीं कहीं तो आई० सी० एस० होने का पूरा खर्चा मांगा जाता है । गरज़ यह है कि बेचारे लड़की वाले परेशान ही रहते हैं । हमारे सामने ऐसी भी मिसालें हैं, जहां लड़की वालों ने पूरा आई० सी० एस०

तालीम का खर्चा दिया और उसका फल यह मिला कि दामाद साहब ने सब कुछ ले लिवा कर फिर से अपनी पसन्द की शादी रचाई। अक्सर यह भी देखा कि जितना भी लड़कियों को दो उन के सुसराल वालों की डिमांड कभी पूरी हो ही नहीं सकती है।

सब से ज़यादा तकलीफ़देह बात तो हमें यह मालूम होती है जब कि हम लड़कियों का कन्यादान करती हैं। यह दान देख कर बहुत दुःख होता है। इस दान में स्त्री का पतन दिखाई देता है। गोदान से भी गिरा हुआ यह दान है। इस दान के बाद हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। गोदान के बाद हमें प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं होती है। हम से कहा जाता है कि कन्यादान सब दानों से उत्तम दान होता है, और चूंकि हम इन्सान को कन्या दान करते हैं हमें अपने इस पाप का प्रायश्चित करना जरूरी होता है।

यह समाज की जितनी तकलीफ़देह रीतियां हैं, सब मिट जातीं, अगर हम ने हिन्दू कोड बिल पर ज़रा भी विचार किया होता, और स्त्री को समाज में फिर से पूजनीय की पदवी पर लाते। तभी हमें हक़ था कि उस पूजनीय माता या गृह पत्नी के नाम से हम उसे पुकारते। आज स्त्री की दशा यह है कि वह माता या देवी भले ही हो समाज में उस की कोई हैसियत नहीं। माता होने के साथ साथ उसे अपने पति की जायदाद पर कोई भी हक़ नहीं है। अपने बच्चों का वह अपने त्याग और प्यार से पालन पोषण करती है, अपने खून से उन्हें सींचती है, जिम्मेदारी सारी बच्चों की वह लेती है। लेकिन अफसोस तो यह है कि इस सब जिम्मेदारी लेने के बाद आज वही बच्चे उलट कर क़ानून बनाने के लिये बैठ गये हैं, जहां इस पूजनीय माता को हर ज़िम्मेदारी से वह बच्चे महरूम रखते हैं।

आखिर में मुझे यह कहना है, मैं यह कह देना मुनासिब समझती हूं कि मुझे सरकार में पूरा भरोसा है कि वह इस बिल को मंजूर करेगी और सरक्युलेशन के लिये ख्याल नहीं करेगी। सरक्युलेशन के माने होते हैं, बात का टालना। इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को मंज़ूर न हो। अगर इस बिल में कोई भी क़ानूनी गलतियां या कमियां हों, तो वह यहीं पर सही की जा सकती हैं।

आज दो तीन साल के बाद हमें यह दिन नसीब हुआ है और हाउस के लिये देश के लिए और समाज के लिय यह मुबारिक दिन है। आशा है कि हाउस इस बिल को दुआ व आशीरवाद दे कर मंज़ूर करेगा।

अन्त में मुझे यह भी कहना है कि मैं चाहती यह हूं कि आज इस बिल के ऊपर मेरी जितनी भी यहां बहनें हैं, और विशेष-कर मेरे भाई हैं, उन को सब को समय मिलना चाहिये। यह बिल कोई राष्ट्रीय बिल नहीं है, यह बिल सामाजिक है। हर एक का हृदय इस वक्त दुःख से भरा हुआ है, चाहे वह पिता हो, चाहे वह माता हो। तो मैं चाहती हूं कि वे सब अच्छी तरह से इस बिल पर रोशनी डालें, ताकि इस बिल को हम कामयाबी से पास कर लें।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक को फरवरी १९५४ के अन्त तक अभिमत प्राप्त करने के लिये परिचालित किया जाए।"

श्रीमान्, मुझे बोलने का अवसर दिया गया इस के लिए मैं आभारी हूं।

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य आरम्भ करते हुए आभारी होने की बात

[सभापति महोदय]

कहता है । इस से मुझे घबराहट होती है । प्रत्येक सदस्य का बोलने का अधिकार है और सभापति तो केवल सदस्य को चुन कर उसे बोलन के लिये कहता है । इस लिए मेरा आभार प्रकट नहीं करना चाहिये ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान् मैं ने अध्यक्ष के प्रति यह शिष्टता आवश्यक समझी थी ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे भारत में दहेज की बिमारी फैली हुई है । इस बिमारी का मूल बहुत गहरा है और मेरी बहन श्रीमती उमा नेहरू ने जो उपचार बताया है वह सफल नहीं हो सकेगा । शारदा अधिनियम को ही लीजिए वह मृत प्रायः हो गया है । उस अधिनियम के उल्लंघन के बहुत कम मामले न्यायालय के समक्ष आते हैं । इसी प्रकार इस विधेयक द्वारा हम बिमारी को दूर नहीं कर सकेंगे ।

मैं समाचार पत्रों में देखता हूं कि मेरी बहनें, लड़कियां और माताएं विश्व में सब प्रकार की समता प्राप्त कर रही हैं । एक सहायक आयुक्त बन गई हैं तो दूसरी पुरुषों के साथ क्रिकेट खेल रही हैं । मैं जानता हूं कि यहां एक महिला दण्डाधीश हैं । भारत में यह सब प्रकार की पुरुष की समता प्रचलित हो गई है । परन्तु सामाजिक सम्बन्धों के क्षेत्र में ऐसी बात नहीं । सामाजिक समता तभी प्राप्त हो सकती है जब पुरुष किसी विशेष लड़की से विवाह करने के लिए दहेज़ का प्रतिबंध न लगा सके ।

मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि सामाजिक क्षेत्र में भी नारी समता प्राप्त कर सके । कुछ दिन हुए एक महानुभाव ने मुझे कहा कि उन का पुत्र ५०,००० रुपये का है । उन का संकेत दहेज की ओर था कि लोग उन्हें हज़ारों रूपया देने के लिए तैयार हैं । भारत में अभी तक इस प्रकार की विवाह सम्बन्धी असमता है । विवाह समान आदान प्रदान के आधार पर होना चाहिये । इस के बिना सामाजिक क्रान्ति, नीरव क्रान्ति, रक्तहीन क्रान्ति आदि की बातें सब मिथ्या हैं । इस बुराई का केवल मात्र उपचार है व्यरक विवाह का प्रचार ।

संस्कृत साहित्य में नारीत्व का बहुत महान चित्र खींचा गया है । इस का रहस्य यह था कि उस समय का विवाह ऐसा नहीं था जैसा कि आजकल लड़का और लड़की के सम्बन्धियों में समझौते द्वारा होता है । यदि हम सामाजिक क्रान्ति लाना चाहते हैं तो हमें इस समझौते की प्रणाली में परम्परा से आने वाली बुराईयों का अन्त करना होगा । विधान प्रभाव पूर्ण ढंग नहीं है । विधान और शिक्षा दोनों साथ साथ चलने चाहियें । इस लिए मेरी प्रार्थना है कि विधेयक को जन मत के लिए परिचालित करना चाहिये ।

इस विधयक के प्रवर्तन के लिए हमें ठीक प्रकार का वातावरण तथा परिस्थितियां निर्माण करनी होंगी । इस लिए मैं योग्य बहन श्रीमती उमा नेहरू के साथ सहमत होते हुए भी कहता हूं कि इस विधेयक को पारित करने से पूर्व हमें देश को इन विचारों से अभिभूत कर देना चाहिये ।

मेरी बहन ने दान के सम्बन्ध में कहा था । दान अच्छा है परन्तु हमें अपनी बेटियों के दान के सम्बन्ध में नहीं सोचना चाहिये ।

श्रीमती उमा नेहरू : मैं आपको समझा दूं । मैंने यह नहीं कहा । मैं ने यह कहा था कि दोनों में जो दान समाज में सबसे उत्तम माना जाता है वह कन्या दान होता है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : यह सही बात है

श्रीमति उमा नेहरू: यह इतना उत्तम दान है कि अगर अपनी लड़की नहीं होती है तो हम किसी और की लड़की का दान करते हैं, क्योंकि हम को कन्या दान करना जरूरी है। लेकिन इतना उत्तम दान होते हुए भी इस दान के बाद हमें प्रायश्चित करना पड़ता है क्योंकि इन्सान का दान नहीं होता है। गायों का जो लोग दान करते हैं उन को बाद में प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो कन्या दान करता है उस को तो प्रायश्चित करना ही पड़ता है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब भी कोई ऐसी बात कही जाती है तो लोग कहते हैं कि लिखा कहां है। लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने शादियां की होंगी और वह जानते होंगे कि हमें प्रायश्चित करना पड़ता है कन्या दान देने के बाद।

प्रो० डी० सी० शर्मा : अपनी योग्य बहन द्वारा की गई व्याख्या से मैं प्रसन्न हूं। जो कुछ हम अपनी बेटियों को देते हैं वह उपहार रूप में नहीं वरन् उत्तराधिकार के रूप में होना चाहिये। हमें अपने समाज को इस प्रकार बदलना चाहिये, लड़कियां लड़कों के समान सम्पत्ति की अधिकारिनी हों। उन की आर्थिक और सामाजिक अयोग्यताओं का अन्त किया जाय।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा–मध्य) : मैं अपना संशोधन इस प्रकार से उपस्थित करता हूं :

"कि विधेयक को निम्न सदस्यों की एक प्रवर समिति को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्त तक रिपोर्ट करने के अनुदेशों सहित सौंप दिया जाय––

श्रीमती उमा नेहरू,
श्रीमती जयश्री रायजी,
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती,
श्रीमती सुषुमा सेन,
पंडित ठाकुर दास भार्गव,
श्री रघुनाथ सिंह,
श्री हरि विष्णु पाटस्कर,
प्रो० डी० सी० शर्मा,
श्री एन० सोमाना,
श्री देवेश्वर शर्मा,
श्री रामराज जजवाड़े,
श्री झूलन सिन्हा,
पंडित लिंगराज मिश्र
श्री के० एस० राघवाचारी,
श्रीमती अनुसूया बाई काले,
श्री रघुबीर सहाय,
श्री राधा रमन,
डा० मनमोहन दास,
डा० सैयद महमूद,
श्री उपेन्द्रनाथ वर्मन,
श्री अमजद अली,
श्री फूल सिंह जी बी० दाभी,
श्रीमती अम्मू स्वामी नाथन, तथा
प्रस्तावक"

श्रीमती उमा नेहरू ने इस संसद् के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सुधार का विधेयक पेश किया है। मैं इस के लिये उन्हें वधाई देता हूं।

जो प्रस्ताव अभी संसद् के सामने पेश है उस के महत्व के सम्बन्ध में मेरा अपना ख्याल है किसी सदस्य को मतभेद नहीं हो सकता है। हिन्दुस्तान में ही नहीं, दूसरे मुल्कों म जहां भी वैवाहिक सम्बन्ध का नियम है, इतिहास से पता चलता है कि विवाह के वाद अपनी कन्याओं को उपहार देना और इस प्रकार का प्रबन्ध कर देना कि जिस से विवाह के वाद फौरन कन्या अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करे, यह प्रथा प्रचलित थी। वर पक्ष के लोग भी और कन्या पक्ष के लोग भी दम्पति को इस तरह की सहायता दिया करते थे। हमारे यहां जैसा कि मेरा अन्दाज है, जब गुरुकुल से अपना विद्याध्ययन समाप्त करके कोई पुरुष समाज में प्रवेश करना चाहता था

[श्री एस० एन० दास]

जीवन संग्राम में आना चाहता था उस समय उस के पास किसी भी प्रकार की पूंजी, किसी भी प्रकार के परिवार को चलाने के सामान का अभाव हुआ करता था, और ब्रह्मचर्यावस्था समाप्त करने के बाद जब वह सामाजिक जीवन में प्रवेश करता था तब उस के लिये आवश्यकता होती थी कि उस को एक समाज के परिवार के लिये, एक गृहस्थ की व्यवस्था के वास्ते, जितनी चीज़ों की आवश्यकता हो वे चीज़ें उसको दी जायें। मेरा यह भी ख्याल है कि प्राचीन काल में पैतक सम्पत्ति में कोई खास अधिकार कन्याओं को नहीं होता था क़ानून के जरिये से। इसी लिये माता और पिता का कर्त्तव्य होता था कि जब वह अपनी कन्या का किसी वर के साथ विवाह करें और वर और कन्या जीवन में प्रवेश करें उस समय उन के पास ऐसी पूंजी हो जिस को लेकर वह अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकें इस लिये वह कन्या को समुचित सामान, द्रव्य, रुपया और गृहस्थ के लिये जितने सामान की आवश्यकता हो वह दें। सभापति महोदय, यदि आप कन्या और वर को दिये गये सामान का निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि उस सामान में गृहस्थी की जितनी आवश्यक चीजें हैं उन का ही उस में समावेश होता है। जिस समय में कन्या को उपहार देने का विधान था विभिन्न रूप में, चाहे वह नकद हो, चाहे गहने के रूप में हो, चाहे कपड़े के रूप में हो, चाहे किसी सामान के रूप में हो, उस का मतलब यह होता था कि ब्रह्मचारी जब वैवाहिक जीवन आरम्भ करता था उस के जीवन के लिये जितनी चीज़ों की आवश्यकता समझी जाती थी वह चीज़ें उसको दी जायें। इससे शुरुआत होती है हमारे स्त्रीधन की। मेरा ख्याल है कि जिस समय समाज में इस तरह की व्यवस्था चली थी तो उसमें किसी तरह की कोई बराई नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसमें परिवर्त्तन होते गये और भावना में भी परिवर्तन होते गये और आज यह मौका आया कि कन्या के लिये वर खरीदना पड़ता है। एकसमय हमारे देश में था कि कन्या को खरीदने के लिये वर को कुछ पैसा देना पड़ता था। अभी भी जहां तहां समाज में यह प्रथा है लेकिन इसको अब नीची नजर से देखा जाता है। जो कन्या को बेचते हैं या कन्या को वर को देने के लिये पैसा लेते हैं आज कोई समाज ऐसा नहीं है जिसमें ऐसे आदमियों को नीची नजर से न देखा जाता हो। यह हमारे देश की गरीबी के कारण है कि लोग अपनी बेटी को भी बेचकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। यह किसी भी समाज के लिये कलंक की बात है कि लोग अपने जीवन निर्वाह के लिये अपनी बेटियों को बेचें। यह बात किसी भी समाज के लिये कलंक की बात है। पर मैं उन लोगों को इसके लिये दोष नहीं देता क्योंकि आज समाज में यह दशा है कि जो मेहनत करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिलता और उनको अपने जीवन निर्वाह के लिये अपनी कन्याओं को बेचना पड़ता है। इसका दोष तो समाज को है।

एक माननीय सदस्य : इसके लिये आप सरकार को भी दोष दे सकते हैं।

श्री एस० एन० दास : समाज के मानें सरकार के हैं। आज हमारे सामने सवाल यह है कि जैसे जैसे हमारे देश में शिक्षा बढ़ती जाती है और आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करने का खर्च बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे समाज में यह देखने में आता है कि जो ऊंची आकांक्षा रखने वाले नवयुवक हैं, और जिनके पास साधन नहीं है, और जो चाहते हैं कि हमको अच्छे से अच्छा पद मिले और समाज में ऊंचे से ऊंचा स्थान मिले, वह चाहते हैं कि हम अपनी शिक्षा का और अपने परिवार के उच्चत्व का

लाभ उठाकर ऐसी जगह विवाह सम्बन्ध करें जहां हमको बहुत पैसा मिले और हम उस पैसे से बड़ी से बड़ी शिक्षा प्राप्त करें, इंगलैंड जाय, अमरीका जायं जिससे सरकारी नौकरी में हमारा प्रवेश जल्दी से जल्दी हो जाय। मैं समझता हूं कि हम व्यवस्थापक जो कि यहा पर बैठे हुए हैं हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें सोचना चाहिये कि क्यों हमारे देश के पढ़े लिखे और क्रान्तिकारी नवयुवक इसकी ओर झुक रहे हैं। क्यों वह अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करते जिससे कि वह कठिन काम करके ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिये इस बिल पर विचार करते हुए हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस बात को सोचें कि क्या कारण है कि हमारे समाज में नवयुवकों के दिल में यह प्रश्न पैदा होता है कि हम कन्या वाले से अधिक से अधिक रुपया लेकर अपनी शिक्षा और दूसरी चीजों की व्यवस्था कर सकें।

मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता इसलिये कि बहुत से दूसरे सदस्य और हमारी बहनें इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहती हैं। मेरा ख्याल है कि इस बिल के सिद्धान्त से इस संसद् के किसी भी सदस्य को विरोध नहीं होगा और मेरा ख्याल है कि हमारे माननीय मंत्री जी, जो कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वह भी शायद इस बिल के खिलाफ़ न होंगें, परन्तु इस कानून को बनाने के पहले हमें विचार कर लेना चाहिये क्योंकि इस सम्बन्ध में हमारी राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और उनको भी इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है, और जहां तक मेरा ख्याल है कुछ राज्यों में इसके सम्बन्ध में जहां तहां कुछ कानून बनाये भी गये हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम इस सम्बन्ध में पूरी गहराई के साथ विचार करें और विचार करने के बाद यह देखें कि किस रूप में इसको लाया जाय कि समाज पर इसका अच्छा असर पड़े। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मैं अपने दोस्त प्रोफेसर दीवान चन्द शर्मा जी से सहमत हूं कि कोई कानून बनाने मात्र से यह बुराई दूर नहीं हो सकती। इसको सफल बनाने के लिये हमें समाज की आत्मा को जगाना पड़ेगा। आज बावजूद इस बात के कि समाज में कोई भी शिक्षित व्यक्ति इसकी प्रशंसा नहीं करता है, फिर भी यह एक आग की तरह समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल रही है। किसी लड़की के पिता से आप पूछें कि तिलक या दहेज के प्रति उसके क्या विचार हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब अपने लड़के का विवाह करने आता है तो यह भूल जाता है और उस समय ज्यादा से ज्यादा मोल तोल करने में और ज्यादा से ज्यादा रकम लेने में नहीं हिचकिचाता।

सभापति महोदय, आपका ध्यान इस बात पर गया होगा कि हमारे देश में बहुत सी सामाजिक संस्थायें हैं जो बहुत दिनों से सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रयत्नशील हैं। जितनी जातीय संस्थायें हैं, जैसे ब्राह्मण सभा, कायस्थ सभा, भूमिहार सभा या दूसरी जातीय सभायें हैं वे सब इस बुराई को नापसन्द करती हैं। कोई भी ऐसा सामाजिक सम्मेलन नहीं होता जिसमें कि दहेज की प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पास न होता हो लेकिन यह भी दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस सम्मेलन के जो सभापति होते हैं वे ही उस प्रस्ताव का पूरा उल्लघंन करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बावजूद इस बात के कि इस दहेज की प्रथा का समाज में सब तरफ़ से विरोध है और इसके खिलाफ तमाम लोगों का प्रयत्न है फिर भी वह समाज म आज दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है। और यह बुराई आज यहां तक बढ़ गई है कि इससे ऊब कर हमारी कुछ बहिनें, यह देख कर कि उनके विवाह के लिये उनके माता

[श्री एस० एन० दास]

पिता को कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं और कितने झंझटों में पड़ना पड़ता है, आत्म-हत्या कर लिया करती हैं।

सभापति महोदय, आपको यह भी मालूम होगा कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से अंग हैं जहां पुत्री का जन्म खुशी से नहीं मनाया जाता है। पुत्री के जन्म से लोगों को दुःख होता है।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : अधिकतर दहेज वही लोग मांगते हैं जो कि कालिजों में पढ़ते हैं, आप सभाओं का मना क्यों रखते हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को बिना बुलाए बोलना शुरू नहीं कर देना चाहिये।

श्री एस० एन० दास : माननीय सदस्य ने शायद मेरा मतलब समझा नहीं मेरा मतलब यह है कि जो हमारे समाज के नवयुवक हैं उनका तो उत्तरदायित्व है ही लेकिन जिस समाज और माता पिता ने उनको जन्म दिया है उनका भी कम दोष नहीं है। इस दहेज की प्रथा को लेकर हमारे देश में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो समाज के लिये शोभनीय नहीं हैं। इसलिये मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब यह प्रवर समिति के पास से वापस आवेगा तो हम इसको सहर्ष पास करेंगे।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : क्या माननीय सदस्यों की सम्मति प्राप्त कर ली गई है?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने प्रवर समिति के सदस्यों की सम्मति को प्राप्त कर लिया है। यदि किसी सदस्य ने सम्मति नहीं दी तो वह अब ऐसा कर सकता है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल) : अभी हमारे प्रोफ़ैसर साहब ने कहा कि पब्लिक ओपीनियन के लिये यह बिल भेज दिया जाय और उन्होंने ऐसा बतलाया कि अभी पब्लिक में इस के खिलाफ ऐजुकेशन काफ़ी नहीं है। मुझे पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजने के लिये कोई ऐतराज नहीं है, अगर यह हाउस कानून के द्वारा तब तक तमाम शादियों को रोक दे और इसके पहले कि मैं और बात कहूं, सभापति महोदय, मुझ को इस हाउस से एक शिकायत करनी है। इस हाउस का आधा खर्चा हिन्दुस्तान की औरतें उठाती हैं, आधी वोटर स्त्रियां होती हैं वोट ले कर के जब हाउस में नुमायन्दे आने होते हैं तो उन औरतों के वोट लेने के लिये तो बहुत वक्त होता है, लेकिन जब यहां पर आते हैं और जब कोई ऐसे कानून की बात होती है जिनका कि औरतों से खास तालुक होता है तो उन्हें वक्त नहीं मिलता है चुनाव के बाद, तो इतने सैशन हो चुके, लेकिन आज तक एक भी बिल इस किस्म का पास होने के लिये हाउस को वक्त नहीं मिला। जब कोई बिल आता है तो देर लगा कर, सिलैक्ट कमेटी, पब्लिक ओपीनियन, इस तरह सब किस्म की बातें लगा कर इतनी देर कर दी जाती है कि वह बिल पास नहीं होता। मुझे वह दिन भी याद है जब कि इस हाउस में किसी वक्त हिन्दू कोड बिल के नाम से एक बिल पेश था। और इसी तरह लोगों ने हमारे हाउस के सदस्यों ने, उस को सिलैक्ट कमेटी और इस तरह की बातें लाकर देर लगा लगा कर ऐतराज किये और वह पास नहीं हो सका।

आज इस बिल की ताईद करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं तो मैं बड़ी शर्म के साथ कहती हूं कि मैं औरतों के लिये बराबर का हक मांगने के लिये नहीं खड़ी हुई हूं। बराबर

का हक तो न मालूम हम कब मांगेंगी ? हम तो सिर्फ़ इतना चाहती हैं कि हमारे इस हाउस के सदस्य औरतों को कम से कम इन्सान मानने को तैयार हो जायें । हमारे समाज में आज जितना अपमान शादियों में होता है, चाहे उस के लिये आप शास्त्रों को कोट करें चाहे धार्मिक पुस्तकों को कोट करें, परन्तु जिस क़िस्म की शादियां आज हिन्दुस्तान में होती हैं, उस में दहेज और इस तरह की और रस्मों के अलावा, दहेज में जितना अपमान जितनी बेईज्जती स्त्री की होती है इतनी कभी कोई इन्सान किसी इन्सान के साथ नहीं कर सकता । आप लड़की को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लड़की अच्छी है, गुणवान् है, पर उसकी शादी नहीं हो सकती, उस के साथ दहेज चाहिये । लड़की की कोई क़द्र नहीं, उस के गुणों की क़द्र नहीं, उस की और चीजों को क़द्र नहीं । हर चीज़ के पीछे यह विचार होता है कि दहेज़ कितना है । आज मुझे मालूम है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आज ऐसा कहां है, आज तो दहेज़ नहीं मांगा जाता है, पढ़े लिखे लोग नहीं मांगते हैं, दुनियां तरक्की पसन्द हो गयी है । लेकिन सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि दहेज़ तो बराबर मांगा जाता है, आज दहेज़ की क़िस्म बदल गयी है । आज शादी में तरह तरह के कपड़े नहीं मांगते हैं, तरह तरह की फ़ालतू चीज़ें नहीं मांगते हैं, लेकिन रेडियो मांगते हैं, मोटरें मांगते हैं, विलायत जाने के लिये ख़र्चा मांगते हैं और इस तरह पचीसों क़िस्म की चीज़ें मांगते हैं । अगर और कुछ नहीं चाहते हैं तो कम से कम यही चाहते हैं कि नौकरी दिलवाने में मदद करवा दी जाय । इस क़िस्म से अगर समाज के आधे हिस्से पर कोई प्रतिबन्धन लगा दिया जाय तो उस से ज्यादा अन्याय कोई और नहीं हो सकता ।

इस के साथ ही साथ, सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि आज अगर हम लोग इस किस्म की जो दहेज़ की प्रथा है उस को हटाते नहीं हैं, तो शादियों में बड़ी दिक्कतें होती हैं । आज हमारा समाज एक ऐसे वक्त से गुज़र रहा है कि अब वह वक्त नहीं रहा कि जिस में स्त्री अपनी पोज़ीशन को समझती नहीं हो । उस में आज एक जागृति आ गयी है, कानशसनैस आ गयी है । आप ने स्त्री को शिक्षा दी है, लड़की को पढ़ाया है, हालाँकि उस पढ़ाने की नीयत में मुझ को शक है । मैं इस चीज़ को समझती हूं कि लड़की को आज आप ने इसलिये नहीं पढ़ाया कि मुसीबत के वक्त वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके या स्त्री जाति तरक्की कर सके । आज पढ़ाने में नीयत अच्छी नहीं है । आज हम लोग पढ़ाते इसलिये हैं कि लड़का आठवीं पास लड़की चाहता है । पढ़ाते इसलिये हैं कि लड़के की डिमांड दसवीं पास की है । डिमांड बी० ए० की हो गयी है तो बी० ए० करवा देते हैं । अगर रत्न और प्रभाकर से काम चल जाता है तो उतना ही पढ़वा देते हैं । ऐसा हो गया है, जैसे मारकेट में जिस चीज़ के लिये डिमांड हो उस डिमांड के मुताबिक़ ही मारकेट में चीज़ तैयार की जाती है और इस तरह यह लड़की का मोल और तोल होता है । उस के बाद जब शादी होने लगती है तो बड़ी दिक्कत आती है । दहेज़ उस लड़की के साथ चाहिये और लड़की जागृत हो गई है इसलिये लड़की अपने अपमान को महसूस करती है । लड़की अच्छी जगह शादी करना चाहती है लेकिन शादी नहीं हो सकती है । मां बाप भी मजबूर हैं, शादी होने में हज़ार रुकावटें दहेज़ की वजह से हैं । आज हमारे समाज में इस का क्या असर होता है ? आज मुझे मालूम है, मैं ने शास्त्र तो पढ़े नहीं हैं, संस्कृत भी नहीं जानती हूं, पर मुझे मालूम है कि कुछ कोट किया गया और इस बिल को रोकने के लिये हज़ारों

[श्रीमति सुभद्रा जोशी]

शास्त्र और कोट कर दिये जावेंगे। लेकिन आज जब शादी का वक्त होता है और शादी नहीं होती है तो माता पिता अपनी आंख बन्द कर लेते हैं और लड़की किसी के साथ भी भाग कर किसी के भी साथ शादी कर लेती है। उस में जागृति है, वह शादी अच्छी जगह करना चाहती है। मां बाप भी करना चाहते हैं, लेकिन शादी नहीं होती है तो लड़की किस्म किस्म से सजती है, अपने क़िस्म क़िस्म के कपड़े पहनती है, मुंह रंगती है, मां बाप इस को सहन करते हैं और चाहते हैं कि लड़की अपने आप कहीं चली जाय और शादी कर ले। वह सब दहेज़ की वजह से मजबूर हैं। मुझे इस तरह के मां बाप से सहानुभूति है। पर यह समाज पर एक भारी कलंक है और यह समाज का इतना भारी गिरना उसी का नतीजा है।

फिर बहुत सी ऐसी जगह भी हैं कि जहां दहेज़ दे दिया जाता है। फिर भी दुःख है, दहेज़ इसलिये दे दिया जाता है कि दहेज़ देने के बाद हमारी लड़की सुखी हो जायेगी। मैं ने देखा कि जिस घर से जितना दहेज़ मिला, वह लड़की उतनी ही दुखी और परेशान रहती है, क्योंकि पैसा लेने वाले की तृष्णा कभी शान्त नहीं होती। जब लड़की दहेज़ ले आती है तो सुसराल वाले समझते हैं कि जितनी बार यह घर में अपने जायगी और आवेगी उतनी ही बार ज्यादा मिलेगा। जितना वह लाती है उतनी ही ज्यादा ज़रूरत मालूम होने लगती है और जब वह तृष्णा किसी क़िस्म से पूरी नहीं हो पाती है तो लड़की दुःख पाती है।

आज आप कहते हैं कि पब्लिक ओपीनियन इसके हक़ में नहीं है। न मालूम आप पब्लिक ओपीनियन किस को समझते हैं? आज आप एक एक लड़की की हालत को देखिये, वह एक मूक आवाज़ है जिस को आज सदियों से जानवरों से बदतर ट्रीट किया गया है। आप कहते हैं ऐजूकेशन नहीं है, आप कहते हैं कि पब्लिक ओपीनियन नहीं है। वह बेचारी परेशान है, बोल नहीं सकती हैं, जानती भी नहीं हैं, और जानती भी है तो उसकी आवाज़ नहीं है, और आवाज़ हो तो कैसे हो? मुझे आज हाउस में जब यह मालूम होता है कि वह इस बिल को सीरियसली नहीं लेना चाहता है तो लगता है कि यह लड़ाई कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बल्कि लेने वालों और देने वालों में लड़ाई है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे यहां जब हाउस में सदस्य इस बिल पर बातचीत करते हैं तो न मालूम औरत से क्या मतलब समझते हैं। पर वह औरतें तो हमारी बेटियां हैं, हम शादी करते हैं उन की, वे हमारी बहनें हैं और हम उन की शादी करते हैं। उन तमाम दिक्कतों से हम गुज़रते हैं। पर मालूम होता है कि जब हमारे भाई जो मुख़ालिफ़त करते हैं तो शायद वह समझते हैं कि हमारे यहां सारे लड़के ही लड़के पैदा होने वाले हैं। हम सदा लेने वालों में हैं। मैं चाहती हूं कि इस बात पर थोड़ी रिसर्च की जाय और जब बिल का क़िस्सा ख़त्म हो जाय तो, सभापति महोदय बोलने वालों की लिस्ट के बारे में देखा जाय कि मुख़ालिफ़त करने वालों की लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं और समर्थन करने वालों की लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं, क्योंकि मुझे सचमुच में शक होता है कि आज सदियों के बाद हिन्दुस्तान में यह कहा जाय कि इस के लिये तो पब्लिक जागृत नहीं है और दहेज़ के दोषों को नहीं जानते हैं, इसलिये उन को ऐजूकेट किया जाय, उन को बतलाया जाय कि उस में क्या बुराइयां हैं, उस की बुराइयों को उन के सामने रखने का मौक़ा दिया जाय, यह ऐसी बातें सुनकर मुझे सचमुच में नीयत

पर शक होने लगता है। इसके लिये मैं माफ़ी चाहती हूं।

हमारे यहां यह भी कहा गया, हमारे सदस्यों ने यह भी कहा कि क़ानून से यह बात रुकने वाली नहीं है। मैं इस चीज़ को कुछ हद तक मानती हूं। मैं तो यह भी मानती हूं और जैसे यहां पर मैं ने कभी कभी कहा भी है कि यहां हाउस में रोज़ कई चीज़ें आती हैं। रोज़ मैं सुनती हूं कि किसानों के साथ क्या होना चाहिये, मज़दूरों के साथ क्या होना चाहिये, समाज का एक्सप्लाइटेशन कैसे रुकना चाहिये। लेकिन जो औरतों का एक्सप्लाइटेशन होता है, उस की तरफ़ किसी की तवज्जह नहीं जाती। कुछ फ़ी सदी संख्या मज़दूरों की हिन्दुस्तान में होगी कुछ फ़ी सदी हिन्दुस्तान में किसानों की होगी, सब कुछ कुछ फ़ी सदी ही हैं। पर यहां औरतों की जितनी तादाद भारी है और जितना शादियों से औरतों का एक्सप्लाइटेशन हो रहा है और उस से जितना नुक़सान सोसायटी पर पड़ता है, इस की तरफ़ किसी का ध्यान और किसी की तवज्जह नहीं है।

इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि हमारे समाज में और चीज़ों के अलावा दहेज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें औरत को ख़रीदना और बेचना होता है और जिस समाज में यह होता हो, वह समाज कभी तरक्क़ी नहीं कर सकता है और साथ ही मैं इस चीज़ को भी मानती हूं कि इस चीज़ के लिये अगर हम लोग किसी का मुंह ताकते रहें, कि कोई दूसरा हमारी मदद करने वाला आने वाला है, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखती। मेरा तो यह विश्वास है कि हमारे देश की लड़कियां और औरतें जब तक इस कुरीति के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठायेंगी और लड़ाई नहीं करेंगी, उन को इस चीज़ के लिये समाज और देश दोनों से लड़ाई करनी पड़ेगी, साथ ही जितने ग़ैर तरक्क़ी पसन्द लोग हैं जिन के दिल में तो कुछ और ही रहता है लेकिन जो समय समय पर धर्मग्रन्थों और शास्त्रों को कोट करके हम स्त्री जाति को पीछे रखना चाहते हैं, समाज में औरत का ख़रीदना और बेचना जारी रखना चाहते हैं, उनके साथ भी हमें लड़ाई करनी होगी और अपनी आवाज़ उनके विरुद्ध बुलन्द करनी होगी और मैं आप से सच कहती हूं कि जैसे वह दिन दूर नहीं है जब कि सरमायादार ग़रीब का शोषण नहीं कर पायेंगे, जिस प्रकार यह दिन आने वाला है, उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वह दिन भी दूर नहीं है और जल्द आने वाला है जब औरतों का आपको एक्सप्लायटेशन बन्द करना होगा और अगर उस वक्त आप मेरे सामने आ कर यह कहें कि शास्त्रों में यह लिखा है कि तुमको बिकना ही होगा, शास्त्रों में लिखा है कि लड़की की शादी में पैसा देना ही होगा तो मैं कह देना चाहती हूं . . .

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण) : श्रीमान्, संविधान के अन्तर्गत इसे पहले से एक अपराध घोषित किया जा चुका है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : अगर इस किस्म की बात उन में हो, उसके लिये तो सभापति महोदय, मैं ने पहले ही कह दिया कि मैं संस्कृत जानती नहीं . . . .

पंडित के० सी० शर्मा : आप इस पवित्र ग्रन्थ के सम्बन्ध में ऐसे अपमानजनक शब्द क्यों कहती हैं? इसमें किसी स्थान पर भी ऐसा नहीं लिखा है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : व्यवहार में ऐसा है।

पंडित के० सी० शर्मा : श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या माननीय सदस्या बिना जाने कि किसी ग्रन्थ में क्या लिखा है—ग्रन्थ जिसमें दूसरे

[पंडित के० मी० शर्मा]

लोग विश्वास करते हैं — उसके सम्बन्ध में अपमानजनक शब्द कह सकती हैं ?

सभापति महोदय : यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है तथा इसमें कोई सारभूत बात नहीं है ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : सभापति महोदय, अगर मैंने अपने कुछ सदस्यों के दिलों को चोट पहुंचाई है, तो मैं उनसे इसके लिये क्षमा चाहती हूं ।

मैं साफ़ कह देना चाहती हूं कि जिन शास्त्रों को यह लोग मानने वाले हैं, मैं भी उन्हीं शास्त्रों को मानते हुए इतनी बड़ी हुई हूं । तो मैं यह कह रही थी कि जिस वक्त जो बुराई समाज में हम अपनी आंखों से देखते हैं और जब हम उस बुराई और एक्सप्लायटेशन को हटाना चाहते हैं, उस वक्त अगर कोई साहब हमारी धार्मिक किताबों को कोट करें, तो मुझे उनकी नीयत पर शक होने लगता है, जैसा मैंने पहले आपसे कहा, संस्कृत तो मैं जानती नहीं और शास्त्र मैंने पढ़े नहीं हैं, पर जिस वक्त मैं यह देखती हूं कि अगर कोई धार्मिक पुस्तक का नाम ले जिसे देश के करोड़ों आदमियों ने नहीं पढ़ा है, बहुत कम लोगों ने उनको पढ़ा होगा, अगर उन पुस्तकों का नाम ले कर आप मुझ पर जुल्म करना चाहें या सोसाइटी के किसी हिस्से पर जुल्म करना चाहें, तो यक़ीन मानिये एक दिन ऐसा आने वाला है कि उन की इज्जत ख़त्म हो जायेगी और वह धर्मशास्त्र ताक में धर दिये जायेंगे । मैंने आपसे कहा कि मेरा मंशा उन पुस्तकों पर कोई रिफ़्लेक्शन डालना नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूं कि जिस तरह उन पुस्तकों का नाम ले कर आप मजदूरों का गला नहीं काट सकते, आप किसानों का खून नहीं पी सकते, उसी तरह वह दिन दूर नहीं जब आप औरतों के रास्ते में रोड़ा नहीं अटका सकते ।

कुछ भाइयों का यह कहना है कि इस के लिये क़ानून पास करना ज़रूरी नहीं है, तो मैं उन भाई से कहना चाहती हूं कि उनका कहना किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं उन को बतलाऊं कि हमारे यहां दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो वह लोग हैं जो यह समझते है कि इस कांग्रेस की हुकूमत से किसी ग़रीब का भला नहीं होने वाला है, कुछ लोगों का यह यक़ीन है कि कांस्टीट्यूशनल तरीके से क़ानून द्वारा किसी गिरी हुई जाति का इस देश में भला होने वाला नहीं है और वह दूसरा रास्ता अख़्तियार करने को कहते हैं और वह वायलेंस से उस कुरीति को हटाना चाहते हैं, एक एवोलूशन का रास्ता है, दूसरा रेवूलूशन का रास्ता है । आज समाज का बच्चा बच्चा इस कुप्रथा के ख़िलाफ़ पुकार रहा है, अगर उसको हमने रोकने की कोशिश नहीं की तो हो सकता है कि वह तमाम चीजें ग़लत रास्ते पर चली जायें और उसका समाज पर बुरा असर हो और चूंकि अनेक सदियों से स्त्री जाति हमारे समाज में पददलित रही और मुसीबत में रही है, इसलिये हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम क़ानून का सहारा ले कर उनको खड़ा करने की कोशिश करें, यह क़ानून जो हम बनवाना चाहते हैं, यह तो एक थोड़ा सा उनको उठान के लिये सहारा है, बाक़ी सहारा वह बेचारी औरतें खुद तलाश कर लेंगी । यह तो एक मामूली सा सहारा होगा जो कि आप देंगे और लोगों की तवज्जह इस तरफ़ करेंगे कि इस किस्म का काम करना मना है, इस बात को मैं मानती हूं कि उसके लिये हमें लोगों को एजूकेट करना चाहिये, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो शिक्षा से नहीं मानते, वह डंडे से मानने वाले होते

शिक्षा इस दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, लेकिन कुछ लोग शिक्षित होते हुए भी इस को नहीं मानते और उनके लिये डंडे की जरूरत पड़ती है और मैं ने सुना है कि हमारे धर्मग्रन्थों में विशेष अवस्था में दंड विधान की व्यवस्था दी गयी है, साम, दाम, दंड, भेद इन चारों में दंड की भी अपनी विशेषता है और वह भी एक जरूरी चीज है। यह कोई मज़ाक़ की चीज़ नहीं है, यह जो आज स्त्री जाति पर अत्याचार हो रहा है, हमें उसको महसूस करना चाहिये और इस सम्बन्ध में मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप इस बिल को फ़ौरन पास करें और इसके साथ दूसरा अमेंडमेंट जो दंड का है, लेने वाले को दण्ड भी मिलना चाहिये, वह जरूर उसके साथ लगा दिया जाय।

श्री नन्द लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे श्रीमती उमा नेहरू ने इस बिल के आबजेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के विषय में जो शब्द कहे हैं और जो उद्देश्य बतलाया गया है, उस उद्देश्य और उस भावना से जो इस बिल में निहित है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है . . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वह बहुत संक्षेप से बोलें। हमारे पास बहुत थोड़ा समय है तथा बोलने वाले सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। पन्द्रह के नाम तो मेरे पास आ भी चुके हैं।

पंडित के० सी० शर्मा : आप प्रत्येक सदस्य के लिए पांच मिनट निश्चित कर दें।

सभापति महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विधेयक के उद्देश्य में कोई बहुत गम्भीर बात नहीं है। इस के सम्बन्ध में संशोधन भी बहुत थोड़े हैं। महिला सदस्याओं तथा विधेयक के विरोध में बोलने वाले सदस्यों को कुछ अधिक समय दिया जा सकता है, परन्तु मैं सारी बात को स्वयं सदस्यों के विवेक पर छोड़ता हूं

श्री दासी (कैरा उत्तर) : श्रीमान्, हम में से जिन सदस्यों ने ऐसे ही विधेयक पुर:स्थापित कर रखे हैं, उन्हें बोलने के लिए अवसर दिया जाय।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। विधेयक के केवल पुर:स्थापन मात्र से ही आप उस के सम्बन्ध में बोलने के लिए अधिक योग्य नहीं समझे जा सकते। समय के बहुत थोड़ा होने से मुझे सदस्यों को चुनना पड़ेगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं कि जिन १५ आदमियों ने अपने नाम दिए हैं, वही बोलने का अवसर पायेंगे या दूसरों को भी मौका मिलेगा ?

सभापति महोदय : सम्भवत: जब पंडित के० सी० शर्मा ने इस प्रश्न को उठाया था तो माननीय सदस्य ने उत्तर की ओर ध्यान नहीं दिया था। यदि इसी तरह सुझाव आते रहे तो दस मिनट इसी में लग जायेंगे।

श्री नन्द लाल शर्मा :

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै

नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क-मरुद्गणेभ्य:॥

समय का बन्धन मुझ से आरम्भ किया गया है। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस दृष्टिकोण को आप के सामने रखने लगा हूं शायद वह दूसरा कोई रख न पावे। इसलिये आप कृपा कर के समय का बन्धन यहां मुझ पर न लागू करेंगे।

सभापति महोदय : इसी कारण तो मैं ने माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुलाया है।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं ने जैसा निवेदन किया है कि मैं इस विधेयक के उद्देश्यों से सर्वथा सहमत हूं। कोई यदि उद्देश्यों सम्बन्धी

[श्री नन्द लाल शर्मा]

जगह को देखें तो जहां यह शब्द कहे गये हैं कि "एग्जार्बिटेन्ट चार्जेज" होते हैं, अथवा आगे चल कर जो यह शब्द कहे गये हैं कि कन्याओं का विक्रय होता है, इन दोनों बातों का कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी सभ्य समाज का आदमी समर्थन नहीं करता है और न कर ही सकता है। इसलिये इस दृष्टिकोण में कोई मतभेद नहीं है। केवल दो एक शब्द कहना चाहता हूं। इस बिल को देख कर के, यह जो कालीदास का यहां नाम लिया गया, भवभूति के शब्द कह डाले, फिर कुछ बाद में कुछ और ही कहा गया। हम को खेद हुआ कि इस बिल के नाम के ऊपर लिखा है "डावरी रिस्ट्रेन्ट बिल"। किन्तु, उस को पढ़ने पर पता चलता है कि वह 'डावरी ऐबालिशन बिल' है। उस में रिस्ट्रेन्ट नहीं है, एक प्रथा को, एक अधिकार को सर्वथा मिटा दिया गया है। और वह अधिकार किस के लिये है ? हमारे लिये नहीं, हमारी बहन, बेटियों और बच्चियों के लिये और हमारी माताओं के लिये है। उस पर भी एक बात मैं खेद से अनुभव करता हूं कि हमारी बहन सुभद्रा जोशी ने पुरुष समाज और स्त्री समाज के लिये न जाने क्या क्या शब्द कह डाले। यह मेरा अपना अनुभव है कि पुरुष समाज और स्त्री समाज दोनों अलग अलग समाज नहीं हैं। हर पुरुष के घर में उस की पत्नी, उस की कन्या, उस की बहन होती हैं और अगर यह तीनों नहीं भी हैं, तो भी कोई पुरुष ऐसा नहीं हो सकता जिस के घर में मां न हो। और माता यदि चाहे तो वह केवल अपनी बालिका को ही पैदा करे, और अगर पुरुष और स्त्री को दो समाज मानने लगें तो लड़का होते ही उस को स्वाहा कर दे, नष्ट कर दे, मिटा दे। इस लिये मैं समझता हूं कि जो पाश्चात्य सिद्धान्त से, पाश्चात्य ढंग से चल कर के हम ने पुरुष और स्त्री के दो समाजों की भावना प्राप्त की है उसको हमें पृथक कर देना चाहिये।

इस के साथ साथ मैं इस बिल पर भी दो चार शब्द कहना चाहता हूं, और वह यह है कि आप की इस डावरी की डेफिनिशन में यह शब्द हैं :

"'दहेज' का अर्थ है कोई भी वस्तु या नगद राशि जो सगाई अथवा विवाह सम्बन्धी प्रसविदे के रूप में दी जाय।"

मेरा अत्यन्त नम्रता से निवेदन है कि जहां तक हिन्दू धर्म शास्त्रों को हम देखते हैं, यह शब्द हिन्दू विवाहों पर लागू नहीं होते हैं। कारण क्या है ? हिन्दू विवाह ही सारे विश्व में एक मात्र विवाह है जो कंट्रैक्ट नहीं है। हिन्दू विवाह तो एक संस्कार है। जैसी श्रीमती उमा नेहरू ने कन्यादान शब्द कह कर प्रायश्चित की बात बतलाई है, उस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि समय परिवर्तन होने पर : जो धर्म को अधर्म समझता हो, अच्छी बात को भी बुरी बात समझता हो, यह उस के दुर्भाग्य का समय है, समय परिवर्तन है। कन्या को दान इस लिये नहीं किया जाता है कि कन्या को पशु समझा जाता है। गऊ को दान इस लिये नहीं किया जाता है कि गऊ को पशु समझा जाता है। गऊ का दान हिन्दू धर्म में इस लिये है कि गऊ को माता समझा जाता है, गऊ का दान सब से पवित्र धर्म माना जाता है :

इष्टं धर्मेण योजयेत्

जो सब से प्यारी वस्तु हो उस को धर्म को अर्पण करना होता है। कन्या को भी जिस समय दान करने के लिये कहा है तो उस को पशु रूप से दान करने के लिये नहीं कहा।

इनां श्रीरूपिणीं कन्यां विष्णुरूपिणे वराय-
तुभ्यमहं संप्रुददे।

"लक्ष्मी रूपी कन्या को मैं विष्णु रूप वर के प्रति अर्पण कर रहा हूं" यह शब्द आते हैं,

यह शब्द नहीं आता है कि "मैं एक पशु को ले कर के" अथवा "अपने एक पशु को ले कर" देता हूं। हिन्दू धर्म शास्त्र और हिन्दू सभ्यता के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिये। आप डावरी को रिस्ट्रेन करें, तथा कन्या के विक्रय को रोकें। समाज के अन्दर और जो गल्तियां आ गई हों उन को आप रोकें, हम कभी भी उस का विरोध नहीं करेंगे। किन्तु मैं एक बात जरूर चाहता हूं कि माता पिता ने जिस कन्या को, अपनी सन्तान को अत्यन्त स्नेह से पाला है, उस को जिस समय वह दूसरे कुल में अर्पण करने लगते हैं तो उन के मन में स्वयं यह भाव आता है कि मैं अपनी सम्पत्ति में से एक भाग कन्या के लिये निकाल दूं। यह अनुचित है कि वह अपनी शक्ति के अनुसार, जो कुछ कि उस के अन्दर शक्ति हो, उस कन्या को दान करे, लक्ष्मी रूपी कन्या को, उस लक्ष्मी रूपी कन्या के स्वतन्त्र निर्वाह के वास्ते, वह उस को स्वीकार न करे। जो कुछ कि उस को आग्रह से दिया जा रहा है वह उस को स्वीकार करना चाहिये। पिता इसी रूप से देता है जैसे दक्ष ने अपनी कन्याओं को अर्पण करते समय कहा कि अब संसार को प्रचलित करो, पूरे संसार के कल्याण के लिये। मैं संसार के उपयुक्त जो ग्राह्य सामग्री है वह तुम को अर्पण करता हूं। इस लिये मेरा कहना है कि डावरी को सर्वथा रोकना, दहेज को सर्वथा रोकना अनुचित है। जहां माता पिता अपनी शक्ति से बाहर काम करते हैं वहां दहेज को रोकना उपयुक्त है, उचित है और मैं समझता हूं कि मैं क्या कोई भी उस का विरोध नहीं करता।

श्रीमती सुभद्रा जोशी ने यह शब्द कहे कि जो लोग इस बिल का विरोध करते हैं उन के घरों में देखना चाहिये कि उन की कितनी कन्यायें हैं और कितने लड़के हैं। मेरा केवल इतना निवेदन है, इस दृष्टिकोण से कि यह भाव आप को नहीं रखना चाहिये। हमारे यहां पुत्र का भी दान किया जाता है।

श्री एस० सी० सिंघल (ज़िला अलीगढ़): पुत्र का दान ?

श्री नन्द लाल शर्मा: कठोपनिषद में दिया है कि उद्दालक अरुणी सर्ववेदस् यज्ञ कर रहे हैं और वह गउओं को दान कर रहे हैं:

पीतोदका जग्धपोणा दुग्ध पोहा निरिन्द्रिया। आनन्दानाम ते लोका-स्तान स गच्छति ददत्

गायें पानी पी चुकी हैं, अब और पानी पीने की ताकत उन में नहीं है, जो गायें इतनी घास खा चुकी हैं कि और घास चरने की उन में ताकत नहीं है, ऐसी गायों का जिस समय दान करने लगते हैं तो उस समय नचिकेता समझ गया कि मेरे पिता स्वार्थवश, ममतावश मेरे लिये अच्छी गायें रख रहे हैं, इस से मेरे पिता का कल्याण नहीं होगा। उस समय नचिकेता कहते हैं:

तत कस्मै मां दास्यसीति

पिता मेरा दान किस के प्रति करोगे। एक बार कहा, दोबारा कहा, तीसरी बार कहा। जब तीसरी बार कहा तो पिता ने उत्तर दिया "मृत्यवे त्वां ददामि" कि मैं तुम को मृत्यु को दान करूंगा। उस समय नचिकेता स्वयं मृत्यु के पास जाते हैं। पिता की आज्ञा पुत्र के लिए सर्वस्व है। यह श्रुति है कोई कहानी नहीं है।

एक माननीय सदस्य: दान नहीं है, त्याग है।

श्री नन्द लाल शर्मा: दान शब्द का अर्थ त्याग ही होता है। दान का अर्थ होता है अपने स्वत्व अधिकार का परित्याग कर के दूसरे के स्वत्व अधिकार का सम्पादन करना। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि सब के देखते देखते राजा दशरथ ने अन्याय पूर्वक श्री राम को बनवास दिया। राम ने स्वीकार किया अपने आप को पिता की सम्पत्ति कह कर। संतान रूप से पिता की सम्पत्ति अपने आप को

[श्री नन्द लाल शर्मा]

मानना पुत्र तथा कन्या दोनों का कर्तव्य है। तो इस भावना से कन्या का दान किया जाता है कोई पशु पक्षी की तरह नहीं, या कोई सम्पत्ति समझकर दान करने की भावना नहीं है।

इस के साथ मैं दो शब्द और कहना चाहता हूं। औरतों को अधिकार है कि उन के लिए यह होना चाहिए और वह होना चाहिए। हम तो इस औरत शब्द का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझते। हमारे यहां अपनी पत्नी को छोड़ कर समस्त विश्व की देवियां या तो मातायें हैं, या बहिनें हैं या कन्यायें हैं। इस के अतिरिक्त हमारी उन के साथ कोई भावना नहीं है। हम पाश्चात्य सभ्यता के ढंग से स्त्री को विलासिता का केन्द्र समझ कर उस का शूर्पनखा के रूप में स्वागत नहीं करते। हम तो सीता के प्रकार उस का स्वागत करते हैं। हम लक्षमण की तरह देवियों को देखते हैं जो कि कहते हैं :

कंङ्कणौ नैव जानामि नैव जानामि कुंडले
नूपुरावेव जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्

मैं सीता के कंकण को नहीं पहचानता, मैं सीता के कुंडल को नहीं पहचानता, मैं उन के नूपु को पहचानता हूं क्योंकि मैं उन के नित्य चरणों की वन्दना करता था। मैं ने सीता के हाथ नहीं देखे, मैं ने सीता के कान नहीं देखे, मैं ने तो सीता के केवल चरण देखे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हम बहुत प्रयत्न करेंगे तो स्त्री को पार्लियामेंट का चेयरमैन बना देंगे या स्पीकर बना देंगे, परन्तु हम दुर्भाग्यवश उस के मुंह पर दाढ़ी मूंछ पैदा नहीं कर सकते इस का हम क्या करें। माताओं का पूर्ण मान रखते हुए मैं यह कहता हूं कि एक पुरुष चाहे तो एक वर्ष में सैकड़ों गर्भ दे सकता है पर स्त्री हजार प्रयत्न कर के भी मर जाय तो भी वह दस गर्भ भी नहीं धारण कर सकती

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति माननीय सदस्य का भाषण बहुत रुचिकर है परन्तु इस विधेयक से संगत नहीं है।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं ने कोई अनुचित शब्द कहने का प्रयत्न नहीं किया है। मेरा यह कहना है कि प्रकृति के द्वारा जो असमानता सम्पादन कर दी गयी है उस असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है। वैसे तो हमारे यहां पिता से माता का दस गुना गौरव माना गया है। इसी लिये हम राम से पहले सीता का नाम लेते हैं, शंकर से पहले गौरी का नाम लेते हैं, नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम लेते हैं।

सभापति महोदय : मैं पहले ही संकेत से कह चुका हूं कि हिन्दू समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा के प्रश्न का इस विषय से बहुत दूर का सम्बन्ध है।

श्री नन्द लाल शर्मा : मेरा इतना निवेदन है कि मातापिता का यह कर्तव्य है कि वह कन्या को अपने घर से बिल्कुल खाली हाथ न चलावें, उस को कुछ न कुछ देना चाहिए। इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्स में जो यह दो बातें दी हुई हैं कि

"As a result of this custom many persons have to pay exorbitant sums to secure bridegroom for their daughters. Again, in some parts there is regular traffic of selling and buying girls."

["इस प्रथा के फलस्वरूप बहुत से व्यक्तियों को अपनी पुत्रियों के लिए वर प्राप्त करने के निमित्त बहुत बड़ी बड़ी रकमें देनी पड़ती हैं। कुछ भागों में तो लड़कियों का नियमित रूप से क्रय तथा विक्रय किया जाता है"।]

यह तो हमें सर्वथा मान्य है। इन को कोई कानून बनाकर रोकना चाहिए। परन्तु यदि इस का यह अर्थ है कि डाउरी देना सर्वथा नष्ट किया जाय तो उसका मैं विरोध करता हूं और अत्यन्त शुद्ध भाव से विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि श्रीमती उमा नेहरू जी मेरी भावनाओं को समझेंगी और उन के उद्देश्य का विरोध न करते हुए, किसी भी डाउरी देने वाले को दंड दिया जा सके इस भावना का मैं विरोध करता हूं। हमारे शास्त्रों के अनुसार माता पिता की ओर से कन्या को जो आभूषण वस्त्र आदि दिया जाता है वह सब स्त्रीधन ही है और यह भी कहा गया है कि स्त्रीधन से जीवन निर्वाह चलाने वाला व्यक्ति नर्क का भागी होता है। और संसार में कलंक का भागी होता है। इसलिए उसे कभी भी किसी धर्म शास्त्र ने स्वीकार नहीं किया।

इन शब्दों के साथ में आप को धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : हमें सदन में ऐसे विधेयकों के पुरःस्थापन के सम्बन्ध में बहुत बधाई-पत्र मिले हैं। इन पत्रों के लेखकों का मत है कि इस से समाज पर पड़ा हुआ अनुचित भार बहुत सीमा तक हल्का हो जायगा तथा कि इस प्रकार की सामाजिक बुराई स्त्री और पुरुष दोनों की गरिमा को कम करती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि विधेयक को विनोद का विषय बनाया जाय या इसे स्त्री और पुरुष का परस्पर युद्ध समझा जाय।

कुछेक माननीय सदस्य : नही, नहीं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरी इच्छा थी कि उद्देश्यों तथा कारणों में केवल यही न लिखा जाता कि 'अपनी पुत्रियों के लिए वरों को प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी रकमों के देने की यह प्रथा' बल्कि इस के विपरीत भी लिखा जाता। समाज के कुछ भागों में पत्नियों के लिए भी बड़ी बड़ी राशियों को दिया जाता है।

मैं इस सारे प्रश्न को सामन्तवादी शोषण का एक भाग ही समझती हूं जिस का विरोध इस सदन के प्रत्येक दल या गुट को करना चाहिये। हम मानवीय गरिमा के समर्थक हैं तथा समता में विश्वास करने वाले हैं।

मैं कुछ शब्द सदन में दिये गये अन्तिम भाषण के बारे में कहना चाहती हूं। अन्तिम वक्ता ने कहा है कि वह समाज को स्त्री तथा पुरुष में विभक्त करने के विरोधी हैं। परन्तु ऐसे शब्द सम्पत्ति की बांट के समय ही कहे जाते हैं। जब कभी एक समान मजूरी का प्रश्न उठाया जाता है तो हम लोग मौन साध जाते हैं। प्रत्येक बार हम धर्म की आड़ लेते हैं।

एक माननीय सदस्य पिता द्वारा अपना समर्थतानुसार उपहार देने के समर्थन में अन्तर्बाधा डाल रहे हैं। मैं इस का भी विरोध करती हूं। हम ने इस विधेयक में यह कहीं नहीं कहा कि उपहारों को कुछ राशि तक देने की अनुमति न दी जाय। ऐच्छिक उपहार की व्यवस्था केवल एक बहाना है। इस से आप और अधिक शोषण कर सकेंगे। वास्तव में हम इसी प्रथा को तो बन्द करना चाहते हैं। वास्तव में विचारनीय बात यह है कि दहेज कभी ऐच्छिक ही होता। आज यह बुराई व्यापार का रूप धारण कर चुकी है। हम पुत्रों तथा पुत्रियों के विक्रय का विरोध करते हैं। हमें इस प्रथा पर घोर आपत्ति है।

दूसरी बात यह है कि हम इसमें विश्वास नहीं करते कि विधान अथवा केवल एक ही विधान कोई परिवर्तन करेगा, और पुरुष एंव स्त्री में समानता लायेगा। अतएव इस विधेयक को जनता का मत जानने के लिये भेजने के पक्ष में मैं नहीं हूं और हम इसका घोर विरोध करते हैं।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

यह विधेयक तो हमारे समाज के सामन्त-शाही ढांचे के कारण से होने वाले शोशण को रोकने के लिये है। कुछ मित्रों ने कहा है कि जब तक हमारे समाज की, आर्थिक, राजनैतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस प्रकार के सामाजिक विधेयक कोई विशेष लाभ के नहीं होंगे। इसमें बहुत कुछ सत्य है। किन्तु मेरा तो यह कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य शोषण तथा असमानता के विरुद्ध युद्ध करना है और इस विधेयक के प्रस्तुत करने का उद्देश्य ऐसे उपायों को निकालना, एवं उन मूल उपायों को आर्थिक समानता लाने के लिये शक्तिशाली बनाना है। प्रगति की ओर बढ़ाये जाने वाला प्रतेयक पग आर्थिक एवं राजनैतिक समानता और स्वतन्त्रता की प्रगति को सहायता देता है। अतएव हम जनता में एक ऐसी भावना पैदा करना चाहते हैं कि कोई भी पुरुष अथवा स्त्री दहेज न तो दे और न ले। शरदा अधिनियम पारित हो गया है किन्तु यह कोई प्रभावशाली नहीं है। विधवा पुर्नविवाह अधिनियम भी पास हो गया है। किन्तु अभी तक विधवाओं की अभ्यर्थना की जाती है। दूसरी ओर, यह ठीक है कि ऐसा कोई विधान नहीं है कि मनुष्य एक ही पत्नी रखे किन्तु समाज इसके विरुद्ध है। वह यह नहीं चाहता कि मनुष्य एसे अधिक पत्नियां रखें। अतऐव हमें दहेज का पूरा पूरा विरोध करना होगा, और जनता की भावना इस प्रकार जाग्रत करनी होगी कि कोई भी व्यक्ति न तो दहेज ले और न दहेज दे। इस विधेयक को प्रस्तुत करने का यही उद्देश्य है।

एक दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति किसानों के साथ उनके आन्दोलनों में काम करते रहे हैं वे यह जानते हैं कि इस दहेज प्रथा ने उनका शोषण किया है। तिपेरा आदि स्थानों में प्रायः ऐसा देखा गया है कि शादी से पहले लड़के अथवा लड़की को तीन वर्ष तक बेगार करनी पड़ती है तब कहीं जाकर शादी होती है। लोगों में स्त्री को दहेज देने के लिये इतना धन कमाना पड़ता है कि उस धन से वह एक बैल, हल, अथवा ग्रहस्थी की आवश्यक वस्तुएं ले सके। इस प्रकार की प्रथाएं कबाइली क्षेत्रों में प्रचलित हैं। ये सभी प्रथाएं समाज का शोषण करती हैं। उच्चवर्ग में भी क्या होता है यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): क्या यह विधेयक इन सभी बुराइयों को दूर करेगा?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: यदि आप प्रत्येक विधान को इस दृष्टि से देखेंगे कि वह सभी बुराइयों को दूर कर दे तो यह अच्छा होगा कि हम संसद में न आकर अपने घर बैठा करें। बंगाल निवासी तथा अन्य प्रान्त वालों को ज्ञात होगा कि स्नेहलता लड़की को अपने मात पिता द्वारा ससुराल वालों की इच्छानुसार दहेज न दिये जाने पर नाना प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ा और अंत में उसे आत्महत्या करनी पड़ी। मैंने देखा है कि १८, २०, २५ और यहां तक कि ३० वर्ष की कन्याएं अभी तक इसी कारण से अविवाहित हैं कि उनके माता पिता दहेज नहीं दे सकते। न वे बेचारी पढ़ी लिखी हैं जो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। अतएव मैं कहुंगी इस विधेयक में—न केवल वह दहेज जो शादी के समय दिया जाता है अपितु शादी के उपरांत ३ वर्ष तक दी जाने वाली के सभी चीजें जो कि दहेज मानी जा सकें शामिल की जायें। अतएव मैं चाहती हूं कि यह संशोधन यहां इसमें सम्मिलित कर लिया जाय। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। माना कि यह सम्पूर्ण नहीं है किन्तु फिर

भी कुछ आराम तो इससे मिलेगा। कोई भी चीज़ जो शोषण कम करे चाहे वह समष्टि रुप से करे अथवा आंशिक रुप में हमें उसका पूरा पूरा समर्थन करना चाहिये। अतएव मैं आशा करती हूं कि बजाय इसके कि सरकार इस विधेयक को जनमत के लिये भेजे इसका समर्थन करेगी।

श्री दाभी : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैंने इसी प्रकार का एक विधेयक बम्बई विधान सभा में प्रस्तुत किया था जो प्रथम वाचन के उपरान्त जनमत के लिये भेजा गया ; वहां की जनता ने इस विधेयक को बहुत ही पसंद किया। पश्चात को यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया। उन दिनों संसद में हिन्दू कोड विधेयक पर विचार हो रहा है था और इस विधेयक के खंड ९३ में दहेज़ का हवाला था। प्रवर समिति का विचार ऐसा हुआ कि यदि यह विधेयक पारित कर दिया जाता है तो कदाचित यह विधेयक हिन्दू कोड विधेयक के विरुद्ध न हो जाय। और इसी कारण से इसको आगे नहीं बढ़ाया गया।

दहेज की परिभाषा की जाय तो आप देखेंगे कि इसमें वर और बधू दोनों का मूल्य निहित है। मैं बधू के मूल्य को "कन्या विक्रय" तथा वर का मूल्य को " वर विक्रय" कहूंगा। समस्त भारत में कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसमें वधू विक्रय अथवा वर विक्रय न होता हो। हिन्दू शास्त्रों में और सनातनी एवं सभी विद्वान व्यक्तियों ने कन्या विक्रय की घोर निन्दा की है। बुद्धायन के अनुसार जो व्यक्ति अपनी कन्याओं के बदले धन लेते हैं वे नर्कगामी होते हैं।

कन्या विक्रय प्रथा की बहुत सी बुराइयां हैं। जिन जातियों में कन्या विक्रय होता है वहां ऐसा होता है कि जितनी लड़की अच्छी होगी उतना ही अधिक मूल्य मिलेगा।

एक बुराई इस कन्या विक्रय की यह है कि एक व्यक्ति जो अपनी कन्या बेचता है वह यह नहीं देखता कि वह वर जिसके हाथ उसकी कन्या बेची जा रही है, कन्या के लिये ठीक भी है अथवा नहीं। इन जातियों में प्राय: ऐसा होता है कि वर जितना अधिक उमर का अथवा जितना अधिक कुरुप होगा उतना ही अधिक उसे पैसा देना होगा। इसी कारण ऐसा देखा गया है कि सुन्दर लड़कियां कुरूप को, और वे कन्याएं जिनके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे उन्हें ऐसे बूढ़ों के साथ जिनके एक भी दांत नहीं है, विवाह बन्धन में बांध दिया जाता है।

वर विक्रय की भी बहुत बुराइयां हैं। प्राय: ऐसा देखा गया है कि वधुओं की सास अच्छा दहेज़ न लाने पर उन्हें नाना प्रकार के कष्ट एवं पीड़ा देती हैं। ताकि बधू अपने पिता या अभिभावक से अधिक धन देने को कहे। किन्तु इसका परिणाम यह होता है कि बेचारी ये वधुएं अपने कपड़ों में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लेती हैं अथवा अन्य प्रकार से आत्म हत्या कर लेती हैं। ऐसे भयानक परिणाम इस प्रथा के होते हैं।

वर विक्रय प्रथा का आधार यह है कि स्त्री मनुष्य की अपेक्षा दर्जे में कम है। जब एक एक मनुष्य अपने साथ वधु को लेता है तो वह कुछ धन की आकंक्षा करता है जिसका तात्पर्य यह होता है कि यदि पुरुष और स्त्री दोनों को तराजू में तोला जाय तो यह स्वाभाविक है स्त्री का पलड़ा ऊपर उठ जायगा। उस पलड़े को नीचे लाने के लिये तथा संतुलन करने के लिये धन चाहिये। यह विचार कि स्त्री मनुष्य की अपेक्षा दर्जे में कम है, स्वत: ही संविधान के विरुद्ध जाता है। जहां तक जनमत का प्रश्न है मैं समझता हूं शायद ही कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध जाय।

माननीय विधि मंत्री ने कहा था कि यदि यह विधेयक इस बुराई को रोक देगा तो वह

[श्री दाभी]

इस विधेयक का समर्थन करने को तत्पर हैं क्या किसी भी विधान ने कोई भी बुराई पूर्णतया समाप्त कर दी है ?

श्री बिस्वास : मैंने तो यह कभी नहीं कहा था ।

श्री दाभी : सामाजिक विधान समाज सुधारकों को सहायता पहुंचाते हैं यह विधेयक उनकी सहायता करेगा । अतएव मैं निवेदन करता हूं कि सभी सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई उपनगर) : मैं तो यह नहीं समझती कि इस विधेयक के बारे में जनमत जानने के लिये भेजने की भी कोई आवश्यकता है ।

अस्पृश्यता जैसी बुराइयां भी हैं । इस बुराई को दूर करने के लियें बहुत सा जनमत लिया गया है, तो भी क्या हमें यह नहीं बताया गया कि इस बुराई को दूर करने के लिये सरकार विधान बनायेगी । अतएव यह स्पष्ट है कि जहां कभी भी सामाजिक बुराईयां हैं और वे समाज में बीमारी की तरह कार्य कर रही हैं, उनको सामाजिक विधानों के अनुसार दूर करना होगा । श्री नंदलाल शर्मा ने कहा है कि इस विधेयक के द्वारा हमको अपनी कन्याओं को उपहार देने से भी रोका जा रहा है, किन्तु ऐसा कहना भूल है । कन्याओं को भेंट देने से यह विधेयक बिल्कुल भी नहीं रोकता । हम जानते हैं कि माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी कन्याएं भली प्रकार रहें । किन्तु ये उपहार तब कलंक बन जाते हैं जब कि ये सौदे का रुप ले लते हैं अथवा श्री दाभी के कथनानुसार ये वर विक्रय अथवा कन्या विक्रय बन जाते हैं । हमारे हिन्दू कोड विधेयक के खंड ९३ में दहेज़ का उल्लेख है जो पत्नी के लिये न्यास के रूप में होता है । इस खंड के आधार पर, यदि हम यह विधान प्रस्तुत कर देते हैं तो हम जनता के समक्ष इन उपहारों अथवा धन जो कुछ भी कन्या को दिया जाता है, उसके बारे में स्पष्ट रुप से विचार प्रकट कर सकते हैं । मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि माता पिता द्वारा दिये जाने वाले उपहारों को हम बंद करना नहीं चाहते किन्तु इतना सत्य अवश्य है कि यह दहेज़ तब एक बुराई बन जाती है जबकि यह सौदे का रूप ले लेता है ।

शकुन्तला को दुष्यन्त के हाथ सौंपते हुए कणव ऋषी ने कहा था कि

अर्थोहि क या परीकयमेव
तामघ संप्रेश्य परिग्रहीतु
जातो ममायं विषद: प्रकामं
प्रत्यर्पितं न्यास इवांतरात्मा

जैसे कि कन्या एक न्यास हो । उसका अपना कोई मूल्य नहीं, अपना कोई निजस्व नहीं । वह केवल की विनिमय वस्तु है । विवाह के पश्चात् पिता की उद्विग्नता समाप्त हो जाती है । परन्तु इस से भी क्या लड़की को सच्ची प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है । एक सुन्दर लड़की का विवाह एक सैनिक व्यक्ति से हुआ जो विवाह के पश्चात् उसे दक्षिण में ले गया । पति तथा उस के माता पिता दहेज़ से संतुष्ट नहीं थे । वह लड़की को तंग करने लगे । यहां तक कि उसे अन्दर बन्द कर दिया गया घर के नौकर भी उसका अपमान करते । अन्त में वह लड़की घर से भाग गई । हमारे समाज में ऐसी कई कथाएं मिलती हैं, दहेज़ चित्र में भी हमारे समाज का वास्तविक चित्र खींचा गया है ।

गांधी जी ने 'यंग इंडिया' में लिखा था कि यदि कोई युवक किसी विवाह के लिये दहेज़ का प्रतिबंध लगाता है तो वह अपनी शिक्षा का अपमान करता है और नारीत्व का निरादर करता है ।

हम गांधी जी का अनुसरण करना चाहते हैं परन्तु जब नारी के सम्बन्ध में प्रश्न आता है तो इस के प्रति सभा का भाव उपेक्षा पूर्ण होता है । सरकार भी ऐसे विधेयकों का आदर नहीं करती ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंड़ा) : दहेज़ की समस्या बहुत गहन है । इस का हल इस प्रकार की कृति में नहीं जिस का उपक्रम हम कर रहे हैं । हमें समस्या के मूल कारण को समझना होगा । पहले भी युवक और युवतियां थीं, उन के विवाह होते थे, इस समाज में वे कई संततियों से आदर और सम्मान के साथ रहते रहे हैं । यह समस्या नई खड़ी हुई है मेरे विचार में वास्तविक समस्या यह है कि लड़की के माता पिता किसी विशेष लड़के के लिये प्रयास करते हैं जिस के विषय में वे समझते हैं कि उसकी स्थिति अच्छी है । इस से वे अपनी लड़की के जीवन को प्रसन्न बनाना चाहते हैं । वे लड़के को लालच देते हैं । हम विधान द्वारा लड़के पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं कि वह लड़की के साथ धन न मांगे । परन्तु यह हल नहीं है । इस से दहेज़ की समस्या नहीं सुलझ सकती । वास्तविक हल माता पिता के विचारों में सुधार करना है । वर्षों से जो वह युवकों को उन की अनुमति प्राप्त करने के लिये लालच देते आए हैं उन के समक्ष भीख मांगते रहे हैं, इस सब का अन्त करना होगा । इस से केवल या तो वह युवक अपनी शर्तों की मांग करता रहेगा या माता पिता उपहार और भेंट देते रहेंगे । समाज के अभिमत को सुधारने और उस के व्यवहार को शिष्ट बनाने की आवश्यकता है । यही समस्या का ठीक हल है । माता पिता अपनी उद्विग्नता में स्वयम् अपने लिये समस्याएं खड़ी कर रहे हैं । प्रतिबन्धात्मक विधान रोग का ठीक उपचार नहीं है ।

शारदा अधिनियम का उदाहरण लीजिये, यहां कहा गया है कि शारदा अधिनियम मृत हो चुका है । परन्तु वस्तुतः बात यह है कि शारदा अधिनियम की आवश्यक्ता ही नहीं रही । आज कल प्रत्येक लड़की का विवाह विहित आयु से ऊपर आयु होने पर होता है । इस प्रकार समस्या का वास्तविक हल मानसिक प्रवृति के सुधार में है

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक–मध्य) : सभापति महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा गृह के सामने जो इस कानून पर बहस हो रही है उस के ऊपर मेरे विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं श्रीमती उमा नेहरू को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़ी भारी सामाजिक समस्या के ऊपर अपनी राय प्रकट करने का मौका इस हाउस को दिया है । इस सामज में दहेज़ का एक बड़ा भारी सवाल है लेकिन मैं नहीं जानता कि इस में स्त्री और पुरुष के झगड़े की बात क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता । जैसे माता चाहती है कि उस की लड़की अच्छे घर में दी जाय वैसे ही पिता भी चाहता है कि उस की जो लड़की है वह कोई अच्छे वर को दी जाय । दहेज़ देने में ज्यादा तकलीफ़ तो पिता को होती है न कि माता को होती है । माता और पिता दोनों के लिये यह एक बड़ी भारी समस्या है । लेकिन इस क़ानून से कुछ मदद होगी, समस्या को हल करने के लिये । सब समस्या इससे हल नहीं होगी, क्योंकि माता और पिता भी अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करते हैं । जब कन्या के विवाह का सवाल आता है तो जो माता और पिता कहते हैं कि यह दहेज़ का स्वाल बहुत बुरा है, तो वह उन की राय बदल जाती है जब कि उन के पुत्र की शादी का समय आ जाता है । फिर उन की राय कुछ अलग रहती है, जैसे कि यात्रा करने के लिये किसी थर्ड क्लास के कम्पार्टमेंट में बैठने के लिये स्टेशन पर खड़े होने वाले आदमी

[श्री जी० एच० देशपांडे]

होते हैं। जो आदमी अन्दर बैठे होते हैं उन को वह कहते हैं कि बहुत जगह है, हमें अन्दर क्यों नहीं आने देते। और जो अन्दर बैठे हुए हैं वे कहते हैं कि कुछ भी जगह नहीं है, आगे देखो। उस डिब्बे में आदमी कोई घुस जाता है और दूसरे स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी होती है तो वह अपनी राय चेंज कर देता है। जो स्टेशन पर खड़े हुए मालूम होते हैं, उन को वह कहता है कि आगे बहुत जगह है, इस डिब्बे में बहुत भीड़ है, आगे के डिब्बे में घुसो तो इस तरह पांच मिनट में उस की राय बदल जाती है वह भाई जब स्टेशन पर खड़ा होता है और देखता है कि उधर बहुत आदमी हैं तो कहता है कि बहुत जगह है, लेकिन जब वह भी अन्दर बठ जाता है और दूसरा स्टेशन आता है तो औरों की तकलीफ देख कर भी, उन को खड़ा देख कर भी अपनी राय बदल देता है। तो इस तरह वही माता और पिता जो कन्या क विवाह का समय आने पर दहेज़ के ख़िलाफ बातें करते हैं, वही जब उन के पुत्र के विवाह का समय आता है तो उस के ख़िलाफ़ नहीं बोलते।

तो इस में एक बड़ी भारी बुराई भरी हुई होती है। इस बुराई को हटाने के लिय कानून की मदद तो ज़रुर लेनी चाहिये। लेकिन कानून से सब कुछ हासिल नहीं होगा। मरे एक दोस्त ने कहा कि शारदा कानून से क्या हुआ? मैं जानता हूं कि शारदा कानून से देश को लाभ हुआ है। शारदा क़ानून जब बना तब देश में क्या परिस्थिति थी और अब क्या परिस्थिति है। उस में जो तबदीलियां और बदल हुए हैं वे बदल शारदा क़ानून से हुए हैं। न केवल शारदा क़ानून से हुए हैं बल्कि उसके साथ लोकमत भी हो गया है। उस में शारदा क़ानून से मदद मिली, इस में मझे कोई सन्देह नहीं है।

इसी तरह मैं यह मानता हूं कि इस क़ानून से भी बड़ी भारी मदद होने वाली है। वह इस तरह कि जब अच्छे अच्छे नौजवान और पढ़े लिखे लोगों को मालूम होगा कि यह दहेज़ लेना क़ानून के ख़िलाफ़ है तो जो लड़की बिल्कुल ग़रीब घराने की होगी, जो अच्छी है, उस के साथ वह विवाह करने को तैयार होंगे। जब लड़के को मालूम हो जायेगा कि छिपी रीति से डाउरी ली जायगी तो उसे जेलखाने जाना पड़ेगा, तो वह ग़रीब लड़की के साथ विवाह करने को तैयार होगा अगर वह अच्छी लड़की है, चरित्रवान और भली है उस को कोई ग़रीब घराने की अच्छी लड़की मिलेगी तो वह शादी कर लेगा।

फिर दूसरे जो सोशल बेरियर्स हैं उन को तोड़ने में भी इस से मदद मिलने वाली है। इसीलिये मुझे तो क़ानून से लाभ ही होने वाला है, हानि नहीं, ऐसा लगता है। अब समय आ गया है कि जो सामाजिक समस्याएं हैं उन के ऊपर कुछ न कुछ क़ानून होना चाहिये। एक मुसीबत जो मालूम होती है वह यह है कि सारे भारत में ऐसे छोटे छोटे अंग हैं, समाज हैं, कि जिन में लड़कियां कम है और कुछ ऐसे हैं कि जिन में लड़के बहुत कम हैं। पबलिक ओपीनियन लोकमत, ऐसा जाग्रत होना चाहिये कि उन को ऐसे दूसरे समाज में विवाह करने में दिक्कत न हो। इस तरह यह समस्या भी हल हो जायगी। जिस समाज में ऐसा हो कि लड़कियां बहुत कम हों तो दूसरे समाज के साथ उन की शादी हो जानी चाहिये। फिर इस तरह से जो वह पुराने आदमी हैं, हमारे यहां तो जैसे रामराज्य परिषद् के एक ही मैम्बर हैं .....

श्री नन्द लाल शर्मा : चार हैं।

श्री जी० एच० देशपांडे : उन के दल में भी फिर इस का असर हो जायेगा। समाज

में यह जो बन्धन है कि एक ही समाज में, एक ही विशेष जाति में विवाह करना चाहिये, यह जल्दी से जल्दी टूटना चाहिये। इस बिल से यह समस्या भी हल होने वाली है।

इसलिये जो बिल सम्माननीय सभागृह के सामने आया है, उसका मैं पूरी रीति से समर्थन करता हूं। मैं नहीं मानता कि इस बिल से ही सब समस्या हल होगी, लेकिन समस्या हल होने के लिये इस से कुछ न कुछ मदद ज़रुर होगी, इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

डा० राम सुभग सिंह (शाहबाद दक्षिण) अभी रोहिणी बाबू ने कहा कि वह इस बिल का विरोध करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बिल के अन्दर की उन तमाम चीज़ों का समर्थन करना चाहिये जिनसे इस वक्त की प्रचलित बुराइयां दूर हों और उन सब बुराइयों की जड़ हम लोगों की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था में जो कुछ संशोधन करने की बात आती है, वह पूरे दिल और ताकत से नहीं आती फलस्वरूप हमारी सामाजिक कुरीतियां और ज्यादा ताकतवर होती जाती हैं। अभी अभी कुछ महिला सदस्यों ने कहा कि सभी बुराइयों की जड़ पुरुष है, लेकिन मैं इससे पूर्णयता सहमत नहीं। मैं चाहता हूं कि यह समाज बिलकुल तबदील कर दिया जाय।

कुछ भाइयों तथा हमारी बहिनो ने भी कहा कि विवाह में जो दहेज प्रथा चलती है, उसका मूल कारण पुरुष समाज ही है। अभी श्री राघवचारी ने जो बात कही, वह बहुत मार्के की बात है उसके लिये मैं उनका हृदय से समर्थन करता हूं। उन्होंने एक अच्छी चीज़ निकाल करके इस हाउस के सामने और इस भवन के सामने रखी।

हमको देखना चाहिये कि किस कारण से आज हम लोगों को जिहालत में पड़ना पड़ रहा है। श्री नन्द लाल शर्मा ने बताया कि हम लोगों के धार्मिक रस्म रिवाज़ ऐसे रहे हैं कि जिनके रहते कन्यादान करना जरूरी होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन रीति रिवाज़ों में समय के अनुसार संशोधन भी किये जाने चाहियें। साथ ही मैं उन महिला सदस्यों का भी तरफदार नहीं हूं जो अपने को बिलकुल अलग कर लेती हैं और कहती हैं कि सारा दोष पुरुषों का है। मैं उनसे कहूंगा कि किसी भी समाज में चलकर देखिये जहां तिलक और दहेज की प्रथा प्रचलित है, वहां आप पायेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का उस प्रथा के चालू रखनें में दोष है। हम अपने यहां देखते हैं कि बाप एक दफा तिलक और दहेज मांगे या न मांगे, लेकिन लड़के की मां जरूर तिलक और दहेज चाहेगी। इसी तरह से लड़की की मां का भी सवाल है, अगर कोई उससे कहे कि वह अपनी लड़की गरीब घर में बयाह दे तो वह हरगिज राजी न होगी, लड़की की मां चाहती है कि उसकी लड़की अमीर और बड़े घर में जाय, सुख चैन में रहे और मां तो चाहती है कि उसकी लड़की की शादी किसी बहुत बड़े नेता से हो। मैं जैसा कि दिल्ली करनाल की महिला सदस्या ने कहा कि लोगों को ऐसी व्यवस्था चालू करनी चाहिये जिससे लड़की के मां बाप को रोना मत पड़े, मैं चाहूंगा कि वह जरूर इस जीज़ को चालू करें और ऐसी कोई भी हरकत न करें जिससे किसी भी लड़की के मां बाप को रोना पड़े।

मैं मानता हूं कि आज स्त्री जाति की अवस्था संतोषजनक नहीं है और मैं बहुत सी एसी बहुओं को जानता हूं जिनको उनकी सासें घर से निकाल चुकि हैं, उनको मारती पीटती हैं और अपनी बहुओं को हर तरह से जलील करती हैं, और यह सब केवल

[डा० राम सुभग सिंह]

इसलिये किया जाता है कि बहु के घर से ज्यादा पुरस्कार और दहेज नहीं आता, इसलिये मैं चाहता हूं कि महिला सदस्याएं जितनी यहां पर हैं, वह इस बुराई का सेहरा ज्यादा से ज्यादा अपने सिर पर ओढ़ें, क्योंकि उनके रहते हुए यह ज्यादा बुराई होती है , और उलटे वे सभी दोष पुरूषों पर मढ़ती हैं।

अब मैं इस बिल पर आता हूं और मैं चाहता हूं कि समाज में यह जो कुरीति फैली हुई है उस के लिए स्त्री पुरुष दोनों प्रयत्न करें और समाज के हाथ मजबूत करें और अगर समाज उन के रास्ते में बाधक हो तो वह समाज को भी छोड़ दें। लेकिन वे इस बात का प्रण कर लें कि और अपनी लड़की की शादी में दहेज़ नहीं देंगे साथ ही लड़के के मां बाप को लड़के की शादी में दहेज़ नहीं मांगना चाहिए और अच्छे अच्छे कपड़े और गहने नहीं मांगना चाहिए।

हम लोगों की विवाह प्रथा में एक विवाह एक पति और एक पत्नी का रिवाज़ बहुत अच्छा है, यह आदर्श रिवाज़ है और इस पर चल कर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को आज जो हमारी आर्थिक स्थिति है, उस पर भी कुठाराघात करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी रहती है, तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते।

आर्थिक असमानता को दूर करने के हेतु यह एस्टेट ड्यूटी बिल लाया गया है और मैं मानता हूं कि किसी हद तक हम इस के द्वारा आर्थिक असमानता को दूर करने में सफल होंगे, लेकिन इस के लिए उन को चाहिए कि हम लोगों की जितनी सम्पत्ति है उस को नेशनलाइज़ कर लें, जब्त कर लें और सप्लाई और डिमांड के अनुसार अपना काम करें ताकि असली रामराज्य यहां पर आ सके।

इस के साथ साथ कुछ लोगों ने और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भी कहा कि इस कुप्रथा और असमानता के कारण बहुत सी लड़कियां कैम्पों में हैं जिन की १८, २०, और ३० वर्ष की उम्र हो गयी है और उन की शादी नहीं हो पाई है, उन का कहना ठीक है। लेकिन मैं उन को बतलाऊं कि मैं ने ऐसे बहुत से लड़कों को देखा है कि जिन की ४० और ५० साल की उम्र हो गयी है, और उन की अभी तक शादी नहीं हुई है।

मैं बहुत से दृष्टान्त दे सकता हूं जहां लड़कों की शादी गरीबी के कारण नहीं हो पाई, क्योंकि हर लड़की वाले की यही चेष्टा रहती है कि वह अपनी लड़की की शादी अच्छे और ऐसे लड़के से करें जिस के पास धन हो और जो किसी बड़े सेठ का लड़का हो। नतीजा यह होता है कि जो बेचारे गरीब घर के लड़के होते हैं वे बिन शादी के रह जाते हैं।

आज स्त्री पुरुष के नारे तो दिन रात लगाये जाते हैं, लेकिन जब उन को कार्यरूप में परिणत करने का वक्त आता है, तो लोग पीछे हट जाते हैं। जो लोग ऐसे नारे लगाते हैं वह पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी किसी किसान के साथ करें, तो हम जानें। मैं आप को बतलाऊं कि हमारे एक दो नहीं, पूरे गांव के गांव ऐसे हैं जहां के लोगों की शादी नहीं हुई है। आज समाज में पढ़े लिखे लोगों का बोलबाला है, वह समाज के ठेकेदार हो जाते हैं और अशिक्षित लोग बहुत दयनीय दशा में हैं, हमें सारी स्थिति पर ईमानदारी से सोचना होगा। केवल मात्र नारे लगाने से हमारा काम बनने वाला नहीं है । केवल नारा लगाने मात्र से देश का नक़शा बदलने वाला नहीं है । नारे देने वाले कितने आये और कितने आते जायेंगे और जाते जायेंगे और हमारी स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हम स्त्री, पुरुष दोनों

इस में न जुट जायं और पुरुष जो उन में दोष हैं उन को निकालें और औरतों में जो दोष हैं, उन को औरतें निकालें, ऐसा जब हम दोनों करेंगे, तभी हम लोगों की स्थिति दुरुस्त होगी ।

श्री मुनिस्वामी : कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए वेदों के उद्धरण दिए हैं। ऐसे उद्धरणों के साथ हम अन्य देशों के सभ्य लोगों के समक्ष नहीं आ सकते । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि हम इस द्वारा सभ्य देश के रूप में विश्व के समक्ष आ सकते हैं।

विधेयक के एक खण्ड के सम्बन्ध में मैं नहीं समझ सका । उस में दहेज़ लेने वाले को तीन मास कैद के दण्ड का उपबन्ध किया गया है । ऐसा होने पर तो कोई व्यक्ति अपने लड़के का विवाह ही नहीं करेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पत्नी को भी साथ भेजना चाहिये ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं समझता हूं कि यह विधेयक अनावश्यक है । इस से इस का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इस द्वारा विवाह भले ही बन्द हो जाए परन्तु दहेज स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता । इस के अधीन दण्ड देना भी कठिन होगा । दण्ड देना निरर्थक भी होगा । और उस सौदा बाज़ी को प्रमाणित भी कैसे किया जा सकेगा ? आवश्यकता तो यह है कि जब कभी प्राधिकारियों को पता लगे कि कहीं अत्यधिक दहेज़ मांगा जा रहा है तो वे हस्तक्षेप करें । दहेज़ दिए जाने के पश्चात प्रमाणित करना कठिन होगा ।

आप शिक्षित लोग हैं । कोर्टशिप को प्रचलित करें । मैं इस के पक्ष में हूं । इस से दहेज़ आदि का खर्च ही समाप्त हो जाएगा ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकेंगे ।

इसके बाद सदन की बैठक ४ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

सदन की बैठक चार बजे पुनः आरम्भ हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे ।]

सम्पदा शुल्क विधेयक—क्रमशः

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ६२ समाप्त हो गया था । अब हमें खण्ड ६३ लेना चाहिये ।

खण्ड ६३—(उच्च न्यायालय आदि द्वारा सुने जाने वाले मामले)

श्री एन० एल० जोशी (इन्दौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ३१ पर पंक्ति ६ में "two" ["दो"] के स्थान पर "three" ["तीन"] शब्द रखा जाये

(२) पृष्ठ ३ पर ९ से १४ तक की पंक्तियों को हटाया जाये ।

प्रथम संशोधन रखने का कारण यह है कि तीन न्यायाधीश होने पर भी यदि किसी मामले पर परस्पर मतभेद हो तो, मामले का निर्णय बहुमत से किया जा सकेगा । द्वितीय संशोधन द्वारा मैं उप-खण्ड (१) के उपबन्धों को हटाना चाहता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि हम ने जो व्यवस्था की है वह पर्याप्त है । वास्तव में, ऐसे बहुत ही थोड़े मामले होंगे जिन की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी । इसकी सुनवाई एक न्यायाधीश भी कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शब्द हैं "दो से कम नहीं" । इस के अर्थ हैं कि दो न्यायाधीश का होना आवश्यक है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं आप का अभिप्राय समझता हूं । परन्तु मेरा कहना

[श्री सी० डी० देशमुख]

यह है कि प्रत्येक मामले का निर्देश आप अन्य न्यायाधीशों को करना नहीं चाहेंग। जब आप कहते हैं "दो से कम नहीं", तो एक न्यायाधीश भी उस की सुनवाई कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक न्यायाधीश सुनवाई नहीं कर सकता। दो न्यायाधीश आवश्यक हैं। यदि उन में मतभेद नहीं है तो वह निर्णय कर सकेंगे। यदि उन में मतभेद हुआ तो ?

श्री सी० डी० देशमुख : ऐसे मामले का निर्देश तीसरे न्यायाधीश को दिया जायेगा।

श्री पाटस्कर : मैं ने खण्ड ७६ के एक संशोधन की सूचना दी है। यह ठीक व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ११५ जैसा है। मेरा विचार है कि मैं यह उस समय प्रस्तावित कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ६३ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ तथा खण्ड ६३ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ६४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ६५—भुगतान आदि का प्रमाणपत्र

श्री क० पी० गौंडर (इरोड) : श्रीमान्, म चाहता हूं कि "उच्च न्यायालय" के पश्चात "या उच्चतम न्यायालय" शब्द बढ़ा दिये जायें।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, ये शब्द खण्ड ६२ के उप-खण्ड (७) में, बढ़ाये जायें।

श्री सी० डी० देशमुख : इस का तात्पर्य यह है कि मूल्यांकन के मामले का निर्णय उच्चतम न्यायालय तक जाये। वे भी एक भिन्न मूल्यांकन कर सकते हैं।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : "उच्चतम न्यायालय" शब्द बढ़ाने की बजाये 'उच्च' शब्द को हटा दिया जाये।

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, "उच्च" शब्द हटाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन की यह इच्छा है कि शब्द 'उच्च' को हटाया दिया जाये।

माननीय सदस्य : हां।

श्री सी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि मैं ने तथा अनेक अन्य माननीय सदस्यों ने छः मास की समय-सीमा को हटाने के बारे में जो पिछले खण्ड के अन्तर्गत धर्मार्थ कार्यों के लिए भी निर्धारित की गई है अनेकों संशोधन प्रस्तुत करने की सूचना दी थी। श्रीमान्, मेरे संशोधन रखने का उद्देश्य यह है कि मृतक की मृत्यु से छः मास पूर्व के काल में धर्मार्थ संस्था अथवा ट्रस्ट को मृतक द्वारा दी गई सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व केवल उन्हीं संस्थाओं पर होना चाहिए। अतः मेरा सुझाव यह है कि इन दानों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व का भार उन्हीं धर्मार्थ संस्थाओं अथवा ट्रस्ट पर होना चाहिये जो उसका लाभ उठायेगा और उत्तराधिकारी को ऐसी किसी शुल्क के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं होना चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, पिछले खण्डों के सम्बन्ध में मैं पहिले ही यह बता चुका हूं कि व्यक्ति को विधि में तथा व्यवहार में अन्तर अवश्य रखना चाहिये। विधि में हम कहते हैं कि करदायी व्यक्ति पूर्ण शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा परन्तु प्रशासन की दृष्टि से हम यह प्रयत्न करेंगे

कि उसे शुल्क का केवल वह भाग ही देना पड़े जो उसे प्राप्त आस्तियों के मूल्य से अधिक न हो। यदि किसी ऐसे व्यक्ति से, जो लेखा नहीं देता है, नियन्त्रक द्वारा बनाया गया लेखा स्वीकार करने को कहा जाता है और यदि उसे केवल प्राप्त आस्तियों के अनुपात से ही भुगतान करना पड़े तो शंका यह है कि प्रत्येक करदायी व्यक्ति उस समय तक प्रतीक्षा करता रहेगा जब कि नियन्त्रक उसे लेखा स्वीकार करने को न कहे। खण्ड ५१ में हम ने पहिले ही यह उपबन्ध रखा है कि "वे हस्तान्तरण होने वाली सम्पत्ति पर सम्पूर्ण सम्पदा शुल्क के लिए उत्तरदायी होगा।" अतः मेरे दृष्टिकोण से इस का यहां रखना आवश्यक प्रतीत होता है। यद्यपि जैसा कि मैं ने कहा था कि यह इस आश्वासन के अधीन है कि व्यवहार में हम उतना प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं जितनी आस्तियां उत्तरदायी व्यक्ति को प्राप्त होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि शब्द "उच्च" खण्ड ६५ के उप-खण्ड (१) तथा उप-खण्ड (२) से हटाना चाहिये। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३१ पर पंक्ति ३८ तथा पंक्ति ४४ में से "High" ["उच्च"] शब्द हटाया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३२ पर पंक्ति ६ में "सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्ण देय-शुल्क" के लिए "पित्रागत अस्ति पर अनुपाततः शुल्क" स्थानापन्न किया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ६५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा खण्ड ६५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

६६ से ६९ तक खण्ड विधेयक के अंग बना लिए गये।

खण्ड ७०—(फार्म)

श्री तुलसीदास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३३ पर २५ से २७ तक की पंक्तियों में से

"और कोई भी व्यक्ति, जो इच्छापूर्वक इस धारा के उपबन्धों का पालन नहीं करता, धारा ५४ में उल्लिखित दण्ड के लिए उत्तरदायी होगा" को हटा दिया जाये।

धारा ५४ केवल फार्म भरने के लिए है। यदि कोई व्यक्ति सम्पदा में नया व्यक्ति होने आदि के कारण, विहित फार्म के अनुसार नहीं करता तो उस का प्रार्थनापत्र अस्वीकार हो जायेगा। अतः इस प्रकार का दण्ड लगाने का कोई कारण नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : परन्तु शब्द "इच्छापूर्वक" वहां दिया है।

श्री तुलसीदास : "इच्छापूर्वक" क्या है? यहां "इच्छापूर्वक" का क्या प्रश्न है? यह एक कठिन खण्ड है और मेरा मत है कि माननीय वित्त मंत्री यह संशोधन स्वीकार करें।

श्री सी० डी० देशमुख : वह ऐसे कारण-वश पालन नहीं करता है जो उस की शक्ति के परे है आप उसे 'इच्छापूर्वक' नहीं कह सकते।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रत्येक व्यक्ति से विधि जानने की आशा की जाती है। अतः यदि कोई व्यक्ति इस के अनुसार नहीं करता है तो यह माना जा सकता है कि वह इच्छापूर्वक पालन नहीं कर रहा है। जब कि वह नियम जानता है तो इच्छापूर्वक पालन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तथा अपालन कुछ मामलों में एक ही बात हो सकते ह । विधि-क्षेत्र म यह बात नहीं सुनी जाती। यदि वह विहित फार्म में नहीं रखता है तो यह भी एक घोर अपराध है। मैं समझता हूं कि यह अति कठिन है । मैं सम्मानपूर्वक माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह अन्तिम को पंक्तियों के हटाने पर विचार करें ।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे नहीं पता कि क्या कोई और सदस्य बोलना चाहता ह––ताकि म अन्त में उत्तर दे सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : श्रीमान्, मैं न शब्दों के लोप से सहमत नहीं हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह इन शब्दों का विरोध करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोई इस से कम दण्ड निर्धारित किया जाये ।

पंडित सी० एन० मालवीय : बिल्कुल ठीक । मैं संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह संशोधन का विरोध करते हैं । मैं यह कहता हूं कि इस संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों ने एक विशेष भाग चुन लिया है––'दो प्रतियों में'––मानों सारा खण्ड फार्मों की दो दो प्रतियां देने के सम्बन्ध में था । हम इस के सम्बन्ध में चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

मैं यह मानता हूं कि यह उस में है । यदि यह वहां न होता तो माननीय सदस्य उस को चुन नहीं सकते थे । एक तर्क को अलंकृत करने के लिए, उन्होंने एक तर्क को बकवास बनाने के लिये चुन लिया है । इस खण्ड का सम्बन्ध शपथ पत्र, लेखा, विवरणों तथा फार्मों से है । वह केवल 'दो प्रतियों में' ही विहित नहीं करता; उस में कहा गया है कि "कोई व्यक्ति जो जान बूझ कर इस धारा के उपबन्धों का पालन नहीं करता....." आदि । यहां पर क्या उपबन्ध है ? वे विहित रूप में होंगी । उन की दो दो प्रतियां होंगी । उन्हें शपथ ले कर देना और प्रमाणित करना होगा । विहित ढंग से खाते और दस्तावेज़ पेश कर के उन की पुष्टि करनी होगी ।

अतः ऐसी अत्यन्त मूलभूत चीज़ें अनेक हो सकती हैं जिन को किया जाना चाहिये और जो नहीं की जातीं । इस की भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्ध से तुलना की जा सकती है । दण्ड संहिता में आप एक अपराध की परिभाषा करते हैं । लेकिन वहां पर एक अन्य खण्ड भी है जो कहता है कि यदि कोई चीज़ परिभाषानुसार अपराध होती हो लेकिन यदि वह बहुत मामूली सी बात हो, तो वह एक अपराध नहीं मानी जायेगी। यदि माननीय सदस्य "फार्मों की दो प्रतियों" को निकाल कर खण्ड को देखें तो वह पायेंगे कि दण्ड केवल ऐसे ही मामलों में दिया जाता है जहां पर वह "उपबन्धों का पालन नहीं करता है ।" चूंकि उन को उस विशेष चीज़ पर आपत्ति है केवल इसीलिये वह कहते हैं कि सारा खण्ड बुरा है और इसलिये दण्ड को निकाल देना चाहिये । उस के लिए यह औचित्य बताया गया है कि यदि एक व्यक्ति इस उपबंध का पालन नहीं करता है। तो वह अपने आप को एक प्रतिकूल दशा में रखता है अथवा संभवतः रख सकता है । इस सम्पूर्ण अधिनियम को बिना बहुत अच्छी तरह से देखे यह कहना सम्भव नहीं है कि यदि वह कोई चीज़ नहीं करता है, केवल तभी संभवतः वह अपने आप को एक प्रतिकूल दशा में रखेगा । मेरे विचार से दण्ड को

छोड़ कर, संभवतः वह अपने आप को एक लाभदायक स्थिति में रखेगा। संभव है कि वह शुल्क के कुछ भाग को देने से बच जाये जो अन्यथा उस की सम्पत्ति पर लगाया गया होता अथवा सम्पत्ति की मात्रा वास्तविकता से अधिक निश्चित की गई हो। इसलिये हम अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर रहे हैं और यह कल्पना करने का कोई औचित्य नहीं है कि एक दण्डदायक अधिनियम विफल होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी बेवकूफी के लिय भुगतेगा; लेकिन संभव है उसे लाभ हो जाये।

और फिर हमें खण्ड ५४ की ओर भी निर्देश करना चाहिये, जिसे हम पारित कर चुके हैं। वहां पर भी यह कहा गया है कि दण्ड, राशि के दुगने के बराबर है--"एक हज़ार रुपये अथवा सम्पदा शुल्क की राशि से एक दुगनी राशि का दण्ड देना पड़ेगा।" इस संशोधन का सुझाव देने वाले माननीय सदस्य ने उस परन्तुक की ओर कोई भी निर्देश जानबूझ कर नहीं किया जिस में कहा गया है कि नियंत्रक चाहे तो किसी भी विशेष मामले में दण्ड कम कर सकता है। श्रीमान् यदि ऐसा कोई क्रूर मामला हो जहां पर जानबूझ कर की गई गलती बहुत मामूली हो, जहां पर केवल दुहरे फार्मों का देना रह गया हो और नियंत्रक को सरकारी तौर पर सूचित कर दिया गया है और वह कहता है कि "अब मैं तुम को पूरा दण्ड दूंगा," तो पीड़ित व्यक्ति उस के विरुद्ध अपील कर सकता है, और मुझे विश्वास है कि ऐसी अपीलें फिर नहीं होंगी क्योंकि वही चीज़ नियंत्रक के साथ होगी। मैं समझता हूं कि इस को अपने उचित अनुदर्शन में देखना चाहिये। इस दण्ड को निकाल देने के लिये कोई पर्याप्त कारण नहीं बताये गये हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह बिलकुल ब्रिटिश विधि की नकल है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अन्तिम है।

श्री सी० डी० देशमुख: दूसरे शब्दों में, दो फार्म होने चाहियें, एक नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ७० विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ७१ (शुल्क की वसूली आदि)

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं ने इस खण्ड के सम्बन्ध में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। बकाया की वसूली विभिन्न प्रक्रियों द्वारा की जा सकती है। यह काम दोषी की गिरफ्तारी और कैद से किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में क्या चाहती है--उस का उद्देश्य क्या है। क्या सरकार वास्तव में शुल्क के न देने के लिये उस व्यक्ति को जेल भेजना चाहती है ?

श्री एस० एस० मोरे : विभिन्न राज्यों में भू-राजस्व की वसूली के लिये जो भिन्न भिन्न उपबन्ध हैं, क्या उन की इस सम्बन्ध में जांच की गई है ? क्या वे सब एक से हैं ? अन्यथा इस से भेदभाव होगा। भिन्न भिन्न राज्यों में वसूली के भिन्न भिन्न तरीके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चेट्टियार यह जानना चाहते हैं कि सरकार वास्तव में शुल्क न देने के लिये किसी व्यक्ति को जेल भेजना चाहती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस प्रश्न का कोई विश्लेषित उत्तर देना बहुत कठिन है क्योंकि सभी प्रकार के उत्तरदायी व्यक्ति और सम्पत्ति होगी और उदाहरण के लिये

[श्री सी० डी० देशमुख]

यदि एक सम्पत्ति एक कम्पनी के पास चली गई हो, तो आप को इस पर विचार करना होगा कि कम्पनी के मामले में गिरफ्तारी और कैद का क्या अर्थ हो सकता है। हो सकता है कुछ सम्पदायें एक मन्दिर के पास गई हों। अतः यह सोचना कि प्रत्येक मामले में हमारा विचार गिरफ्तार और कैद करने का है, गलत है। यह देश की सामान्य विधि का अंग है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ने यह विचार आयकर अधिनियम की धारा ४६ से बाद में लिया है। इन अधिनियमों के प्रशासन में कुछ सामान्य बुद्धि मान लेनी चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परिवर्तित विधि के अनुसार अब सामान्य रूप से व्यवहारिक ऋणों के लिये, डिक्री के निष्पादन में व्यक्ति कारावास नहीं भेजे जा सकते। हम को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब व्यवहारिक विधि का यह एक स्वीकृत सिद्धान्त है कि देय ऋण के लिये कोई व्यक्ति कारावास नहीं भेजा जा सकता, तो हमें भी यहां पर इसी सिद्धान्त का पालन करना चाहिये।

मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक को देश की व्यवहारिक विधि के अनुरूप ही बनाना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति दे सकता है पर देता नहीं है, तो वह एक दूसरा ही मसला हो जाता है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री प्रत्येक आयकर पदाधिकारी को अपने ही समान उदार, अच्छा और बुद्धिमान समझते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा तात्पर्य यह था कि इन अधिनियमों के सम्बन्ध में प्रशासकीय अनुदेश जारी करना सदैव सम्भव है और यदि इस विषय में किसी प्रकार का सुधारवादी अधिनियम हो--और मैं उन के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करता क्योंकि नित्य प्रति हमारा समाज सभ्य होता जा रहा है--तो मेरा कहना यह है कि राज्य सरकारों पर भू-राजस्व अधिनियमों को सुधारने के लिये दबाव डाला जाना चाहिये, लेकिन यदि इस में से कुछ निकालना ही है तो इस को राजस्व ऋण न समझ कर व्यवहारिक ऋण समझ लीजिये। केवल इसी आधार पर सामान्य विधि में किसी भी प्रकार के तदर्थ सुधार का मैं अवश्य विरोध करूंगा।

दूसरी बात का भी उत्तर हो जाता है क्योंकि आजकल किसी भी व्यक्ति को जो कुछ भी वसूल करना है, उस को राज्य के पास उस के भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार वसूली के लिये जाना पड़ता है। अतः विभिन्न राज्यों की विधियों में भेद को समझने के लिये उन का अध्ययन आवश्यक है और वह उसी प्रकार चलता रहेगा जैसे हम आजकल चल रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवेदन यह है कि सम्पदा शुल्क विधेयक एक केन्द्रीय विधान है और एक केन्द्रीय विधान में विभिन्न राज्यों में वसूली के तरीके एक से होने चाहियें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो संविधान के समान व्यवहार वाले सिद्धान्त का उल्लंघन होगा।

श्री गाडगील : आम तौर पर सभी राज्यों में देय ऋण चार तरीकों से वसूल किये जाते हैं। एक तो सम्पत्ति का क्रय; दूसरा उस पर कब्जा ले कर उस का प्रबन्ध करना; तीसरा माल को जब्त करने का आज्ञापत्र, और अन्तिम तरीका गिरफ्तारी है। यदि इन चार श्रेणियों के अतिरिक्त

कोई असमानता हो तो श्री मोरे बतायें । इस लिय मैं समझता हूं कि इस विषय पर यहां नहीं बल्कि किसी अन्य अधिनियम में विचार होना चाहिए ।

श्री एन० सी० चटर्जी : इस संबंध में मैं यह बता दूं कि बम्बई का भू-राजस्व अधिनियम बहुत पुराना, मध्ययुगीन और क्रूर है । उस के उपबन्ध अत्यन्त कठोर हैं ।

दोषी को कैद करने की शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए, न कि स्वेच्छानुसार अथवा दमनात्मक रूप में । यह एक दैत्य की शक्ति है, लेकिन इस का प्रयोग एक दैत्य के समान नहीं करना चाहिए । माननीय वित्त मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि इस का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा और यह कि किसी भी व्यक्ति को कारावास तब तक नहीं भेजा जायेगा जब तक कि उस के कब्ज़े में जितनी सम्पत्ति है वह सारी बेच नहीं दी जाती । यह सारे करारोपण विधानों में मूल सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया गया है, और यहां पर भी वित्त मंत्री को इस को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं एक चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि हम इसे विभिन्न राज्यों के लिये उन की प्रार्थना पर, अधिनियमित कर रहे हैं । वे चाहते तो यह कह सकते थे कि जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, हम अपने अधिनियम बनायेंगे । यदि उन के अपने अधिनियम होते तो उन्होंने कहा होता कि इस की वसूली भू-राजस्व के बकाया के समान होगी । यह बात नहीं है कि हम उन पर कोई भार डालने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम उन के लिये कुछ कर रहे हैं । यह विचारणीय विषय है कि उस की वसूली किस प्रकार हो क्योंकि यह राज्यों की ओर से उन के लिये वसूल किया जाना है ।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : श्रीमान्, मैं ने एक संशोधन दिया है । मैं इस खण्ड का बिलकुल विरोध करता हूं और इसी आधार पर मैं ने वह प्रस्तुत दिया है । मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उस संशोधन को स्वीकार कर लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा ।

श्री पाटस्कर : यह एक अपराध संबंधी विधान नहीं है । यह एक ऐसा शुल्क है जो मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सम्पदा पर लगाया गया है । अतः मुख्यतः यह शुल्क सम्पदा में से वसूल किया जाना चाहिये ।

अतः मैं समझता हूं कि चाहे इस सम्बन्ध में कोई संशोधन न हो, पर यदि वित्त मंत्री सदन को यह आश्वासन दे देते हैं कि इस मामले में यह अनुदेश जारी किये जायेंगे कि सम्पदा शुल्क की वसूली के लिये कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जायेगा, तो किसी प्रकार की हानि नहीं होगी ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं । क्योंकि यदि शुल्क भू-राजस्व के समान उगाहा जायेगा तो बड़ी गड़बड़ होगी । अन्य राज्यों में भू-राजस्व न चुकाने वाले को जेल भेजा जा सकता है । किन्तु आसाम में ऐसा नियम नहीं है । अतः इस अधिनियम के लागू होने से आसाम में भी यह शुल्क न देने वाले को जेल भेजा जा सकेगा । यह विधि बड़ी बर्बरतापूर्ण है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का यह भ्रम मिथ्या है । अवशिष्ट भू-राजस्व के सम्बन्ध में सभी राज्यों की अलग अलग भू-राजस्व विधि है । एक राज्य की भू-राजस्व विधि को दूसरे राज्य पर लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । अतः उन की युक्तियां

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रकरणसंगत नहीं हैं । मैं उन के संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं । श्री वल्लाथरास चाहें तो इस खण्ड का विरोध कर सकते हैं ।

श्री वल्लाथरास : श्रीमान्, मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं । मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सम्पदा शुल्क को उगाहने के लिये इस प्रकार का उपबन्ध रखने से बहुत गम्भीर परिणाम होंगे । यह सारा विधेयक ही दण्डात्मक है । इस से उच्च मध्यमवर्ग को बहुत हानि होगी । कर लेते समय संयक्त परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाता है किन्तु अवशिष्ट सम्पदा शुल्क प्राप्त करने के लिये इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया जाता । जितना सम्पदा शुल्क शेष हो उतने की ही सम्पत्ति लेनी चाहिये । सारी सम्पत्ति को ले कर कौड़ियों के भाव बेच देने से वह सारा परिवार नष्ट हो जायेगा ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : जहां तक खण्ड ७१ का सम्बन्ध है और आय-कर तथा बम्बई भू-राजस्व संहिता का सम्बन्ध है, मेरा यह निवेदन है कि संहिता तथा आय-कर अधिनियम दोनों के अधीन अवशिष्ट राशि को प्राप्त करने के लिये स्वयं सम्पत्ति के अधिकारी या भूमि जोतने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है । उस पर अभियोग चलाया जाता है । यहां हम सम्पत्ति के उत्तराधिकारी पर सम्पदा शुल्क लगा रहे हैं । खण्ड ५१ के अनुसार, जोकि पारित कर दिया गया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है जिसे कि उस की अपनी ही उपेक्षा या भूल के कारण कोई सम्पत्ति न मिली हो । जिन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही हो उस पर भी विचार करना चाहिये और शुल्क प्राप्त करने के लिये अत्यन्त उग्र उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिये और जहां तक सम्भव हो मृतक की सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये और उसी से सम्पदा शुल्क प्राप्त करना चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं पहिले ही कह चुका हूं कि इस उपबन्ध का प्रभाव भेदभावपूर्ण होगा । आशा है कि आप इस पर कृपा कर के विचार करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान का मूल सिद्धान्त यह है कि सारी प्रजा के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिये ।

मेरा निवेदन यह है कि जब केन्द्रीय सरकार कोई विधान बना रही हो और उस में शेष शुल्क को वसूल करने की व्यवस्था कर रही हो तो उस का वसूल करने का तरीका एक-सा ही होना चाहिये । यदि भू-राजस्व के समान अवशिष्ट राशि को वसूल किया जायेगा तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग भू-राजस्व संहितायें लागू होंगी और इस से भेद-भाव उत्पन्न होगा जो कि हमारे संविधान के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध है मेरी सम्मति यह है कि यदि सम्पदा शुल्क लगाना ही है तो यदि कोई व्यक्ति सम्पदा शुल्क न दे तो सरकार को उस से सम्पदा शुल्क प्राप्त करने के लिये पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिएं । बम्बई संहिता के संबंध में यह निर्णय किया जा चुका है कि जब कर प्राप्त करने के और सभी उपाय असफल हो जायें केवल तभी गिरफ्तारी करनी चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : प्रारम्भ से ही हम यह प्रतिपादन कर रहे हैं कि बम्बई भूमि राजस्व संहिता क्रिया एवं प्रभाव में उचित नहीं है, विशेष रूप से वह कृषक वर्ग की ओर अनुचित है ।

श्री पाटस्कर : हां ।

श्री एस० एस० मोरे : किन्तु उक्त संहिता के समय अकृषकवर्ग के प्रतिनिधियों ने उस के विषय में कुछ नहीं कहा ।

श्री पाटस्कर : यदि माननीय सदस्य मेरी ओर निर्देश कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि मैं ने बम्बई विधान परिषद में इस आशय के संकल्प प्रस्तुत किये थे कि इस तरह वसूली नहीं की जानी चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं श्री पाटस्कर के विषय में नहीं कह रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम यहां व्यक्तित्व का निर्णय कर रहे हैं ?

श्री पाटस्कर : कदाचित उस समय श्री मोरे वहां नहीं थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल इसलिये कि श्री पाटस्कर अथवा श्री मोरे ने ऐसा कहा है.....

श्री एन० सी० चटर्जी : यह बम्बई की लड़ाई है ।

एक माननीय सदस्य : युद्ध तीन के बीच है ।

श्री एस० एस० मोरे : यह बम्बई की लड़ाई नहीं है । यह निहित स्वार्थों के समर्थक और उन के विरोधियों की लड़ाई है ।

श्री पाटस्कर : यदि उन का संकेत मुझ से है तो मैं किसी निहित स्वार्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इन सब की सीमा होनी चाहिये । लगता है माननीय सदस्य कभी पक्ष में और कभी विपक्ष में विवाद कर रहे हैं । मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान मुझे खेद है कि आप पर ऐसा प्रभाव हुआ है । क्या मैं दो वैकल्पिक स्थितियों पर अधिकार नहीं कर सकता हूं ? हमें—वकीलों को यह विशेष सुविधा प्राप्त है कि हम दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं । लिखित वक्तव्य में दो परस्पर विरोधी वैकल्पिक रखे जा सकते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान, जिस रूप में आप उसे रख रहे हैं उस के लिये मुझे खेद है । मेरा निवेदन है कि आप की अध्यक्षता में इस प्रकार का व्यंग अथवा प्रताड़ना एक पक्षीय विषय बन जाता है । यदि आप धैर्यपूर्वक मेरी बात सुन लें । दुर्भाग्य-वश मुझे अपनी बात की व्याख्या करने का अवसर ही नहीं दिया जाता .....

पंडित एस० सी० मिश्र (मंगेर उत्तर-पूर्व) : श्री मोरे के विरोध करते रहने पर भी, मेरा विश्वास है कि आप के द्वारा दिया गया निर्णय ही माननीय है ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं आप की सूचना के लिये इस बात पर जोर दे कर कहता हूं कि इस में खण्ड-विशेष वैषम्यपूर्ण है । सरकार कहेगी, "बकाया राशि इसी पद्धति से वसूल की जायगी ।" वसूल करने की विभिन्न पद्धतियों का जहां तक सम्बन्ध है वह भेदजनक है । मेरा निवेदन है, श्रीमान, जो व्यक्ति निहित स्वार्थों के समर्थक हैं और गलतियां करने वालों का पक्ष लेते हैं उन के सम्बन्ध में बम्बई संहिता का उस के निकृष्ट प्रभाव के साथ व्यवहार किया जाना चाहिये ।

श्री टेकचन्द खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अधिक चर्चा में नहीं जाना चाहता । मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया हूं ।

श्री टेकचन्द : इस के और भी अनेक पहलू हैं । यदि आप कुछ समय दें तो बड़ी कृतज्ञता होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री ।

श्री सी० डी० देशमुख : जैसा कि आप ने संकेत किया एक संशोधन इस खंड में

[श्री सी० डी० देशमुख]

प्रस्तावित किया गया है। अतः ७१ रखिये अथवा ७१ न रखिये मुझे लगता है कि इस खंड का एक वैकल्पिक है ।

यह सादृश्य उपस्थित किया गया है कि अर्थविधि-संहिता में निजी कर्जे की वसूली के लिये बन्दीगृह भेजने की अनुमति नहीं है। किन्तु यह सादृश्य गलत है क्योंकि यहां हमारा अभिप्राय राज्य को दिये शुल्कों से है। तब एक औचित्य प्रश्न उठाया जाना चाहिये कि यह संविधान की विशिष्ट धारा के विरुद्ध है । इस तरह का आग्रह नहीं किया गया है। अतः मैं यह मान लेता हूं कि इस खण्ड को स्वीकृत कर देना हमारे अधिकार में है यदि हम इस ओर से आश्वस्त हो जायें कि गुणों की दृष्टि से यह आवश्यक है ।

श्रीमान, इस के उपरान्त बम्बई नगर भूमि राजस्व अधिनियम, १८७५ की ओर निर्देश किया गया और कुछ भाग पढ़ा गया; यदि उस भाग को संदर्भ से प्रथक कर दिया जाय तो बड़ा हास्यास्पद दिखाई देता है, वसूल की गई निधि के प्रत्येक रुपये के लिये अधिकतम अवधि एक दिन। किन्तु माननीय सदस्य न इस के बाद कुछ नहीं पढ़ा ।

श्री गाडगील : उन्होंने उसे आप के लिये रख छोड़ा है ।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं उसी पुस्तक से उद्धृत करता हूं, कागां कृत आयकर पर पुस्तक, पृष्ठ ८०४.

"किन्तु गलती करने वालों को हवालात में भेजने के विस्तृत अधिकार का उपयोग सनक अथवा अत्याचार की भावना से नहीं किन्तु औचित्यपूर्वक किया जाना चाहिये ।"

और प्रशासनीय अनुदेशों द्वारा मुझ से ठीक यही करने के लिये कहा गया था । इस विषय का ध्यान न्याय सम्बन्धी निर्णयों ने पहले ही ले लिया है। ये निर्णय यहां उद्धृत किये गये हैं । इस में धारा १३ के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति को पकड़ने और सिविल जेल भेजने के पूर्व उस की सम्पत्ति बेच देनी चाहिये । करदाता को दीवालिया घोषित करने के पूर्व उस की सम्पत्ति के विक्रय का काम पूरा हो जाना चाहिये । दूसरे उद्धरण के अनुसार सम्पत्ति के न बेचने की अवस्था में उसे जेल भेजना अवैधानिक होगा । अतः मेरा विचार है कि नागरिक के संरक्षण के लिये सब प्रबन्ध है ।

दूसरे विषय के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि इस विधेयक के स्वीकार हो जाने पर सम्पत्ति के स्वामित्व से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति उस से अनजान नहीं रह सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया ।

खण्ड ७१ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

श्री आर० के० चौधरी : कल माननीय मंत्री ने मेरे इस संशोधन को मानने से अस्वीकृत कर दिया कि अधिक मूल्यांकन के प्रश्न पर सन्तप्त व्यक्ति बोर्ड के पास प्रार्थनापत्र दे सकता है । सरकार बिना किसी हानि के इस संशोधन को स्वीकार कर सकती है । एक ऐसे उत्तराधिकारी का उदाहरण है जिस के पास नकद अथवा चल सम्पत्ति नहीं है और उस के पास केवल एक मकान है जिस में कि वह वस्तुतः रहता है । सम्पदा शुल्क के लिये उसे यह मकान बेचना पड़ेगा । अतः मैं सोचता हूं कि एक वर्ष की रियायत अधिक नहीं है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं उस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं । खण्ड ६८ के उदार उपबन्धों की दृष्टि में यह अनावश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, किश्तों द्वारा छै वर्षों में उस की अदायगी करने के लिये उपबन्ध है ।

खंड ७२—(सम्पदा शुल्क और प्रथम वसूली आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३४, पंक्ति १ में "बोर्ड" (Board) के स्थान पर "नियंत्रक" (Controller) प्रविष्ट कीजिय ।

मैं एक और समनुवर्ती संशोधन—वैयाकरणिक संशोधन भी प्रस्तुत करता हूं—अर्थात :

पृष्ठ ३४, पंक्ति ३, में "इसे" (It) के स्थान पर "वह" (He) लिखिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३४, पंक्ति १ में "बोर्ड" (Board) के सथान पर "नियंत्रक" (Controller) प्रविष्ट कीजिये; और

पंक्ति ३ में "इसे" (It) के स्थान पर "वह" (He) लिखिये ।

प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रस्तुत खण्ड पर मैं कुछ कहना चाहता हूं । इस खण्ड विशेष में मुझे मालूम हुआ कि दायित्व सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क प्रथम वसूली मान लिया गया है कल हम ने जो उपबन्ध स्वीकृत किया उस के अनुसार अंशांश मालूम करने के प्रयोजन से सम्पदा को मृत व्यक्ति की सम्पदा माना गया था । मैं गौड़ की 'हिन्दू संहिता' को उद्धृत करता हूं : चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ६५१, पर अनुच्छेद १९१ में लिखा है :

प्रत्येक विभाजन में सर्वप्रथम निम्न उपबन्ध होना चाहिये—

(क) परिजनों के ऋण का भुगतान;

(ख) पुत्र द्वारा पिता के ऋण का भुगतान;

(ग) सम्बन्धित कुटुम्बी जनों का भरणपोषण;

(घ) संयुक्त परिवार द्वारा देय सदस्यों के विवाहों का व्यय; (ङ) और वे सब धार्मिक तथा अन्य कृत्य जिन के लिये संयुक्त सम्पत्ति का उत्तरदायी है ।

अतः श्रीमान् विभाजन में भी परिवार के कतिपय सदस्यों के निर्वाह व्यय तथा उन के रहने की व्यवस्था आवश्यक है ।

श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि महिला रिशतेदारों के भरणपोषण तथा निवास-स्थान के अधिकारों के बारे में, जो उन्हें बटवारे से भी पहले से प्राप्त होते हैं, स्थिति क्या है ? हिन्दू विधि के अन्तर्गत दान की व्यवस्था को भी बटवारे के समय ही किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस व्यय की अनुमति देगी ? मेरी आशंका है कि इस विधि के पारित करने से हम बटवारे के नियमों का इस सीमा तक निराकरण नहीं कर सकेंगे । सम्पदा शुल्क सम्बन्धी यह विधेयक इस सीमा तक हिन्दू विधि के विरुद्ध है । मैं माननीय विधि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बटवारे के इन सिद्धान्तों के त्याग के समर्थक हैं अथवा क्या वह उनका सम्मान करते हुए ऐसी व्यवस्था करेंगे जिस से खण्ड ७२ में उल्लिखित 'प्रथम व्यय' उसी समय निर्वाचित किया जायगा जबकि हिन्दू विधि के अन्तर्गत आने वाली सभी बातों के लिये व्यवस्था की जा चुके ?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही 'अध्याय ६ में जिन ऋणों तथा भारों की अनुमति दी जा सकती है' की व्यवस्था मौजूद है । भारों में विभिन्न व्यय भी शामिल हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या महिला रिशतेदारों के भरणपोषण आदि के भार का इस 'प्रथम भार' द्वारा निराकरण किया जायगा ? मेरा कहना है कि काल्पनिक बटवारे तक में भी उन भारों को सरकार के 'प्रथम भार' पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये । स्पष्ट रूप से मेरा प्रश्न यह है कि क्या महिला रिशतेदारों के भरणपोषण के व्यय की व्यवस्था को सर्व-प्रथम किया जायगा या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि भरणपोषण का कोई व्यय हो तो मृत की सम्पत्ति वही सम्पत्ति समझी जायगी जो सारी सम्पत्ति में से इस व्यय को घटा कर बच रहेगी। 'पट्टे' को पूर्णतः सम्पत्ति नहीं कहा जा सकता । यदि कोई भार हो तो मृत व्यक्ति की सम्पत्ति पर केवल वही भार लग सकेगा तथा उस भार के लगने के बाद ही 'प्रथम भार' लग सकेगा तथा उस के बाद इसे और भारग्रस्त नहीं किया जा सकेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : बटवारे में भाग को विविधत करते समय जिन बातों पर विचार किया जाना चाहिये, उन पर विचार किया जायगा। इस बात पर हम 'प्रथम भार' के प्रसंग में चर्चा नहीं कर सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन का निर्देश केवल बटवारे से ही नहीं है । वैयक्तिक मामलों में संभव है कि सम्पत्ति के वास्तविक उत्तरा-धिकारी के इलावा और भी ऐसा कोई व्यक्ति हो जिस का भरणपोषण उन के लिए अनिवार्य हो तथा उसे सम्पत्ति पर 'प्रथम भार' समझा जायगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : प्रत्येक मामले में हमें पहले यह निश्चित करना होगा कि शुल्क को लगाने के लिये सम्पत्ति को कैसे निर्धारित किया जाय । सम्पत्ति के निर्धारित हो जाने पर सम्पदा शुल्क को उस पर 'प्रथम भार' समझा जायगा । ये दूसरे भारों का निराकरण नहीं करेगा, परन्तु इसे प्राथमिकता दी जायगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक ऐसे मान्य भार की कल्पना करेंगे जिस से हम विमुख नहीं हो सकते । जहां तक ऐसी सम्पत्ति का सम्बन्ध है, यह प्रथम भार द्वितीय भार हो जायगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक खण्ड ४२ द्वारा किसी भार के सम्बन्ध में अपवाद नहीं किया जाता, मेरा उत्तर है कि खण्ड ७२ में 'प्रथम भार' की परिभाषा कर दी गई है । यह दूसरे भारों का निराकरण नहीं करता है, परन्तु इसे 'प्रथम भार' अवश्य समझा जायगा । रहन की राशि को सम्पदा शुल्क के भुगतान के बाद ही अदा किया जा सकेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा प्रश्न सर्वदा और है । हिन्दू विधि के अन्तर्गत, बटवारे के समय कुछेक मामलों के सम्बन्ध में, जिन का वर्णन 'गौड़ की हिन्दू संहिता' में किया गया है, व्यवस्था का करना आवश्यक है । मेरा निवेदन यह है कि मृत व्यक्ति के महिला रिशते-दारों का भरण पोषण सम्बन्धी व्यय सारी सम्पत्ति पर 'प्रथम भार' है तथा कि बटबारे के समय इसे अवश्य ही मान्यता दी जानी चाहिये । यह खण्ड विभिन्न भारों के सम्बन्ध में है । अतएव मैं उन भारों का वर्णन करना चाहता हूं जो इस में शामिल नहीं किए गए हैं । माननीय मंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं काल्पनिक बटवारे के समय महिला रिशते-दारों के इन अधिकारों को माना जायगा या नहीं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : इस सम्बन्ध में मैं न्यायाधीश चन्द्र शेखर आयर के उन विचारों का निर्देश करना चाहता हूं जिन का उल्लेख 'मैनी की हिन्दी विधि' नाम की पुस्तक के अन्तिम संस्करण में किया गया है । उस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी

संयुक्त सम्पत्ति के बटवारे से पहले परिवार के सांझे ऋणों, विवाहों तथा ऐसी अन्य रस्मों की व्यवस्था के साथ साथ महिला रिशतेदारों के भरण पोषण की व्यवस्था की जायगी । अतएव यह जानना बहुत जरूरी है कि 'प्रथम भार' किस सम्पत्ति पर लगे ? श्रीमान्, वास्तव में इन रिशतेदारों को, जो सम्पत्ति पर प्रथम भार का दावा रखते हैं, वंचित रखने का कोई प्रयोजन नहीं है । प्रविधि की दृष्टि से, जब तक किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा इस अधिकार को मनवाने की शक्ति की व्यवस्था न हो, इसे भार समझना कठिन है । यदि आप चाहते हैं कि सम्पदा तथा शुल्क का ठीक ठीक अनुमान किया जा सके तो आप को इन भारों को प्राथमिकता देनी होगी । किसी संयुक्त सम्पत्ति के बटवारे से पहले संयुक्त सम्पदा के दायित्व ऋणों आदि की व्यवस्था का करना आवश्यक है । जब तक यह व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक आप बटवारा अथवा सम्पदा की बांट नहीं कर सकते ।

श्री राघवाचारी : मद्रास में सरकार द्वारा प्राप्य धन की परिभाषा इस प्रकार से की गई है कि चाहे किसी भी प्रकार के बन्धक अथवा अन्य भार हों, 'प्रथम भार' को सब पर प्राथमिकता दी जायगी । यदि 'प्रथम भार' के अर्थ यही लिए गए तो इस से सचमुच बहुत कठोरता का सामना होगा ।

सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति हस्तांतरित हो जाती है । अतएव उस पर लागू सभी भारों के बाद ही इसे 'प्रथम भार' समझा जायगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक बटवारे का संबंध है, यह मामला उस हिन्दू विधि अथवा संहिता के अनुसार ही निश्चित होगा जो भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित है । अतएव यदि धारणा यह है कि व्यवस्था का करना आवश्यक है तथा वह भी बटवारे से पहले तो स्पष्ट है कि हमें काल्पनिक बटवारे के बारे में भी इस में परिवर्तन की इच्छा नहीं है । इस के रूप का फैसला एक विधि सम्बन्धी प्रश्न है । मुझे इस से उठने वाले दावों के बारे में कुछ मालूम नहीं है अर्थात् इस बारे में कुछ मालूम नहीं है कि सम्पदा के अनुपात से परिवार की लड़कियों के विवाह आदि के लिए कितनी तदर्थ व्यवस्था को करना होगा न ही मुझे परिवार की प्रतिष्ठा आदि मामलों को निश्चित करने के बारे में कुछ पता है । मुझे नहीं मालूम कि व्यवस्था कैसे की जाती है परन्तु वास्तविक बटवारे से पहले जो कुछ भी करना पड़े, उसे करना ही होगा । मेरे कहने का आशय यह है कि हम उस प्रक्रिया की उपेक्षा का तनिक विचार नहीं है । अतः मैं ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

किसी दूसरे भार के सम्बन्ध में यह निश्चित करना होगा कि सम्पत्ति क्या होगी । भाग को निश्चित करने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करना ही पड़ता है । जब तक ये सारे मामले तय न हो जायें, बटवारा नहीं हो सकता । बटवारे के बाद हमें सम्पत्ति तथा भाग का पता लग जाता है । इस के बाद यदि कोई भाग अन्य रूप से भारग्रस्त है तो मेरा कहना है कि संपदा शुल्क को प्रथम भार समझा जायगा । प्रथम भार का आशय वही होगा जिस का अन्तिम वक्ता ने निर्देश किया है । इसे अन्य सभी भारों पर प्राथमिकता दी जायगी । योजना यही है तथा किसी सदस्य ने इस में संशोधन या परिवर्तन की सूचना नहीं दी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान्, एक बात और रह जाती है । यदि यह बन्धक प्रथम भार है तो खण्ड ७२ की उपधारा (२) के परन्तुक का प्रभाव इस के विपरीत होगा । इस में वास्तविक त्रेता का कोई प्रश्न नहीं है । अतएव प्रथम भार वास्तविक है । यह परन्तुक नहीं रखा जाना चाहिये ।

श्री के० के० बसु : यह अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में है ।

श्री टेकचन्द : श्रीमान्, मामले का एक और पहलू है । इस में इंग्लिश विधि से एक अन्तर है .....

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, अब मैं और किसी बात की अनुमति नहीं दे सकता । आप को पंडित भार्गव के भाषण के बाद इस मामले को उठाना चाहिये था । प्रश्न यह है कि :

"खंड ७२ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७२ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ७३ से ७५ तक विधेयक के अंग बना लिए गए ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

श्री जी० डी० सोमानी : मैं प्रस्ताव करता हू कि

पृष्ठ ३४ में,

खंड ७६ के स्थान पर निम्न शब्द आदिष्ट किए जायें ।

"76. No suit shall be brought in any Civil Court to set aside or modify any assessment made under this Act and no prosecution suit or other proceeding shall lie against any officer of the Government for anything in good faith done or intended to be done under this Act".

["७६. इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए किसी निर्धारण को रद्द करने अथवा उस में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में किसी व्यवहार न्यायालय में कोई वाद नहीं चलाया जा सकेगा, तथा शुद्ध भावना से किये गये अथवा अभिप्रेत किसी काम के सम्बन्ध में किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध किसी अभियोग या वाद को नहीं चलाया जा सकेगा न ही अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।"]

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ३४,

खण्ड ७६ में, निम्न शब्द आदिष्ट किए जायें :

"76. No suit shall be brought in any Civil Court to set aside or modify any assessment made under this Act, and no prosecution, suit or other proceeding shall lie against any officer of the Government for anything in good faith done or intended to be done under this Act."

["७६. इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी निर्धारण को रद्द करने अथवा उस में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में किसी व्यवहार न्यायालय में कोई वाद नहीं चलाया जा सकेगा, तथा शुद्ध भावना से किए गए अथवा अभिप्रेत किसी काम के सम्बन्ध में किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध किसी अभियोग या वाद को नहीं चलाया जा सकेगा न ही अन्य कोई कार्यवाही की जा सकेगी ।"]

श्री पाटस्कर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३४,

पंक्ति ४५ में, निम्नलिखित शब्द जोड़िये :

"Provided that the High Court, having jurisdiction over the area in which the property of the deceased is situated, may call for the record of any

case determined by the Board under section 61, and if the Board appears--

(a) to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, or

(b) to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or

(c) to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity,

the High Court may make such order in the case as it thinks fit."

["परन्तु वह उच्च न्यायालय से जिसे उस क्षेत्र का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जिससे मृत व्यक्ति की सम्पत्ति स्थित है, धारा ६१ के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये किसी मामले के अभिलेख्य को मंगा सकता है तथा यदि यह जान पड़े कि बोर्ड ने--

(क) एक ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि के अन्तर्गत उसे प्राप्त नहीं है, या

(ख) एक ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जो उसे इस प्रकार से प्राप्त है, या

(ग) अपने क्षेत्राधिकार का अवैध अथवा सारभूत अनियमितता से प्रयोग किया है--तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश जारी कर सकता है जो उसे उचित जान पड़े।"]

श्री एन० सी० चटर्जी : श्रीमान, मेरे संशोधन का आशय सरकारी अधिकारियों का संरक्षण है। कल्पना कीजिये कि सम्पदा शुल्क के विषय में मामला उन के क्षेत्राधिकार में होने से वह किसी परमादेश या लेख को प्राप्त नहीं करते। इस से ऐसा जान पड़ेगा कि सम्पदा शुल्क को अनुचित तथा ग़लत रूप से लगाया जा रहा है। अतएव मेरा सुझाव है कि आय-कर अधिनियम के शब्दों को इस अधिनियम में भी लिया जाय। इस से अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त होगा।

मैं जानता हूं कि इस में एक शर्त लगाई गई है और वह यह कि निर्धारण शुद्ध भावना से किया गया हो। यह एक अच्छी शर्त है। संविधान के २२६ तथा ३२ अनुच्छेदों में यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय को निदेश, आदेश या लेख, जिस में परमादेश, अधिकार-पृच्छा तथा उत्प्रेषन लेख आदि शामिल हैं, जारी करने के अधिकार होंगे। अतएव वास्तव में संविधान के अनुच्छेदों के उल्लंघन की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि आय-कर अधिनियम इस बारे में एक अच्छा नमूना है तथा उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

श्री गाडगिल : क्या उच्च न्यायालयों को सम्पदा शुल्क अधिकारियों को कार्यवाही के रोकने के बारे में आदेश जारी करने का अधिकार है ?

श्री एन० सी० चटर्जी : उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है।

श्री पाटस्कर : मेरा संशोधन उन मामलों के सम्बन्ध में है जिस में क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया गया है या अनुचित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है। उस अवस्था में मेरे संशोधन में स्थानीय उच्च न्यायालय को सत्ता प्रदान की गई है।

इस संशोधन के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि खास खास मामलों में आदेशों पर पुनर्विचार करने के लिये किसी निकाय की व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरा संशोधन उच्च

[श्री पाटस्कर]

न्यायालयों को केवल पुनर्विचार का अधिकार देता है। विधेयक के उपबन्धों के अनुसार केवल बोर्ड को अपील की जा सकती है। किसी न्यायिक अधिकारी को अपील करने की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि कुछ मामलों पर निरीक्षण रखने का अधिकार कम से कम स्थानीय उच्च न्यायालयों को दिया जाये। लोगों के प्रति न्याय करने के लिये हमें कम से कम उच्च न्यायालयों को यह अधिकार तो देना ही चाहिये कि जिन मामलों में बोर्ड ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो या जहां उस ने पूरी तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग न किया हो या अनुचित रूप से उन का प्रयोग किया हो, वहां वह उन पर पुनर्विचार कर सके। देश में संसदीय प्रजातंत्र को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिये हमें कुछ न्यायिक सिद्धान्तों का पालन करना चाहिये और इसीलिये मैं इस बात पर ज़ोर दे रहा हूं कि उच्च न्यायालय को कुछ मामलों में पुनर्विचार के अधिकार दिये जायें। लोगों के लिये एक यही बचाव होगा कि न्यायालय इस बात का पता लगा सकेगा कि बोर्ड ने अपने अधिकारों का किस प्रकार प्रयोग किया है। मैं नहीं जानता इस में नुकसान क्या है? बोर्ड किसी मामले का फ़ैसला करेगा और उच्च न्यायालय को उस मामले पर अपना निर्णय देने के लिये कुछ अधिकार दे दिये जायेंगे। यह क़ानून बहुत जटिलताओं से भरा हुआ है, इसलिये यह बहुत संभव है कि बोर्ड की गलतियां हों और इन ग़लतियों को ठीक करने के लिये किसी निकाय को अधिकार दिया जाना चाहिये और यह निकाय उच्च न्यायालय से बेहतर और कोई नहीं हो सकता।

माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि इस विधेयक में कई ऐसे उपबन्ध हैं जिन की व्याख्या न्यायालयों द्वारा ही की जायेगी। इस बात को देखते हुए यह और भी आवश्यक है कि इस उपबन्ध को शामिल कर लिया जाये। क़ानून की व्याख्या करने का काम उच्च न्यायालय पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये। उच्च न्यायालय केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करेगा जहां कि बोर्ड द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया गया हो या अधिकारों का उचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया हो। यदि किसी व्यक्ति को कर लेने वाले अधिकारियों से कोई शिकायत हो तो उसे अपनी शिकायत किसी अन्य अधिकारी को निर्दिष्ट करने का अधिकार होना चाहिये। मैं समझता हूं उच्च न्यायालय से बढ़ कर और कोई ऐसा निकाय नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस संशोधन पर विचार करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे।

श्री टेकचन्द : इस खंड के द्वारा बोर्ड के सदस्यों और सम्पदा शुल्क अधिकारियों को असीमित अधिकार दिये जा रहे हैं। वे चाहे कुछ भी अनियमितताएं करें या क़ानून का कितना ही दुरुपयोग करें, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। किसी भी न्यायालय को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह उन के मामले में हस्तक्षेप कर सके। बेचारे करदाताओं को अपनी शिकायत किसी भी गैर विभागीय अधिकारी को करने का हक़ नहीं दिया गया है। मैं पूछता हूं कि यदि मूल्यांकक या नियंत्रक मनमानी करे तो उस पर क्या रोक है? जब तक आप श्री पाटस्कर के संशोधन को मंजूर नहीं करते तब तक इस प्रकार की मनमानी के मामले किसी भी न्यायालय में नहीं उठाये जा सकते। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने के लिये, कर्मचारीगण करदाताओं के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे और उन बेचारों को शिकायत करने का मौक़ा भी नहीं दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि हमें इस खंड में अवश्य

संशोधन करना चाहिये और करदाताओं को अपनी शिकायतें न्यायालय में पेश करने का अधिकार देना चाहिये ।

श्री गाडगील : मेरी राय में यह संशोधन नियमानुकूल नहीं मालूम होता है । सदन में यह बात निश्चित हो चुकी है कि कोई अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होगा । दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिये कि खंड ६२ में जो उपबन्ध किया गया है, उसे छोड़ कर न्यायालयों को इस विषय में किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है ।

संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय को जो क्षेत्राधिकार दिये जाने का प्रस्ताव है, उस का सम्बन्ध क़ानून के प्रश्नों से है और क़ानून के सारे प्रश्नों का जहां तक सम्बन्ध है, हम खंड ६२ में समुचित व्यवस्था कर चुके हैं । संशोधन का उद्देश्य इस खंड से पूरा हो जाता है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है । मेरा अपना तो यह ख़्याल है कि उच्च न्यायालय को कुछ अधिकार देने के बहाने सदन द्वारा स्वीकृत की गई सारी योजना को ख़त्म कर देने का इरादा है । मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री ए० एम० टामस : मैं श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और श्री पाटस्कर के संशोधन का विरोध । जैसा श्री गाडगील ने कहा श्री पाटस्कर द्वारा प्रस्तुत संशोधन का सम्बन्ध केवल क़ानून के प्रश्नों से है, और किसी से नहीं । उन्हों ने संशोधन की भाषा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ११५ से ली है । इस धारा के अनुसार उच्च न्यायालय अपने पुनर्विचार क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क़ानून के सारे प्रश्नों में छान बीन नहीं कर सकता । इस का अर्थ यह है कि खंड ६२ में हम ने उच्च न्यायालय को जो अधिकार दिये हैं, इस संशोधन के द्वारा उन्हें संकुचित किया जा रहा है । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

मेरा अपना सुझाव यह है कि क़ानून सम्बन्धी बातों का फ़ैसला करने के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किया जाये । मैं माननीय मित्र के संशोधन में निहित सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं हूं; परन्तु चूंकि यह संशोधन खंड ६२ में दिये गये क्षेत्राधिकार को संकुचित करता है, इसलिये मैं इस का विरोध करता हूं । साथ ही, मैं श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधन का समर्थन करता हूं । उन्हों न भारतीय आयकर अधिनियम में रखे गये ठीक इसी प्रकार के एक उपबन्ध की ओर हमारा ध्यान दिलाया है । हम इसी प्रकार का उपबन्ध यहां इस विधेयक में रख सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं श्री चटर्जी के संशोधन का समर्थन और श्री पाटस्कर के शब्दों का विरोध करता हूं ।

श्री राघवाचारी : मैं यह बताना चाहता हूं कि इस खंड के प्रारूप में एक छोटी सी त्रुटि है । मेरे विचार में यह त्रुटि ४२वीं पंक्ति में है । उपबन्ध इस प्रकार है: "इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित हुआ है, उस को छोड़ कर, कोई भी चीज़ जो नहीं हो पाई हो अथवा नेकनीयती से नहीं की जाने वाली हो....." "in good faith" ["नेकनीयती से"] शब्द या तो पहले आने चाहियें या अन्त में, और "केवल की जाने वाली बातों" पर ही लागू नहीं होने चाहियें । अन्यथा, इस का यह अर्थ होगा कि जो कोई भी बात बदनीयती से की जायेगी उस की भी रक्षा होगी । इस प्रकार की कतई कोई आशा नहीं । यदि कोई काम किया जाना अभिप्रेत हो, तभी यह वाक्यांश संगत हो सकता है कि वह बात नेकनीयती से हुई है या नहीं । साधारणतया, सभी विधानसम्बन्धी अधिनियमों में 'नेकनीयती से' शब्दों का निर्देश दोनों किये गये और किये जाने वाले कामों से है । दुर्भाव

[श्री राघवाचारी]

से किये गये कार्यों पर सदा आपत्ति और विवाद किया जा सकता है । इसीलिये मैं यह प्रार्थना करता हूं कि 'सद्भाव से' या 'नेकनीयती से' शब्द इस खण्डांश के उपबन्ध के प्रारम्भ या अन्त में आने चाहियें । इस से इन दोनों बातों का बचाव होगा ।

हां, प्रत्येक वित्तीय अधिनियम में अथवा प्रत्येक ऐसे मामले में, जहां सरकारी कर्मचारियों के सद्भावयुक्त कार्यों की सुरक्षा उपबन्धित हुई है, धारा में प्रयुक्त की गई भाषा ३४१ और ४२३ संशोधनों का अनुसरण करती है । प्रस्तुत विधेयक में जो ये शब्द प्रयोग में लाये गये हैं, वे साधारण क्षेत्राधिकार का निकारण करते हैं । यह साधारण भाषा नहीं है । इसीलिये मैं खण्ड ७६ को संशोधित रूप में स्वीकार करने के पक्ष में हूं, अन्यथा इस खण्ड से अभिप्रेत क्षेत्राधिकार छिन जाएगा और इस रक्षा के औचित्य की जांच निषिद्ध होगी । यही कारण है कि मैं संशोधन ३४१ और ४२३ के पक्ष में हूं ।

अब, इस के पश्चात्, मैं श्री पाटस्कर द्वारा सूचित किये गये संशोधन के सम्बन्ध में एक शब्द कहना चाहता हूं । मैं अनुभव करता हूं कि श्री टॉमस का यह प्रतिवाद कि विधि तथा तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों को उच्च न्यायालय को सौंपने में जो क्षेत्राधिकार हम ने अन्य धारा में दिया है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक नहीं है । इस के सम्बन्ध में हमारा यह विचार है कि जब भी किसी ऐसे क्षेत्राधिकार से काम लिया जाता है जो पदाधिकारियों में न्यस्त नहीं हो, तो ऐसे मामले को जांच के लिये उच्च न्यायालय के पास ले जाने की अनुमति ली जाती है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अब तो आप अनुच्छेद २२६ से काम ले सकते हैं ।

श्री राघवाचारी : ठीक है, किन्तु विधि पारित करते समय इस प्रकार के परित्राण को विशिष्ट रूप से बताना अधिक अच्छा होगा । मैं इतना ही कह कर संतुष्ट रहूंगा कि यदि वह क्षेत्राधिकार छीना नहीं जाएगा तो इस प्रश्न के सम्बन्ध में और विस्तार देने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी । यदि इसे यहां सम्मिलित किया गया तो हमें अधिक विश्वास प्राप्त होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : सभापति महोदय, संशोधन २०५, ३४१ या ४२३ के सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि ये सभी उक्त खण्ड की प्रस्तुत अवस्था का परिमार्जित और सुधरा रूप प्रस्तुत करते हैं । यदि इस में थोड़ा सा परिवर्तन हो तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं--यानी इस को एक ओर रख दीजिये या इस का रूपभेद कीजिए "any assessment made" ["कोई भी निर्धारण किया गया"] के बदले "any estate duty determined" ["कोई भी संपदा शुल्क निर्धारित हुआ ।"] शब्द होने चाहियें । इस में निर्धारण की कोई भी बात नहीं ।

श्री राघवाचारी : आप इस पर भी विचार कीजिये कि क्या "No suit or proceeding" ["कोई भी अभियोग या कार्यवाही नहीं"] शब्द तो नहीं होन चाहियें वहां "proceeding" ["कार्यवाही"] शब्द नहीं है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मुझे 'proceeding' ['कार्यवाही'] शब्द से आपत्ति है । इस से बात विस्तृत होगी और इस में अनुच्छेद २२६ या अनुच्छेद ३२ भी सम्मिलित होंगे । आप ऐसा नहीं कर सकते । यह संविधान के विरुद्ध होगा ।

सभापति महोदय : इस से सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कम होगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : वह अधिकार से बाहर की बात होगी ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार में 'suit' ['अभियोग'] शब्द उस सारे प्रयोजन को पूरा करता है जो हमारे ध्यान में है । मैं किसी भी स्थिति में इस को बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हूं । यदि माननीय सदस्य इस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे तो. . . .

श्री एन० सी० चटर्जी : माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें कि क्या यह 'any estate duty determined' ['निर्धारित किया गया कोई भी संपदा शुल्क''] अथवा 'any determination of the estate duty' ["संपदा शुल्क का कोई भी निर्धारण"] है ?

श्री सी० डी० देशमुख : निर्धारण को नहीं अपितु संपदा शुल्क को एक ओर रख देने या उस में रूपभेद करने का प्रश्न है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यही तो वास्तव में निर्धारण है ।

श्री एस० एस० मोरे : मान लीजिये कि सुझाव के अनुसार, इन शब्दों को संशोधन में पुरःस्थापित किया जाता है, तो क्या इस का यह अर्थ नहीं होगा कि संपदा शुल्क को निर्धारित किये जाने से पहले सभी अन्य मामलों पर न्यायालय में चर्चा चलाई जा सकेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे 'assessment made' ['निर्धारित किया गया'] तथा 'estate duty determined' ['संपदा शुल्क निर्धारित हुआ'] के बीच की बात से ही सम्बन्ध है ।

सभापति महोदय : आज भी 'निर्धारण' शब्द आया है । क्या उन सभी मामलों का जिन के परिणामस्वरूप निर्धारण होता है, अभियोग चला कर निर्णय कराया जा सकता है ?

श्री एस० एस० मोरे : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । खण्ड ६१ के अन्तर्गत हम ने अपील का विशद अधिकार दिया है । यदि सरकार इस संशोधन को प्रस्तुत रूपभेदसहित स्वीकार करेगी, तो इस का यह अर्थ होगा कि केवल इन अभियोगों को निषिद्ध किया जायेगा । यानी ऐसे अभियोग चलाये जा सकेंगे जिन का निर्धारण या निर्धारित संपदा शुल्क से कोई भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हो ।

सभापति महोदय : जो अभियोग रूपभेद नहीं कराना चाहता, उस के प्रस्तुत किये जाने का लाभ ही क्या है ?

श्री एस० एस० मोरे : अन्तिम आरोपण के सम्बन्ध में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये बीच के बहुत सारे आदेश और बहुत से नामनिर्णयन देने पड़ेंगे तथा कई बातों को निर्धारित करना पड़ेगा । बहुत सी बातों का निश्चय करने के बाद ही दायित्व या अंतिम शुल्क को निश्चित करने की बात आएगी । इस विशेष संशोधन से यही अभिप्रेत है कि कोई भी अन्य अभियोग निषिद्ध नहीं है । मैं इसी बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं ताकि इस में कोई सन्देह नहीं रहे ।

श्री टेकचन्द : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री चटर्जी के संशोधन का कोई भी भाग स्वीकार करते समय माननीय वित्त मंत्री खण्ड में इन तीन शब्दों 'estate duty authority' ['संपदा शुल्क अधिकारी'] को रखें और श्री चटर्जी द्वारा सुझाये गये ये शब्द 'any officer of Government' ['सरकार का कोई अधिकारी'] स्वीकार नहीं करें ।

श्री एस० एस० मोरे : खण्ड ७१ के अन्तर्गत कलैक्टर की क्या स्थिति होगी ।

श्री टेकचन्द : उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति संपदा शुल्क अधिकारी की परिभाषा में आयें—यानी खण्ड ४ की परिभाषा के अनुसार केन्दीय राजस्व बोर्ड के सदस्य, नियंत्रक तथा मूल्य आंकने वाले—उन्हें सुरक्षित किया जाएगा ।

श्री के० के० बसु : इस विशेष अधिनियम के अनुसार वह एक पदाधिकारी माना जाएगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं आयकर अधिनियम की धारा ६७ की ओर जिस का पाठ निम्न में दिया जाता है, आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

"इस अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए किसी भी निर्धारण का रूपभेद कराने या उस को रद्द कराने के लिये किसी भी व्यवहार-न्यायालय में कोई भी अभियोग नहीं चलाया जाएगा, और इस अधिनियम के अन्तर्गत नेकनीयती से किये गये या किये जाने वाले किसी काम के लिये किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ़ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी, न तो कोई अभियोग चलाया जाएगा ।"

अतः, यहां जो धारा संगत मालूम देती है उसी को लेकर, उस में परिवर्तन किया जा रहा है ताकि वह आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण में नहीं बल्कि सम्पदा शुल्क के संदर्भ में ठीक बैठे । अब, अगला प्रश्न यह है कि.....

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं इस कार्यवाही का अर्थ जानना चाहता हूं । यह अर्थ यहीं तक सीमित है कि.....

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जब भाषण समाप्त करेंगे तभी यह प्रश्न पूछा जाय ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह धारा ६७ की टिप्पणी है जो कांगा ने की है । इस के पृष्ठ ९००–९०१ पर बताया गया है : भारत का संविधान लागू होने के बाद से, इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही से सम्बन्धित लेखों, आदेशों, आदि के लिये अभियोगों और याचिकाओं के विषय में जो भी स्थिति होगी उस का संक्षेप इस प्रकार है :–

(१) भारत सरकार अधिनियम, १९३५ की धारा २२६ द्वारा राजस्व मामलों में उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार पर जो रोक लगाई गई थी, वह पूर्णतया दूर की गई है ।

(२) इस अधिनियम की धारा ६७ किसी भी सम्बन्ध में कोई कार्यवाही या कोई निर्धारण एक तरफ़ रख देने या उन में रूपभेद करने के अभियोगों को किसी व्यवहार-न्यायालय में निषिद्ध करने के लिये अभी भी लागू है और चल रही है....."

हो सकता है कि निर्धारण न हो कर यह कोई ऐसा प्रमाण-पत्र हो जो जारी किया जाय.....

".....किसी भी ऐसे काम के विषय में जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नेकनीयती से किया गया हो या किया जाने वाला हो, और

(३) संविधान के अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत उच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण-लेख, प्रतिषेध और परमादेश तथा अन्य उचित लेख, निर्देश एवं आदेश जारी किये जायं । इस अधिनियम की धारा ६७ द्वारा इन अधिकारों में कोई भी अन्तर नहीं पड़ता । किन्तु एक न्यायालय, अपने अधिकारों या इच्छाओं को लागू करते समय अनुच्छेद ३२ या २२६ के अन्तर्गत साधारणतया ऐसी जगहों पर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा जहां निर्धार्य को इस अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त एवं समानरूप का सुविधाजनक उपचार प्राप्त न हो अथवा जहां पर ठोस तथ्यों को दबाया गया हो ।"

आयकर की इस धारा के सम्बन्ध में यही स्थिति है जो मैं बता चुका हूं, और मेरे विचार में, इस संशोधन के स्वीकृत किये जाने के बाद,

इस अधिनियम के अन्तर्गत संपदा शुल्क निर्धारण करने के सम्बन्ध में यही स्थिति होगी। मेरा विचार है कि अब इतना ही पर्याप्त होना चाहिये।

श्रीमान्, मेरा निजी विचार है कि श्री पाटस्कर इस बात को नहीं समझ सके हैं। कहने का यह अभिप्राय है कि यदि उन्हों ने पुनरीक्षण या अपील या और किसी बात के अधिकारों को विस्तार दिलाने के लिये धारा ६२ में कोई सुझाव देने की बात सोची होती तो फिर एक भिन्न बात हो जाती।

श्री पाटस्कर : वहां ऐसी बात आ नहीं सकती थी।

श्री सी० डी० देशमुख: जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस प्रकार कहता हूं।

श्री पाटस्कर : किन्तु मैं ऐसा नहीं कर सका।

श्री सी० डी० देशमुख : स्थिति इसी प्रकार है। मैं ने तो अपना दृष्टिकोण बताया। भला मैं एक अनुभवी वकील की राय के विरुद्ध कैसे थोप सकता हूं। मैं तो सदन के समक्ष रख सकता हूं। हां, मेरी इस प्रकार सोचने की कुछ प्रवृत्ति सी है कि क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार से बाहर, अवैध रूप से काम करना, विधि से बाहर का काम करना, आदि तो मूलतः कानून की बातें हैं, अतः धारा ६२ के अन्तर्गत इन पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री ए० एम० टामस : भेद इतना ही है कि कानून की हर कोई क्षेत्राधिकार की बात नहीं हो सकती, जब कि क्षेत्राधिकार की प्रत्येक बात कानून में आ सकती है।

श्री सी० डी० दशमुख : श्रीमान्, यह ठीक है। हमारा सम्बन्ध क्षेत्राधिकार के दुरुपयोग से ही है।

श्रीमान्, श्री पाटस्कर ने "लॉ एण्ड आर्डर" पुस्तक से कुछ उद्धरण देकर अपने संशोधन का समर्थन तो किया, किन्तु उस में उन्हों ने संकीर्ण भावनाप्रधान पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की ओर निर्देश किया और कहा कि यह बिल्कुल भद्दा है। मुझे मालूम नहीं कि यह 'भद्दा' शब्द किस प्रकार आया...

श्री पाटस्कर : मैं ने तो केवल उन का निर्णय पढ़ कर सुनाया था।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं उस निर्णय से भिड़ नहीं सकता। मैं तो यह कह रहा हूं कि उस निर्णय में निर्दिष्ट तथ्य इस मामले से संगत नहीं थे। उक्त बोर्ड कुछ भी हो, इसे संकीर्ण भावनाप्रधान पदाधिकारी नहीं कहा जा सकता। वे बर्बर हो सकते हैं या और कुछ हो सकते हैं किन्तु संकीर्ण भावनाप्रधान नहीं हो सकते।

श्री पाटस्कर : इसे अन्यायिक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है।

श्री सी० डी० देशमुख : तब तो यह यह भी बताता है कि कोई भी अपील नहीं की जा सकती। अब देखिये हम ने तो अपील करने का उपबन्ध रखा है। उन्हों ने यह भी बताया कि किसी न्यायालय को अपील किये बिना इन अधिकारों का दिया जाना कितना भयावह है।

श्री पाटस्कर : जी हां।

श्री सी० डी० देशमुख : तो, हम ने जो भी बातें उपबन्धित की हैं उन का उपहास किया जा रहा है।

श्री पाटस्कर : जी नहीं।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि माननीय सदस्य ने कहा होता कि इतना ही पर्याप्त नहीं, कुछ और उपबन्धित होना चाहिये, तो ऐसी बात पर विचार किया जा सकता था। किन्तु यदि वह यह तर्क देते हैं कि इस में कोई भी अपील नहीं हो सकती, और इस बात का पता नहीं चलता कि ये संकुचित एवं संकीर्ण भावनाप्रधान पदाधिकारी क्या करने जा रहे

[श्री सी० डी० देशमुख]

हैं तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि उन की दलील असंगत है। मैं श्री गाडगिल से इस बात में सहमत होना चाहता हूं कि हम न्यायालय-क्षेत्राधिकार को खुला छोड़ देंगे, जो कई महत्वपूर्ण मामलों में पहले से खुला पड़ा है--- जैसा कि मैं संविधान के तत्सम्बन्धी अनुच्छेदों में बतला चुका हूं, और हमें उस स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिये। अतःएव, मुझे खेद से कहना पड़ता है कि मैं संशोधन संख्या ७०५ को स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा संशोधन प्रस्तुत किया गया है, और "assessment" ["निर्धारण"] शब्द के लिये कौन से शब्द आदिष्ट किये जाने वाले हैं ?

श्री एम० सी० शाह : "estate duty determination"["संपदा शुल्क निश्चय"]

सभापति महोदय : इस विधेयक के अन्तर्गत ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो बिल्कुल "assessment made" ["निर्धारण किया गया"] के ठीक समान है।

श्री टेकचन्द : क्या माननीय वित्त मंत्री का यह अभिप्राय है कि .....

श्री सी० डी० देशमुख: क्या वह अपनी जगह छोड़ कर और कहीं से बोल सकते हैं ?

श्री के० के० बसु : वह सरकारी बेंचों की ओर सरक रहे हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री त्रिवेदी प्रश्न पूचना चाहते थे ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : माननीय वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम सम्बन्धी कांगा की टिप्पणी से पढ़कर सुनाया। कठिनाई तो यह है कि हम ने जो कुछ भी चर्चा की है....

श्री सी० डी० देशमुख : क्या माननीय सदस्य मेरे भाषण के बाद भाषण दे रहे हैं ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी: जी हां।

श्री के० के० बसु : क्या इस पर कोई शुल्क लगने वाला है ? वह तो स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं तो स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्री चटर्जी का संशोधन इस प्रकार है :

"इस अधिनियम के अन्तर्गत नेकनीयती से जो भी किया गया हो या किया जाने वाला हो, उस के लिये किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोग....कोई मुकदमा, अथवा कोई अन्य कार्यवाही नहीं होगी।"

हां, तो काम के दो ढग हैं—व्यक्तिगत या निजी और सरकारी। यदि किसी भी पदाधिकारी से सरकारी रूप में किसी लेख के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय, तो उस कार्यवाही को इस अधिनियम द्वारा निषिद्ध नहीं किया जाना चाहिये। और यदि सरकार अपने पदाधिकारियों को इस प्रकार की कार्यवाही की परेशानी से बचाना चाहती है तो मेरा सुझाव है कि "इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति का कोई निजी कार्य अभियोग में नहीं आ सकेगा।" "no personal action against such person shall be" शब्द जोड़ दिये जायं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य न तो प्रश्न पूछ रहे हैं और न कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं। वह वित्त मंत्री के भाषण के बाद अब एक संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री यू० म० त्रिवेदी : मुझे ज़रा देर हुई, किन्तु यदि ऐसा हो सके तो मैं इस को पस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं इस समय कोई भी ऐसा संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता जिस की कोई पूर्वसूचना नहीं दी गई हो।

श्री टेकचन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री चटर्जी का यह जो संशोधन पूर्णतया स्वीकार किया जा रहा है क्या यह मिला-जुला संशोधन है ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । क्या आप कोई औचित्य प्रश्न उठाना चाहते हैं ? हम सदन में संशोधनों को इसी प्रकार निबटाते रहे हैं । यदि किसी संशोधन को सदन के सभी भाग मान लेते हैं तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं । यही विधि ठीक है । अब मैं संशोधन पर सदन का मत लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३४ में खण्ड ७६ के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"76. No suit shall be brought in any Civil Court to set aside or modify any estate duty determined under this Act and no prosecution suit or other proceeding shall lie against any officer of Government for anything in good faith done or intended to be done under this Act."

["७६. इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये किसी सम्पदा शुल्क को रद्द करने अथवा उस में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में किसी व्यवहार न्यायालय में कोई वाद नहीं चलाया जा सकेगा, तथा शुद्धभावना से किये गये अथवा अभिप्रेत किसी काम के सम्बन्ध में किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध किसी अभियोग या वाद को नहीं चलाया जा सकेगा अथवा अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० सोमानी : इसे ध्यान में रखते हुए मैं अपने संशोधन पर अधिक बल नहीं देता ।

श्री पाटस्कर का संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ७६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नया खण्ड ७६ क—(शपथ पर साक्ष्य लेने की शक्ति आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३४ में पंक्ति ४५ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाये :

"76A. *Power to take evidence on oath etc.*—Every authority specified in sub-section (1) of section 4, other than valuers, shall for the purposes of this Act have the same powers as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) when trying a suit in respect of the following matters, namely :—

(a) enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of dcouments;

[श्री सी० डी० देशमुख]

(c) receiving evidence on affidavit;

(d) issuing commissions for the examination of witnesses;

and any proceeding before any such authority under this Act shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code (Act XLV of 1860)."

["७६ क. **शपथ पर साक्ष्य लेने की शक्ति इत्यादि**--मूल्यांकनकर्ताओं को छोड़ कर धारा ४ की उपधारा (१) में निदिष्ट अन्य प्रत्येक अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि किसी न्यायालय में व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ के अधिनियम ५) के अधीन, जब कि वह निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद की सुनवाई कर रहा हो, निहित होती है, अर्थात् :--

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और उस की शपथपूर्वक परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों की खोज और उन्हें प्रस्तुत करवाना;

(ग) शपथपत्र के आधार पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन का निर्गमन

और ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता (१८६० के अधिनियम ४५) [की धाराओं १९३ और २२८ के अधीन न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी ।"]

यह संशोधन भारतीय आयकर अधिनियम के इसी प्रकार के एक उपबन्ध अर्थात् धारा ३७ पर आधारित है । हम यह समझते हैं कि एक राजस्व सम्बन्धी प्रस्ताव के लिये इस प्रकार का उपबन्ध उपयोगी भी है और आवश्यक भी है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३४ में पंक्ति ४५ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाये :

"76A. *Power to take evidence on oath etc.*---Every authority specified in sub-section (1) of section 4 other than valuers, shall for the purposes of this Act have the same powers as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) when trying a suit in respect of the following matters namely :-

(a) enforcing the attendance of my person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavit;

(d) issuing commissions for the examination of witnesses; and any proceeding before any such authority under this Act shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 19

and 228 of the Indian Penal Code (Act XLV of 1860)."

["७६ क. **शपथ पर साक्ष्य लेने की शक्ति इत्यादि**---मूल्यांकनकर्ताओं को छोड़ कर धारा ४ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट अन्य प्रत्येक अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि किसी न्यायालय में व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ के अधिनियम ५) के अधीन, जब कि वह निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद की सुनवाई कर रहा हो, निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और उस की शपथपूर्वक परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेज़ों की खोज़ और उन्हें प्रस्तुत करवाना;

(ग) शपथपत्र के आधार पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(घ) इस अधिनियम के अधीन साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन का निर्गमन और ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता (१८६० के अधिनियम ४५) की धाराओं १९३ और २२८ के अधीन न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खण्ड ७६ क विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ७७ से ७९ तक विधेयक का अंग बना लिये गये ।

नया खण्ड ७९ क

श्री सी० डी० देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ट ३५ में पंक्ति १७ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाये :

"79A. *Appearance by authorised representatives.*—Any person accountable for estate duty who is entitled or required to attend before any autho ity specified in sub-section (1) of section 4 in connection with any proceeding under this Act, otherwise than when required under section 76A to attend in person, may attend by a person authorised by him in writing in this behalf, being a relative of a person, regularly employed by that person, or a legal practitioner or a chartered accountant.

Explanation.— In this section—

(a) a person regularly employed by the accountable person shall include any officer of a Scheduled Ba k with which the accountable person maintains a current account or has other regular dealings;

(b) 'legal practitioner' means an advocate, vakil or attorney of any High Court in the territories to which this Act extends and includes a pleader practising in any part of the said territories;

(c) 'chartered accountant' means a chartered accountant as defined in

[श्री सी० डी० देशमुख]

the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949)."

["७९ क. **अधिकृत प्रतिनिधियों का उपस्थित होना**---सम्पदा शुल्क के लिये उत्तरदायी कोई व्यक्ति जिसे, इस के अतिरिक्त कि जब उसे धारा ७६ क के अधीन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिये कहा गया हो, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा ४ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार हो या उपस्थित होना हो तो वह स्वयं उसके द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा, उस के सम्बन्धी या उस व्यक्ति के द्वारा नियमित रूप से काम पर लगाये हुए किसी व्यक्ति के द्वारा, या किसी विधि व्यवसायी अथवा किसी चार्टर्ड लेखापाल के द्वारा उपस्थित हो सकता है।

व्याख्या---इस धारा में---

(क) उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से काम पर लगाये हुए व्यक्ति में किसी अनुसूचित बैंक का कोई पदाधिकारी भी सम्मिलित होगा जिस में कि उत्तरदायी व्यक्ति का चालू लेखा हो या अन्य नियमित लेन देन हो ;

(ख) "विधि व्यवसायी" का अर्थ उस प्रदेश का जिस में कि यह अधिनियम लागू होता है किसी उच्च न्यायालय का कोई अधिवक्ता, वकील या न्यायवादी और इस में उक्त प्रदेश के किसी भी भाग में व्यवसाय करने वाला कोई वकील भी सम्मिलित है ;

(ग) "चार्टर्ड लेखापाल" का अर्थ वह चार्टर्ड लेखापाल है जिस की परिभाषा चार्टर्ड लेखापाल अधिनियम, १९४९ (१९४९ के ३८) में दी हुई है।"

पहिले यह विचार था कि सम्पदा शुल्क अधिकारियों के समक्ष उपस्थिति को नियमों से विनियमित किया जा सकता है, किन्तु यह अधिक संतोषप्रद होगा यदि आय-कर अधिनियम की धारा ६१ के समान इस सम्बन्ध में यह उपबन्ध इस विधेयक में ही स्पष्ट रूप से सम्मिलित कर लिया जाये। यह भी वांछनीय है कि यह उपस्थिति सम्बद्ध व्यक्ति या उस के सम्बन्धियों या वैकल्पिक रूप से विधि व्यवसाथियों और चार्टर्ड लेखापालों तक ही सीमित होनी चाहिये। हम यह समझते हैं कि वर्तमान विधि के समान जटिल विधि को प्रवर्त्तित करने वाले राजस्व अधिकारियों के समक्ष मुख्तियारों और राजस्व अभिकर्त्ताओं और इसी प्रकार की या इस से कम अर्हताओं वाले व्यक्तियों को उपस्थित नहीं होने देना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३५ में पंक्ति १७ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाये :

"79A. *Appearance by authorised representatives.*—Any person accountable for estate duty who is entitled or required to attend before any authority specified in sub-section (1) of section 4 in connection with any proceeding under this Act, otherwise than when required under section 76A to attend in person, may attend by a person authorised by him in writing in this behalf, being a

relative of or a person regularly employed by that person, or a legal practitioner or a chartered accountant;

Explanation.—In this section—

(a) a person regularly employed by the accountable person shall include any officer of a Scheduled Bank with which the accountable person maintains a current account or has other regular dealings;

(b) 'legal practitioner' means an advocate, vakil or attorney of any High Court in the territories to which this Act extends and includes a pleader practising in any part of the said territories;

(c) 'chartered accountant' means a chartered accountant as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949)."

["७९ क. **अधिकृत प्रतिनिधियों का उपस्थित होना**—सम्पदा शुल्क के लिये उत्तरदायी कोई व्यक्ति जिसे, इस के अतिरिक्त कि जब उसे धारा ७६ क के अधीन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिये कहा गया हो, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा ४ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार हो या उपस्थित होना हो तो वह स्वयं उसके द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा, उस के सम्बन्धी या उस व्यक्ति के द्वारा नियमित रूप से काम पर लगाये हुए किसी व्यक्ति के द्वारा, या किसी विधि व्यवसायी अथवा किसी चार्टर्ड लेखापाल के द्वारा उपस्थित हो सकता है।

व्याख्या—इस धारा में—

(क) उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से काम पर लगाये हुए व्यक्ति में किसी अनुसूचित बैंक का कोई पदाधिकारी भी सम्मिलित होगा जिस में कि उत्तरदायी व्यक्ति का चालू लेखा हो या अन्य नियमित लेन देन हो;

(ख) "विधि व्यवसायी" का अर्थ उस प्रदेश के जिस में कि यह अधिनियम लागू होता है किसी उच्च न्यायालय का कोई अधिवक्ता, वकील या न्यायवादी और इस में उक्त प्रदेश के किसी भी भाग में व्यवसाय करने वाला कोई वकील भी सम्मिलित है;

(ग) "चार्टर्ड लेखापाल" का अर्थ वह चार्टर्ड लेखापाल है जिस की परिभाषा चार्टर्ड लेखापाल अधिनियम, १९४९ (१९४९ के ३८) में दी हुई है।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड ७९ क विधेयक का अंग बना लिया गया।

[सभापति महोदय]

खण्ड ८०--(समवाय प्रस्तुत करेगा इत्यादि)

श्री सी० डी० देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

(१) पृष्ठ ३५ में पंक्ति ३३ से ३९ तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"(2) If any member of a company formed and registered under the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913) dies after the commencement of this Act and the company through any of its principal officers as defined in section 18, has knowledge of the death, it shall not be lawful for the company to register the transfer of any shares standing in the name of the deceased member unless there is produced before it a certificate from the controller that either the estate duty in respect thereof has been paid or will be paid or none is due as the case may be."

["(२) यदि भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ (१९१३ के ७) के अधीन बनाये गये और पंजीबद्ध किसी समवाय का कोई सदस्य इस अधिनियम के आरम्भ होने के पश्चात् मरता है और समवाय को धारा १८ में परिभाषित अपने किसी मुख्य पदाधिकारी द्वारा उस की मृत्यु का ज्ञान हो, तो जब तक उसके समक्ष नियन्त्रक का ऐसा कोई प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत कर दिया जाता कि उस के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क चुका दिया गया है या चुका दिया जायेगा या कोई शेष नहीं है जैसी भी अवस्था हो, तब तक समवाय के लिये मृत सदस्य के नाम से विद्यमान किसी अंश के हस्तान्तरण को पंजीबद्ध करना विधि-अनुकूल नहीं होगा।"]

(२) पृष्ठ ३५ की पंक्ति २७ और २८ के स्थान पर "at such scale as may be fixed by the Act of Parliament in pursuance of section 34" ["धारा ३४ के अनुपालन में संसद् के अधिनियम द्वारा जो स्तर निश्चित कर दिया जाये उस पर"] के स्थान पर "at the rates mentioned in part III of the Second Schedule" ["द्वितीय अनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित दरों पर"] आदिष्ट कर दिया जाये।

(३) मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन में "unless" ["जब तक न"] के पश्चात् "the company is satisfied that the transferee has acquired such shares for valuable consideration or" ["समवय को यह संतोष हो जाये कि हस्तान्तरिती ने इस प्रकार के अंशों को मूल्यवान प्रतिफल के लिये या..... अधिगृहीत किया है"] निविष्ट कर दिया जाये।

श्री तुलसीदास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :--

(१) पृष्ठ ३५ में से पंक्ति ३३ से ३९ तक निकाल दी जायें।

(२) श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्तावित उपखण्ड (२) में प्रस्तुत संशोधन में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"Provided that this sub-section shall not apply to transfers of shares held by a *bonafide* purchaser for value who purchased the shares prior to the death of the deceased".

["परन्तु यह उपधारा एक ऐसे सच्चे ग्राहक के मूल्य देकर खरीदे गये अंशों के हस्तान्तरण पर लागू नहीं होगी जिसने कि मृतक की मृत्यु से पूर्व अंश खरीदे हों।"]

श्री एस० जी० पारिख (मेहसाना पूर्व): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्तुत संशोधन में "unless" ["जब तक न"] के पश्चात् "the company is satisfied that the transferee has acquired such shares for valuable consideration or ["समवाय को यह संतोष हो जाये कि हस्तान्तरिती ने इस प्रकार के अंशों को मूल्यवान् प्रतिफल के लिये या.....अधिगृहीत किया है।"] निविष्ट कर दिया जाये।

(२) पृष्ठ ३५ में से पंक्ति ३३ से ३९ तक निकाल दी जायें।

सभापति महोदय: अब सब संशोधन सदन के समक्ष हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : खण्ड २० के अधीन भारत में स्थित सम्पत्ति पर शुल्क लगाया जा सकता है चाहे सम्पति के स्वामी का अधिवास भारत में न भी हो, इस प्रकार यदि भारत में अधिवास न रखने वाला व्यक्ति भारत में निगर्मित समवाय में हिस्से रखता हो तो हिस्सों के रूप में उस द्वारा अधिकृत सम्पत्ति विधेयक के क्षेत्राधीन आजाती है कोई चल सम्पत्ति भारत में स्थित है अथवा नहीं इस का निर्णय नियमों द्वारा किया जाएगा। परन्तु साधारणत: किसी समवाय के हिस्सों का स्थान वही है जहां समवाय का पंजीबद्ध कार्यालय है। तो भी कुछ ऐसे समवाय हैं जैसे कि बागान, खानें, तथा सार्वजनिक उपयोग सम्बंधी समवाय अर्थात् बिजली अथवा ट्रैमवे जो मुख्यतया अथवा पूर्णतया भारत के लिये कार्य करते हैं, परन्तु वे विदेश में पंजीबद्ध हैं। ऐसे समवायों के हिस्सों का स्थान, चाहे वे किसी के अधिकार में हों, भारत के बाहर होगा इसलिये ऐसे समवायों के हिस्सों के रूप में अधिकृत सम्पति पर शुल्क नहीं लग सकता सिवाए उन के जिनका अधिवास भारत में है। इस लिये इस का कोई कारण नहीं कि ऐसे समवायों के हिस्सेदार जो लाभों की अधिक पूंजी भारत से प्राप्त करते हैं सम्पदा शुल्क से क्यों भारित न हों। इसलिये खण्ड ८०(१) के अधीन समवायों के ऐसे हिस्सेदार जो पूर्व के ३ वर्षों में से २ वर्ष भारत में रहे हों, भारित होंगे अर्थात् ऐसे समवाय इसके अधीन होंगे जिन के कामों के ५० प्रतिशत से ऊपर भारत में कमाया जाता हो। इस खण्ड के अधीन शुल्क समवाय को देना होगा न कि हिस्सेदारों को।

ऐसा इसलिये है, क्योंकि विदेशियों के मामले में यह संभव नहीं कि हम उन से कर वसूल कर सकें क्योंकि साधारणतया ये विदेशी भारत में कोई आस्तियां नहीं रखते जिन में से शुल्क की वसूली की जा सके। अनुसूची में विहित शुल्क दर आयकर अधिनियम की धारा १७ के अनुसार एक समान है। आयकर प्रयोजनों के लिये भी हम उन मामलों में अधिकर की समान दर लगाते हैं जहां विदेशी अपनी कुल आय घोषित नहीं करते। श्रीमान् इस प्रकार के शुल्क अन्य देशों में भी विदित हैं। लंका में विदेशी समवायों द्वारा दिए जाने वाले आय कर पर सम्पदा शुल्क के स्थान पर एक विशेष अधिकर लगाया जाता है। न्यू साऊथ वेल्ज़ में कृषि खानों और बागान का कार्य करने वाले सब समवायों पर विशेष विधान अधीन सम्पदा शुल्क लगाया जाता है। वहां भी सम्पदा शुल्क देने का दायित्व समवाय पर है। ऐसे समवायों के उन हिस्सेदारों पर एक समान दर का प्रभाव नहीं पड़ता जो

[श्री सी० डी० देशमुख]

भारत के अधिवासी हैं। इन मामलों में कर निर्धारण साधारण ढंग से किया जाएगा। श्रीमान् यह इस का औचित्य है।

अब श्रीमान् खण्ड ८० (२) की इस आधार पर अत्यधिक आलोचना की गई है कि इस से हिस्सों के सम्बन्ध में विनिमय और स्वतंत्र बातचीत नष्ट हो जायेगी और इस से संयुक्त-स्कंध निर्माण और संयुक्त-स्कंध व्यापार के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह याद होगा कि प्रवर समिति ने यह खण्ड इसलिये निविष्ट किया था कि उन के अभिमत में इस खण्ड द्वारा समवायों के मृत हिस्सेदारों के मामले में सम्पदा शुल्क की वसूली शीघ्र हो सकेगी। दूसरी ओर यह स्वीकार करना चाहिये कि जब तक इस खंड को उपयुक्त रूप से न सुधारा जाए इस से हिस्सों संबन्धी स्वतंत्र वार्तालाप में बाधा खड़ी हो सकती है और यह समवायों के लिये हानिकर हो सकता है। हिस्से स्वतंत्रता से हस्तान्तरित किये जा सकते हैं और बहुत से मामलों में हस्तांतरिती को यह भी ज्ञात नहीं होता कि हस्तांतरक मृत है। और इसके फलस्वरूप यदि कुछ मामलों में पंजीबद्धता समवाय द्वारा अस्वीकार की जाये तो हिस्सों की स्वतंत्र बातचीत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इस से हमें भय है कि संयुक्त स्कंध निर्माण तथा व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस कारण से हम खंड में सुधार करना चाहते हैं। हम ने देश भें कई संयुक्त-स्कंध निर्माणियों से परामर्श किया है और वे सामान्यत: इस संशोधन का अनुमोदन करते हैं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री के नाम के सब तीनों संशोधन प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान् मेरे एक संशोधन का संशोधन है।

सभापति महोदय : वह प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री सी० डी० दशमुख : मैं ने इसे प्रस्तुत किया था। मेरा संशोधन ७४४ है और एक और श्री पारिख का ७४५ है।

श्री एस० जी० पारिख : खण्ड ८० (ख) चाहे विधेयक में हो अथवा न हो इस से सम्पदा शुल्क की शीघ्र वसूली नहीं हो सकेगी जैसा कि प्रवर समिति का अभिमत है। इस के संशोधन से भी कठिनाई दूर ही हो सकती।

अनुमान कीजिये कि हिस्से हिस्सेदारों के संयुक्त नाम से हैं और एक हिस्सेदार मर जाता है। इस प्रकार कर निर्धारण में बहुत कठिनाई होगी। उन्हें नियंत्रक से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा जिस में कुछ समय लगेगा। मेरा आग्रह है कि खण्ड का सर्वथा लोप किया जाये।

श्री तुलसीदास : श्रीमान् माननीय वित्त मंत्री के संशोधन में कहा गया है कि यदि समवाय हस्तान्तरण से सन्तुष्ट है तो उसे ऐसे अंशों की प्राप्ति दिये गये मूल्य के लिये हुई है। यद्यपि इस संशोधन से स्थिति उत्तमतर होगी तथापि अंशों के सामान्य व्यापार का चलाना अति कठिन हो जायेगा। क्योंकि समवाय को इस बात से सन्तुष्ट होना होगा कि यह हस्तान्तरण प्राप्त धन के लिये हुआ हो। अत: हस्तान्तरण से पहिले समवाय को यह निश्चित रूप से जानना होगा कि धन प्राप्त हुआ है अथवा नहीं, आदि। मैं नहीं जानता कि यह संशोधन क्यों रखा गया है। मेरा विश्वास है कि विभिन्न नगरों के स्टाक विनिमय गृहों ने अभ्यावेदन किया है और इसके परिणाम स्वरूप यह रखा गया है। मेरा विचार है कि यह संशोधन, यदि माननीय वित्त मंत्री सहमत हों, न रखा जाये।

श्री सी० डी० देशमुख : आप चाहते हैं कि खण्ड ज्यों का त्यों रहे ?

श्री तुलसीदास : संशोधन ५९२ को हटा दीजिये ।

श्री ए० एम० टामस : उप-खण्ड (३) हटा देना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : उसका कोई संशोधन नहीं है । आपका संशोधन है । मेरा नहीं ।

सभापति महोदय : मैं जान सकता हूं कि क्या यह संशोधन स्वीकार किया जाता है ? वह कहते हैं : "बशर्ते कि यह उपधारा उन अंशों के हस्तान्तरण पर लागू नहीं होगी जो सद्भाव क्रय करने वालों ने धन के लिये लिए हैं ।"

श्री तुलसीदास : मैं माननीय वित्त मंत्री के संशोधन ७४४ को स्वीकार करता हूं ।

सभापति महोदय : यदि वित्त मंत्री का संशोधन रहता है तो आपके संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : निस्सन्देह ही वित्त मंत्री का यह संशोधन एक सुधार है । परन्तु मैं यह ही सलाह दूंगा कि खण्ड ८० के उप-खण्ड (२) को पूर्णतया हटा दिया जाये । इससे सम्पदा शुल्क का तीव्रगति से संग्रह करने का उद्देश्य तनिक भी पूरा नहीं होता है । विभिन्न स्टाक विनिमय-गृहों ने जिन दो आपत्तियों का संकेत किया था उन्हें माननीय वित्त मंत्री के संशोधन से दूर कर दिया गया है, मैं यह स्वीकार करता हूं । इस संशोधन में यह भी उपबन्ध रखा गया है कि अनजान क्रयकर्ताओं की रक्षा की जायेगी । मेरा निवेदन यह है कि यदि उपखण्ड (२) यहां रहा तो इससे भारतीय समवाय अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वित करने में अनावश्यक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी ।

इसके अतिरिक्त तालिका क में हस्तान्तरण फार्म का नमूना दिया है । मैं अनुच्छेद १९ में, तालिका का निर्देश कर रहा हूं. इस में कहा गया है कि समवाय में समस्त अंशों का हस्तान्तरण निविहित फार्म अथवा डाईरेक्टरों द्वारा स्वीकृत किसी अन्य फार्म में होगा । अतः स्वयं फार्म में ही यह उपबन्ध रखा गया है कि हस्तान्तरण धन के लिए होगा । संयुक्त सम्पत्ति समवाय के संतोष के लिए और किस बात की आवश्यकता है । यदि कोई और स्तर रखा जाता है तो उससे कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । मेरा विचार है कि माननीय वित्त मंत्री सम्पूर्ण उपखण्ड तथा अपना संशोधन हटा देंगे ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है । यह अनुच्छेद १९ (१) (एफ) में वर्णित वैधानिक उपबन्ध के विरोध में है । यह सम्पत्ति के अधिकारी व्यक्ति में सन्निहित सत्ता को स्पष्टतः प्रयन्त्रित करता है ।

अनुच्छेद १९ (१) (एफ) में बताया गया है "समस्त नागरिकों को सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने और बेचने का अधिकार होगा ।"

इसके साथ ही अनच्छेद १९ (५) के एक उपबन्ध में कहा गया है कि "उक्त खण्ड के उपखण्ड (घ), (ङ) और (च) विद्यमान नियम के क्रियाकरण को प्रभावित करेंगे" श्रीमान्, यह उल्लेखनीय है कि निर्देश संविधान के निर्माण के समय अवस्थित, 'विद्यमान नियम' से है ।

प्रस्तुत उपबन्ध अभिनय व्यवस्था है । अतः मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह से थोपा गया प्रतिबन्ध वैधानिक उपबन्ध के विरोध में है । क्योंकि हिन्दू विधि के अन्तर्गत उस का उत्तरजीवी सत्वर ही अधिकार का भागी होता है । प्रस्तुत अधिनियम के आधार

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

पर उसे अपनी सम्पत्ति के विषय में कार्य-सम्पादन करने से रोका जाता है। न वह उसे बेच सकता है और न उस पर अधिकार ही रख सकता है।

और उत्तराधिकार का अधिकार अक्षुण रहता है। वह विलीन नहीं होता है। प्रस्तुत खण्ड के अनुसार समवाय पर अपने अधिकार का उपयोग करने के मार्ग में अवरोध उपस्थित किया गया ह; इसके साथ ही इसमें उस व्यक्ति पर भी उपबन्ध लगाया गया है जो उक्त सम्पत्ति का अधिकारी है और जिसे अपने अंशांश को बचने का पूर्ण हक है। यह उपबन्ध विध्य प्रतिकूल होने के साथ ही अनुच्छेद १९ (१) (एफ) के विरोध में है।

श्री एन० सी० चटर्जी : श्रीमान्, इसके अनियमित होने का एक कारण और भी है। यह सम्पदा शुल्क विधेयक की वैधानिक क्षमता से परे है।

संसद् को यह कहने का क्या अधिकार है कि मर्यादित समवाय, जिसके अंशांश क की मृत्यु के बाद ख को परावर्तित कर दिये गये हैं प्रमाण के अभाव में उक्त अंशांशों का पंजीयन नहीं करेगी। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कृत्य संविधान के विरुद्ध है।

वस्तुओं की बिक्री अधिनियम के अनुसार अंशांश का अर्थ वस्तुएं है। वस्तुओं का स्वामित्व परावर्तन और उन्हें सुपुर्द करने के पश्चात् अधिनियम का शीर्षक सार्थक हो जाता है। संसद् को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि यद्यपि वस्तुओं के स्वामित्व परावर्तन का कार्य सम्पन्न होगया है किन्तु समवाय को यह अमान्य है। जब तक उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं हो जाता उसे लाभांश नहीं मिल सकता ; वह मत नहीं दे सकता; वह वार्षिक सभाओं में भाग नहीं ले सकता ; वह सदस्यता के किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। संसद् को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि अंशांशों का परावर्तन हो जाने पर भी वह इसकी अनुमति न दे और न समवाय को ही उक्त व्यक्ति के नाम को पंजीयन करने की अनुमति दे। यह समवाय अधिनियमों के मुख्य सिद्धान्तों का गंभीर उल्लंघन है।

श्री ए० एम० टामस : यह जनहित के विरुद्ध भी है।

श्री एन० सी० चटर्जी : जनहित के प्रतिकूल भी है। यह विधेयक के क्षेत्राधिकार और संसद् की क्षमता से परे है। हम एक विशेष विषय के सम्बन्ध में विधान निर्माण कर रहें हैं--केवल सम्पदा शुल्क अधिनियम के सम्बन्ध में।

श्री ए० एम० टामस : इसका लाभ क्या है ?

श्री एन० सी० चटर्जी : यह भी कहा गया है कि यह कोई अन्यन्त वांछनीय नहीं है। यह संसद् की शक्ति म नहीं है। यह सर्वथा उसके विरुद्ध और अनियमित विधि व्यवस्था है।

कुछ माननीय सदस्य : श्रीमान्, साढ़े सात बज गये हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इन दो विषयों को निपटा दूं। इस खण्ड का उद्देश्य इस बात का संरक्षण करना है कि जब तक सम्पदा शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता इसे निपटाया नहीं जा सकेगा। यह एक पूर्वोपाय है जिसका प्रयोजन रिक्त परावर्तन से उत्पन्न कठिनाइयों की समाप्ति करना है।

मुझे इस विषय में कोई वैधानिक तथ्य दृष्टिगत नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (एफ) में कहा गया है :

"सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण और उपसर्जन के लिये "

इसके बाद अनुच्छेद के खण्ड (५) में लिखा है :—

"उक्त खण्ड के उपखण्ड (घ), (ङ) और (च) में कही हुई किसी बात का किसी राज्य को उक्त उपखण्ड द्वारा प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करते हुए या तो सामान्य जनता के हित में अथवा ..... उचित प्रतिबन्ध लगाने के लिये किसी विधि का निर्माण करने के हेतु जहां तक वर्तमान विधि का उसके प्रवर्तन या निषेध से सम्बन्ध है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इतना होने पर भी जो यह कहता है कि यह जनहित के विरुद्ध है मेरा विचार है कि वह .....

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मुझे खेद है कि वित्त मंत्री 'विद्यमान विधि' का अर्थ नहीं समझ सके हैं जिसकी उपखण्ड (२) में परिभाषा दी गई है।

सभापति महोदय : वह 'विद्यमान विधि' की ओर निर्देश नहीं कर रहे हैं। उनका निर्देश उत्तरवर्ती विषय की ओर है।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या माननीय सदस्य पहले सम्पूर्ण उपखण्ड को पढ़ेंगे। वह उन शब्दों को देखें तो अर्थ स्पष्ट हो सकता है। उक्त शब्द है : "सामान्य हित में किसी भी विधि का निर्माण" और वस्तुतः यह हम सबका सामान्य आधार है कि यह व्यवस्था सामान्य हित में है। अतः मैं नहीं सोचता कि इसमें कोई विध्यप्रतिकूल तथ्य है।

सभापति महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य संविधान सम्बन्धी किसी विषय पर बोलना चाहे तो मैं उसे सुनने के लिये तैयार हूं क्योंकि इस विषय को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता।

श्री एस० एस० मोथ : इस विषय पर हमें अधिक कहना है।

सभापति महोदय : साढ़े सात बज चुके हैं। अब मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करूंगा।

इस के पश्चात सदन की बैठक सोमवार १४ सितम्बर, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।